

JOTI JOURNAL APRIL - 2014

SUBJECT- INDEX

सम्पादकीय 43

PART-I (ARTICLES & MISC.)

1. Appointment of Additional Judges in High Court of Madhya Pradesh 45
2. Hon'ble Shri Justice K.K. Lahoti and Hon'ble Shri Justice G.D. Saxena demit office 46
3. कर्मचारीगण की प्रशिक्षण सामग्री 49

PART-II (NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

ACT/ TOPIC	NOTE	PAGE
NO. NO.		
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)		
Section 12 (1) (f) – Decree, setting aside of – Earlier decree can be set aside only in case where the alleged decree was passed by Court having no jurisdiction or it was passed by playing fraud or on settled principles of law – It cannot be set aside merely on the ground that judgment and decree were incorrect.	55	79
Sections 12 (1) (h) and 18 – Decree of eviction on the ground under section 12 (1) (h) of the Act – Right to re-entry under section 18 of Act, waiver of – It is mandatory on the part of the Court to ascertain from the tenant whether he choose to re-enter the premises and the provision is mandatory in nature – However, a mandatory provision which is enacted for the welfare of the individual can be waived by him – If the tenant does not take a ground with regard to non compliance of section 18 of the Act in appeal, the same is deemed to have been waived.	56	79

ADMINISTRATION OF JUSTICE

(i) Judicial temperament – Sobriety – Principle reiterated – Undue and harsh language used by the Court in the judgment – Held, Court should remember that sobriety is always a hallmark of judicial temperament.

(ii) Allegations of personal *mala fides*, proof of – Held, it is very easy to level allegations of personal *mala fides* but for a Court to act on those allegations, there has to be clear and clinching evidence of unblemished character – Mere *ipse dixit* of party in this regard will not suffice. **57* 80**

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908

Section 2 (11) – See Section 166 of Motor Vehicles Act, 1988 **97 121**

Section 96 – (ii) Interference in finding of appeal, when can be – Appellate Court should not normally interfere in the findings of the trial court unless findings appear to be perverse. **109 (ii) 131**

Section 96 – Suit for damages – Negligence – Principle of strict liability, applicability of – Explained. **58* 80**

Order 2 Rule 2 – Bar – When attracted ? If a party has omitted certain reliefs which were available to it at the time of filing of the first suit and after having relinquished the same, it cannot file a separate suit in view of the provisions of Order 2 Rule 2 CPC. **59 81**

Order 18 Rule 4 – Recording of evidence – Law explained – Discretion of the Court to record evidence by way of affidavit of examination-in-chief in Court is directly limited to the witnesses who are summoned under Order 16 Rule 1 of the Code – In other cases, it is mandatory for the Court to record evidence by way of affidavit under Order 18 Rule 4 (1) of the Code. **60 82**

Order 32 – Appointment of next friend or guardian, requirement of – Holding of due enquiry is necessary for ascertainment of unsoundness of mind of the concerning party – Further held, the Trial Court must not step into the shoes of medical expert to assess the unsoundness of mind of the party – Report about the mental health is required to be sought from the medical expert. **61* 83**

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

Section 4 – See Section 151 of Electricity Act, 2003 **62 83**

Sections 71, 73, 81 and 319 – (i) Issuance of process – The Criminal Court in all circumstances in complaint cases at the first instance should prefer issuing summons or bailable warrant failing which a non-bailable warrant should be issued.

(ii) As a general rule, unless an accused is likely to tamper or destroy the evidence or is likely to evade the process of law, issuance of non-bailable warrants should be avoided.

(iii) When it is proper to issue non-bailable warrant? This could be when firstly, it is reasonable to believe that the person will not voluntarily appear in court; or secondly, that the police authorities are unable to find the person to serve him with a summon and thirdly, if it is considered that the person could harm someone if not placed into custody immediately. **63 85**

Sections 161 and 313 – (i) Statement recorded by police under section 161 CrPC during investigation can be used for the purpose of contradiction and not for corroboration – It is not substantive piece of evidence.

If accused person was not named in the police statement, the evidence cannot be rejected on that ground.

(ii) Can statement recorded under section 313 Cr.P.C be made the sole basis of conviction? Held, No – It may be used for corroboration of prosecution evidence.

(iii) Where witnesses were known to the accused persons, want of T.I. Parade was of no consequence.

(iv) Test of rarest of rare case – Explained.

(v) Section 27 (3) of the Arms Act, 1959 is unconstitutional as held in *State of Punjab v. Dalvir Singh*, (2012) 3 SCC 346.

64 86

Section 173 (8) – Further investigation – Collection of further (additional) evidence – Submission of further report, necessity of – Where further evidence is collected in further investigation, section 173 sub-section (8) of the Code makes it obligatory on the part of the investigating officer to submit further report on the basis of such further evidence.

65* 87

Section 313 – (i) Accused has a duty to offer an explanation in his examination under section 313 CrPC regarding any incriminating material that has been put up before him – If the accused chooses to maintain silence, the court would be entitled to draw an adverse inference.

(ii) Accused did not deny his visit to the house of the complainant or that his shirt found hanging on the peg in the wall and that his hands turned pink on being washed with sodium carbonate water.

Accused has not furnished any explanation about above incriminating circumstances – High Court reversed the acquittal to conviction – The Apex Court maintained the conviction.

66 87

Section 313 – Incriminating circumstances put to the accused in examination under section 313 CrPC by the trial court but he had not offered reasonable explanation except false implication – Trial Court has rightly drawn an adverse inference against the accused.

The Apex Court has appreciated the prompt investigation and expeditious justice delivered by trial court and Hon'ble High Court of M.P.

67 (i) 88
& (iii)

Sections 319, 300 and 398 – (i) Constitution of fair trial requires that the real culprits should not get away unpunished.

(ii) Power under section 319 CrPC against a person not arraigned as an accused – Can be used at the stage of inquiry into, or trial of an offence, if it appears from evidence to the satisfaction of the Court.

(iii) Inquiry means pre-trial Inquiry by the Court that power can be exercised prior to commencement of the trial – Trial commences after framing of charge.

(iv) The word "evidence" in section 319 CrPC does not mean only evidence brought during trial – Rather it means that material which came before the court during enquiry can be used for :

(a) corroboration of evidence recorded by court after commencement of trial

(b) for exercise of power under section 319

(c) to add an accused whose name is shown in chargesheet.

(v) Evidence includes statements made in examination-in-chief – Court exercising the power under section 319 need not wait for evidence to be tested by cross-examination.

(vi) Degree of satisfaction for invoking section 319 should be more than *prima facie* case as required at the time of framing of charge.

(vii) Person not named in FIR or named in FIR but not chargesheeted can be summoned – But in case of discharged person, requirement of sections 300 and 398 must be complied with before summoning under section 319.

(viii) Sections 207 and 209 CrPC – Duties under these provisions are of administrative nature – There is difference between application of mind and judicial application of mind.

(ix) Sections 193 and 319 – Section 193 confers power of original jurisdiction upon Sessions Court – Sessions Court need not wait till the stage of section 319 but direct a person to appear and face trial – It can add an accused after the case has been committed.

(x) Magistrate at the stage of sections 207 to 209 CrPC is forbidden from applying his mind to the merits of the case to add or subtract any accused from being tried before the Court of Sessions.

(xi) Addition of new person as accused named in complaint – Power can be exercised under section 319 at the Court's inquiry stage as well as during trial.

(xii) Inquiries under sections 200 to 202 sub-clause (5) of section 300 and section 398 are species of inquiry contemplated under section 319. **68 89**

Section 437 (5) – Cancellation of bail – Subsequent conduct of the accused is a relevant factor for cancellation of bail – Other principles reiterated. **69 95**

Section 438 – See Sections 18 and 3 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 **70 96**

ELECTRICITY ACT, 2003

Section 151 – (i) The amendment brought in section 151, Electricity Act, 2003 is clarificatory in nature and also retrospective.

(ii) Notwithstanding the provisions of section 151 of the Act, FIR could be filed by the police.

(iii) When written complaint is filed, the court would be competent to take cognizance straightway – It would not mean that other avenues for investigation into the offence which are available would be excluded. **62 83**

ELECTRICITY, RULES, 2005

Rule 12 – See Section 151 of the Electricity Act, 2003 **62 83**

EVIDENCE ACT, 1872

Section 3 – Appreciation of child witness – The evidence of a child witness must be evaluated more carefully and with greater circumspection because a child is susceptible to be swayed by what others tell him. **67 (ii) 88**

Sections 3 and 45 – (i) Medical and ocular evidence, appreciation of – When there is inconsistency between medical and ocular evidence, ocular evidence deserves weightage and has greater evidentiary value vis-à-vis medical evidence – However, ocular evidence may be disbelieved in a case where medical evidence completely rules out possibility of ocular evidence being true.

(ii) Single testimony, reliability of – One credible witness outweighs the testimony of number of indifferent character – Court should not insist on corroboration except in case where the nature of the single testimony itself requires as a rule of prudence, that corroboration must be insisted upon – Whether corroboration of the single testimony is or is not necessary, depends upon facts and circumstances of each case and no general rule can be laid down. **71* 97**

Section 9 – See Sections 161 and 313 of the Criminal Procedure Code, 1973 **64 86**

Sections 56 and 57 – Judicial notice, taking of – Judicial notice of the increase in minimum wages due to inflation and rise in the price index can be taken in absence of any evidence with respect to such fact. **72 98**

Section 81 – Newspaper report, presumption as to genuineness, availability of – No presumption is attached to genuineness of newspaper reports under section 81 of the Act. **73 98**

Section 106 – (i) In cases where poisoning is suspected, it would be advisable to ensure that the viscera is sent to the FSL and the FSL report is obtained in the interest of justice.

(ii) The deceased was admittedly in the custody of the accused – How her dead body was found in the river, this fact was within special and personal knowledge of the accused – They failed to discharge the burden which had shifted to them under section 106 of the Evidence Act.

(iii) In matrimonial cases near relatives are the natural witnesses. **86 112**

Section 114 – Estoppel – Promissory estoppel, operation of – There cannot be any estoppel against Statute and an order which is in conformity with the Statute. **74 99**

Section 134 – See Section 120-B/302 of the Indian Penal Code, 1860 **80 102**

GENERAL CLAUSES ACT, 1897

Sections 3 (35) and 9 – (i) How to calculate period of 6 months (now 3 months) as prescribed under section 138 of N.I. Act?

Period of 6 months cannot be calculated on 30 days basis but it should be calculated on month basis – The word “month” has been defined under section 3 (35) of General Clauses Act to mean a month reckoned according to the British calendar.

(ii) In the above calculation, the day on which the cheque is drawn has to be excluded and the last day within which such act needs to be done is to be included. **103 127**

GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890

Sections 7, 10, 17 and 47 – Custody of a child, determination of – The paramount consideration is the welfare of the child and not right of the father – The father’s right to the custody of the minor child is neither absolute nor is it indefeasible in law – It is circumscribed by the consideration of the benefit and welfare of the minor – A balance has to be struck between the attachments and sentiments of the parties and the welfare of the child. **75* 99**

HINDU MARRIAGE ACT, 1955

Section 13 (1) (ia) – Divorce on the ground of mental cruelty, grant of. **76* 100**

Section 25 – Application for permanent alimony and maintenance, necessity of. **77* 100**

Sections 26 and 13-B – Application for custody of children – Whether maintainable even if order in this regard had already been passed by the Court at the time of passing of decree – Held, Yes – Further held, even after the decree, Court is empowered to make order in this regard and with regard to maintenance etc. and to revoke, suspend or vary any such order from time to time. **78 100**

INDIAN PENAL CODE, 1860

Section 107 – (i) Abetment, meaning and constitution of – Abetment means and includes instigation, engagement in conspiracy and intentional aiding.

(ii) Instigation, meaning of – To constitute instigation, a person should instigate, has to provoke, incite, urge, encourage doing of an act by goading or urging forward.

79 101

Section 120-B/302 – (i) Criminal conspiracy requires meeting of minds of two or more persons for doing or causing to be done an illegal act or an act by illegal means – Mere knowledge or discussion or generation of crime in the mind of accused is not sufficient for the offence of conspiracy – Such offence can be proved by circumstantial evidence or by necessary implications.

(ii) Non-examination of certain witnesses – Appreciation of evidence – No explanation sought from IO – Appellant cannot take benefit of omission by prosecution in conducting trial – The appellants could have examined such witnesses.

(iii) Number of witnesses is not material but the quality of evidence is material – The test is whether the evidence has a ring of truth, is cogent, credible and trustworthy – Conviction can be based on testimony of sole eye witness, if he is reliable. **80 102**

Sections 120-B, 302, 460 and 382 – (i) Conspiracy to commit murder with theft – Chain of circumstances not pointing the guilt of accused only – Testimony of witnesses not reliable – Conviction reversed.

(ii) Appreciation of evidence – Contradictions, inconsistencies, exaggerations or embellishments – Material improvement, credibility of witnesses can be looked and if there is material improvement, it would not be safe to rely on such witnesses.

(iii) Recovery of fact on disclosure of accused – Exclusive possession of accused not established – Benefit of doubt given.

(iv) Identification of articles – Articles already shown to the witnesses – Identification is defective.

(v) Circumstantial evidence – Principle of circumstantial evidence from which conclusion of guilt is drawn should be fully proved – Thus, such circumstances must be conclusive in nature – All the circumstances should be complete and there should be no gap left in the chain of evidence, consistent with the hypothesis of the accused and totally inconsistent with his innocence.

81 105

Section 292 – Obscenity – How to be judged? It has to be judged from the point of view of an average person, in the light of contemporary community standards and not to be judged from the point of view of a group of susceptible or sensitive persons.

82 108

Section 302 – Case based on circumstantial evidence – Accused suspected fidelity of his wife – He disowned the paternity of deceased child – Was last seen together with deceased child – He made false story that the child died due to snake bite – Medical evidence supported that the child died due to drowning and not due to snake bite.

Above circumstances established the prosecution case successfully – Conviction maintained by the Apex Court.

83 109

Section 302 – See Sections 161 and 313 of the Criminal Procedure Code, 1973

64 86

Sections 302/149 or 304 Part II/149 and 148 – (i) Incident arose on trivial matter – No sharp weapon used – Death caused due to cumulative injuries – Specific role of any appellants not explained by eye witness – Thus, they did not state which appellant gave which blow on which part of the body of deceased – Doctor did not opine which injury was fatal – Conviction under section 302/149 modified to section 304 Part II/149.

(ii) Appellants were armed with *lathis* and *tangis* etc. but did not use sharp weapon – It was held that appellants were not having common object to murder deceased in prosecution to that common object.

(iii) Few witnesses were relatives of deceased but there is no evidence to falsely implicate the appellants – They can be relied.

84 110

Sections 302, 304-B and 498-A – Circumstantial evidence – Prosecution relied on following circumstances:

(i) The deceased and the appellant were wife and husband;

(ii) They were living in the same house;

(iii) The deceased was harassed by the appellant for additional dowry;

(iv) According to the medical evidence though the body was allegedly found hanging, it was in fact a case of strangulation; and

(v) Lastly an extra-judicial confession was made by A-1 before PW 9.

Trial Court convicted the accused for offence under section 302 IPC – High Court confirmed the conviction but disbelieved extra-judicial confession.

Apex Court held that the opinion of the doctor regarding strangulation, even if believed did not lead to the conclusion that it is only the accused who must be held responsible for such strangulation, so conviction altered to section 304-B IPC. **85 111**

Sections 302, 376 and 450 – See Section 313 of Criminal Procedure Code, 1973 and section 3 of the Evidence Act, 1872. **67 88**

Sections 302 and 498-A – See Section 106 of the Evidence Act, 1872 **86 112**

Section 420 – Complaint in respect of offence under section 420 of the IPC, maintainability of – Power under section 156 (3), exercise of – Complaint under section 420 IPC filed against film director and producer alleging that they approached complainant and sought his assistance in making movie and offered ` 40 lakh consideration therefor – It was also alleged that the director and producer despite seeking and procuring assistance of complainant for making the film, did not pay ` 40 lakh – The complaint was filed against the director and producer and later on he filed an application under section 156 (3) Cr.P.C seeking a direction to the SHO of the concerning police station to register FIR – Allowing the petition against the impugned order, it was held that allegations contained were of civil nature and the entire dispute pertains to contractual obligations and did not disclose the commission of offence as there is difference between breach of contract and cheating – Further held, power conferred under section 156 (3) of the Code is not to be mechanically exercised – Investigation by police is necessary only in case where the Magistrate is *prima facie* satisfied that allegations contained in the complaint point to the commission of cognizable offence and he should not act merely as a post office but he should apply his mind before so ordering. **87* 114**

LAND ACQUISITION ACT, 1894

Sections 4, 5-A, 6 and 41 – (i) Acquisition of land – Public purpose – Acquisition of land for setting up of toll plaza is a public purpose.

(ii) Notification under sections 4 (1) and 6 for acquisition, requirement of – The public purpose is required to be mentioned but the names of the owner, khasra number and survey number of the land being acquired are not necessary. **88 115**

Section 14 – Period of limitation, condonation of – If period of time spent in *bona fide* proceeding before any wrong forum, it is liable to be excluded. **89* 116**

LIMITATION ACT, 1963

Section 14 – Period of limitation – Delay in filing suit, condonation of – Dispute between the parties with regard to mutation was pending before Revenue Court and the suit for the relief of permanent injunction and possession filed before the civil court along with an application for condonation of delay – Held, the subject matter of the proceeding pending before the Revenue Court being entirely different from dispute in the suit, therefore, the plaintiff is not entitled to condonation of delay under section 14 of the Act. **90 116**

MADHYASTHAM ADHIKARAN ADHINIYAM, 1983 (M.P.)

Sections 7 and 2 (d) – Counter claim – Delay in filing, condonation of – Delay of more than 11 years from the date of cause of action cannot be condoned in absence of proper and sufficient explanation. **91 117**

MOTOR VEHICLES ACT, 1988

Section 2 (13) – Vehicle requisitioned by State on government duty – Uninsured vehicle met with accident – Whether registered owner is liable for compensation? Held, No, because vehicle was under the requisition of State government, so State government is liable for compensation – It Also violated Section 146 (1) M.V. Act by plying such uninsured vehicle in public place. **92 118**

Section 147 – Motor vehicle accident due to negligence of the driver himself – Compensation – Insurance Company, liability of – Deceased/driver of the vehicle himself was negligent in causing accident – Insurance policy was not comprehensive package policy but was an Act policy – No additional premium was paid to cover the risk of owner/driver – Held, the driver would be deemed to step into the shoes of the owner and not being third party, the Insurance Company is not liable to pay compensation. **93* 118**

Section 147 (1) (b) (i) – Goods vehicle – Terms of insurance policy – How to appreciate? Explained. **94 119**

Section 149 (2) (a) (i) – Breach of insurance policy – When not proved? Tractor-trolley was carrying sand for construction of underground tank for irrigation purpose, insurance company not adduced any evidence to prove breach of policy – In the absence of any such evidence it cannot be presumed that there was breach of condition of policy. **95 119**

Section 166 – Assessment of compensation:

(i) There are two different heads on future treatment and pain & suffering and that cannot be clubbed together for purpose of awarding compensation.

(ii) Claimant aged 25 years suffered 100% disability in motor accident and paralysed for life – Apex court awarded ` 2,00,000 for attendant, ` 3,00,000 for pain and suffering, ` 3,00,000 for future treatment; total compensation of ` 19,91,702 of awarded.

(iii) Future prospects for self-employed claimant aged 25 years – Apex Court, held, an addition of 50% to the income that the claimant was earning at the time of the accident. **96 120**

Section 166 – (i) Can a registered charitable society file a claim for death of his member? Held, Yes because in this case, such member renounced the world and whatever he received by way of salary, subsidies, gifts, pension or from Insurance or other such benefits belongs to the community as by right and goes into the common purse.

(ii) Insurance company in the written statement neither raised the plea of maintainability of claim nor lead any evidence on such point – Even company did not press maintainability of claim for want of *locus standi* – Claim, held maintainable. **97 121**

Section 166 – Distinction between composite and contributory negligence – Explained – Where a person is injured as a result of negligence on the part of two or more wrongdoers, it is said that the person was injured on account of the composite negligence of those wrongdoers – So composite negligence refers to the negligence on the part of two or more persons other than the claimant.

Where a person suffers injury, partly due to negligence on the part of another person or persons, and partly as a result of his own negligence then the negligence on the part of the injured, which contributed to the accident, is referred to as contributory negligence.

In case of composite negligence it is not necessary for claimant to establish the extent of responsibility of each wrongdoer separately and it is also not necessary for the court to determine the extent of liability of each wrongdoer separately – In case of contributory negligence the claim is not defeated merely by reason of negligence on the part of claimant but the damages recoverable by him in respect of the injuries stand reduced in proportion to his contributory negligence. **98 122**

Section 166 – Motor accident – How to assess functional disability ? Functional disability of an accident victim requires determination on the basis of nature of disability in the light of the career or profession which he or she was pursuing in life – It should not be computed mechanically only on percentage of physical disability **99 124**

Section 168 – See Section 372 of Succession Act, 1925 **100 124**

Contributory negligence – Proof – There must be cogent evidence to prove contributory negligence – If there is no specific evidence to prove that the accident has taken place due to rash and negligent driving of the deceased minor scooterist – In the absence of any cogent evidence to prove the plea of contributory negligence, the doctrine of common law cannot be applied since deceased is not even 18 years old, who could not have been permitted to drive the scooter. **101 125**

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

Section 138 – Offence under section 138 of the Act – Report of handwriting expert, consideration of at the stage of taking cognizance – Explained. **102* 126**

Section 138 – See Sections 3 (35) and 9 of General Clauses Act, 1897 **103 127**

Sections 138 and 141 – It is necessary for the complainant to state in the complaint that the accused was in charge of and responsible for the conduct of business of the company at the relevant time – No particular form for making above allegation is prescribed – If complaint has not disclosed any such allegation, held, it is not maintainable. **104 128**

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

Sections 7 and 13 (2) – See Section 313 of Criminal Procedure Code, 1973 **66 87**

Section 13 (1) (e) r/w/s 13 (2) – Offence under section 13 (1) (e) r/w/s 13 (2) of the Act, constitution of – The accused, a public servant, was charged and convicted for acquiring assets disproportionate to his known sources of income as public servant – In appeal, he satisfactorily accounted the alleged disproportionate assets – Held, no liability for the offence under sections 13 (1)(e) and 13 (2) can be fastened against him. **105 128**

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954

Sections 7 and 16 – “Storage” of an adulterated article of food other than for sale does not come within the mischief of section 16 of the P.F.A. Act, 1954. **106 130**

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

Sections 18 and 3 – If *prima facie* case under section 3 of SC/ST Act is made out, bar under section 18 of SC/ST Act is attracted while granting anticipatory bail. **70 96**

SERVICE LAW:

-Decree, setting aside of – Earlier decree can be set aside only in case where the alleged decree was passed by Court having no jurisdiction or it was passed by playing fraud or against settled principles of law – It cannot be set aside merely on the ground that judgment and decree were incorrect. **107* 131**

-(i) Review (reopening) of departmental enquiry proceedings, validity and scope of – The power of review can be exercised by head of the Department in certain circumstances under Rule 29 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 – However, no order can be reviewed by the head of the department when the order impugned is not passed by the authority who is not subordinate to him i.e. if the order in review is not passed by the authority who is subordinate to the head of the department, power of review cannot be exercised.

(ii) After passing the order of punishment or exoneration on Enquiry Officer's report, the Disciplinary Authority becomes *functus officio* – There is no provision which enables such authority to recall, review or modify its own order and direct further enquiry on parties from which the erring employee has been exonerated. **108* 131**

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963

Section 16 – Suit for specific performance of agreement to sell – Defendant entered into agreement to sell and receive earnest money – On not being complied with the directions and conditions on the part of defendant, the plaintiff filed suit for specific performance of agreement pleading that he was ready and willing to perform his part of the contract – Defendant took defence that she was not the exclusive owner of the property for getting the sale deed executed in favour of the plaintiff – Held, since the plaintiff was ready and willing to perform his part of the contract and the defendant has willfully deviated from the terms and conditions of the contract, plaintiff is entitled for the decree for specific performance of contract – Further held, the defendant contracted for sale as sole owner, therefore, she is estopped from saying that she is not the sole owner.

109*(i) 131

STAMP ACT, 1899

Sections 33 and 64 – (i) Character of a document, ascertainment of – A document must be read in its entirety when the character of the document is in question – One should not get confused from the heading thereof – Real intention of the parties must be gathered from the document itself – The circumstances attending thereto are also relevant in this regard.

(ii) Deficient stamp duty and penalty, imposition of. **110*** **132**

SUCCESSION ACT, 1925

Section 372 – Whether Succession Certificate is necessary for disbursement of compensation amongst heirs? Held, no, because compensation in claim cases is neither debt nor security – Succession Certificate has to be insisted only in cases of debts or securities to which a deceased was entitled. **100** **124**

PART-III

(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

1. न्यायिक अधिकारीगणों का प्रदान किए जाने वाले/किए गए फर्नीचर इत्यादि वस्तुओं के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आदेश **3**
2. शासकीय वाहनों के अग्रशीर्ष भाग पर लाल/पीली/नीली बत्ती एवं फ्लेशर लगाने के संबंध में परिवहन विभाग की अधिसूचना **4**

PART-IV

(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)

1. The Scheduled Castes and the Schedules Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014 **5**

•

सम्पादकीय

प्रदीप कुमार व्यास
अतिरिक्त संचालक

सम्माननीय पाठक गण,

यह मेरे लिए अत्यन्त सौभाग्य का विषय है कि इस द्वि-मासिक पत्रिका के माध्यम से आप सब के साथ चर्चा का एक सु-अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। संस्थान के लिए ये दो माह अत्यधिक घटना पूर्ण रहे हैं।

मार्च 2014 में इस सम्माननीय संस्था से तीन विद्वान एवं अनुभवी न्यायाधीश गण स्थानान्तरित हुए, आदरणीय श्री सी. व्ही. सिरपुरकर साहब, संचालक, आदरणीय श्री रामकुमार चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, एवं आदरणीय श्री अवधेश गुप्ता, उपसंचालक का एक साथ इस संस्थान से जाना एक महत्वपूर्ण घटना रही। इन विद्वान एवं अनुभवी न्यायाधीश गण के ज्ञान एवं अनुभव की कमी हमें हमेशा महसूस होगी। इन तीनों सदस्यों का योगदान प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है।

संस्थान में श्री कपिल मेहता, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का 25 मार्च 2014 को आगमन हुआ यह हर्ष का विषय है। श्री मेहता पूर्व में लगभग 4 वर्ष से अधिक इस संस्थान में अपनी अमूल्य सेवायें दे चुके हैं। श्री ओंकार नाथ, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की भी इस संस्थान को अंशकालीन सेवायें 1 अप्रैल 2014 से प्राप्त हुई हैं, यह भी हर्ष का विषय है। इन दो सदस्यों के आगमन से संस्था की गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन में बहुमूल्य सहायता प्राप्त होगी।

हमारे पूर्व संचालक आदरणीय श्री सी.व्ही. सिरपुरकर साहब इस बात के लिए प्रयासरत थे कि संस्थान का नाम "न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान" से परिवर्तित किया जाये और माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने उनके आदेश दिनांक 12 मार्च 2014 से संस्थान को नया नाम "मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी" अनुमोदित किया है जिसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। अब हम सब की यह संस्था "मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी" या "Madhya Pradesh State Judicial Academy" के नाम से जानी जायेगी।

इस अंक के प्रथम भाग में "न्यायिक कर्मचारी गण की प्रशिक्षण सामग्री" नामक पठन सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है। जिसे संस्थान में वर्ष 2011-12 में कार्यरत न्यायाधीश गण द्वारा तैयार किया गया था। इसका उपयोग 13वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से संचालित न्यायिक कर्मचारी गण के जिला स्तर पर हो रहे प्रशिक्षण के लिए

किया जाता है और प्रदेश के 35 जिलों के न्यायिक कर्मचारी गण को यह सामग्री उक्त अनुदान राशि से वितरित की गई है, शेष 15 जिलों में इस वर्ष यह सामग्री न्यायिक कर्मचारी गण को वितरित होना है।

इस संस्थान ने यह अनुभव किया कि यह पठन सामग्री प्रदेश के अन्य न्यायाधीश गण के पास भी होना चाहिए ताकि वे अपने अधीन कार्यरत न्यायिक कर्मचारी गण से उचित रीति से कार्य ले सकें व उन्हें मार्गदर्शन भी दे सकें इसी कारण उक्त सामग्री का इस अंक में प्रकाशन किया गया है।

प्रकाशन संबंधी कठिनाइयों के कारण यह द्वि-मासिक पत्रिका आप तक समय पर नहीं पहुँच पा रही थी, आगे से यह प्रयास रहेगा कि यह पत्रिका समय से आप तक पहुँच सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रिका की प्रति आपके हाथों तक पहुँचने के पूर्व उसकी ई प्रति संस्था की वेब साईट पर उपलब्ध करा दी जाती है जिसका लाभ पाठकगण उठा सकते हैं।

इस पत्रिका के बारे में एवं संस्थान के कार्यक्रमों के बारे में यदि कोई भी अमूल्य सुझाव हो तो कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

आपका
प्रदीप कुमार व्यास

खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें सामंजस्य में हो।

महात्मा गाँधी

APPOINTMENT OF ADDITIONAL JUDGES IN HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

Hon'ble Shri Justice Sushil Kumar Gupta and Hon'ble Shri Justice Jarat Kumar Jain have been administered oath of office by Hon'ble the Chief Justice Shri A.M. Khanwilkar, High Court of Madhya Pradesh on 28th February, 2014 as Additional Judges of High Court of Madhya Pradesh in a Swearing-in-Ceremony held in the Conference Hall of South Block of High Court at Jabalpur.



Hon'ble Shri Justice Sushil Kumar Gupta was appointed as Additional Judge of the High Court of Madhya Pradesh. Was born on 12th May, 1954 in District Neemuch. After obtaining degrees of B.Sc., M.A. and LL.B. enrolled as an Advocate on 04.12.1976 and joined the chamber of Senior Advocate Late Shri Ram Chandra Sharma. Practised on civil and criminal side. Joined Madhya Pradesh Judicial Services as Civil Judge Class II on 30th September, 1981. Promoted in Higher Judicial Services as Additional District & Sessions Judge in the year 1993. Was Granted Selection Grade on 07.06.1999 and Super Time Scale on 10.10.2007.

Worked as President, District Consumer Forum, Indore and Principal Judge, Family Court, Rewa. Worked in different capacities at Mandsaur, Ambikapur (Sarguja) and Raisen. Was served as District & Sessions Judge, Barwani and Dhar. Was Commissioner, Departmental Enquiries, Bhopal prior to elevation.

Took oath as Additional Judge, High Court of Madhya Pradesh on 28.02.2014.



Hon'ble Shri Justice Jarat Kumar Jain was appointed as Additional Judge of the High Court of Madhya Pradesh. Was born on 23rd January, 1955 in Khandwa. After obtaining degrees of M.Com. and LL.B., joined Madhya Pradesh Judicial Services as Civil Judge Class II on 19th September, 1981. Promoted in Higher Judicial Services as Additional District & Sessions Judge in the year 1994. Granted Selection Grade with effect from 08.07.2000 and Super Time Scale with effect from 10.10.2007.

Worked in different capacities as Principal Registrar (ILR), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur and District & Sessions Judge, Jabalpur. Was District & Sessions Judge, Chhindwara prior to his elevation.

Took oath as Additional Judge, High Court of Madhya Pradesh on 28.02.2014.

We on behalf of JOTI Journal wish Their Lordships a very happy and successful tenure.



**HON'BLE SHRI JUSTICE K.K. LAHOTI AND HON'BLE
SHRI JUSTICE G.D. SAXENA DEMIT OFFICE**



Hon'ble Shri Justice K.K. Lahoti demitted office on 05.03.2014 on His Lordship's attaining superannuation. Was Born on 06.03.1952. Started practice in the year 1974 at District Court Guna (M.P.) in Civil and Criminal side. Practiced at Gwalior

between 1988 & 2001, before High Court in Civil, Constitutional and Criminal Side. Represented Government, various semi-Government, Autonomous Bodies and Local Authorities. Was Additional Advocate General of State of M.P., Gwalior between 1st March, 2000 and

20th October, 2001. Remained Commerce Secretary, Government Post Graduate College, Guna (1970-71), Rotaract Club Guna (Service Club of Youth). Charter Secretary from 1972 to 1973, Vice President from 1973 to 1974, President from 1974 to 1975, Rotary Club Guna Joint Secretary from 1987 to 1988, Maheshwari Samaj Guna Secretary from 1987 to 1988 and Rotary Club, Gwalior Active Member till November, 2000. Edited prestigious Law Journal “Madhya Pradesh Judicial Reporter”, reporting judgments of Hon’ble Supreme Court of India and High Court of M.P. on constitutional, civil and criminal matters. Also reported Journals (i) Income Tax Report, (ii) Company Cases and (iii) Factory Law Journal.

Elevated as Additional Judge of the High Court of Madhya Pradesh on 22nd October, 2001 and as Permanent Judge on 1st April, 2002.



Hon’ble Shri Justice Giriraj Das Saxena demitted office on 01.04.2014 on His Lordship’s attaining superannuation. Was Born on 02.04.1952 at Mandsaur in an Advocate family of Shri Babu Bachchan Lalji Saxena, renowned Advocate of his time. After obtaining degrees of B.A. and LL.B., joined Bar on 19.11.1973 and started practice on Civil side at Mandsaur. Joined Judicial Service as Civil Judge Class II on 18.08.1979. Was promoted as

Additional District & Sessions Judge on 03.03.1992. Was granted Selection Grade on 08.05.1999 and Super Time Scale on 26.02.2006.

Worked in different capacities at Ratlam, Jhabua, Indore, Alirajpur, Gwalior, Bhopal, Shahdol, Sehore, Narsinghpur and Dewas. Also worked as District Judge (Inspection & Vigilance) Indore. Was District & Sessions Judge, Dhar prior to elevation. Took oath as Additional Judge, High Court of Madhya Pradesh on 03.01.2011 and as Permanent Judge on 02.01.2013

We on behalf of JOTI Journal wish Their Lordships a healthy, happy and prosperous life.

•

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.

- Abraham Lincoln

PART - I

न्यायिक कर्मचारीगण की प्रशिक्षण सामग्री

विषय – सूची

सरल क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	संपादकीय	50
2.	सिविल रीडर के कर्त्तव्य	51–61
3.	क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक के कर्त्तव्य	62–72
4.	स्टेनोग्राफर/क्लर्क स्टेनो के कर्त्तव्य	72
5.	साक्ष्य लेखक के कर्त्तव्य	73–74
6.	आदेशिका लेखक या प्रोसेस राईटर के कर्त्तव्य	74–75
7.	बोर्ड प्यून के कर्त्तव्य	76
8.	ग्रंथपाल या लाईब्रेरियन के कर्त्तव्य	76–78
9.	अभिलेखापाल या रिकॉर्ड कीपर के कर्त्तव्य	78–88
10.	मालखाना नाजिर के कर्त्तव्य	88–90
11.	प्रधान प्रतिलिपिकार एवं सहायक प्रतिलिपिकार के कर्त्तव्य	90–98
12.	नाजिर के कर्त्तव्य	98–110
13.	लेखापाल/सहायक लेखापाल के कर्त्तव्य	111–112
14.	सांख्यिकीय लिपिक/स्टेटिसटीकल क्लर्क के कर्त्तव्य	112–115
15.	कर्मचारी के सामान्य व्यवहार, आचरण आदि के बारे में निर्देश	115–118

सम्पादकीय

मनोहर ममतानी
संचालक

जिस प्रकार न्यायाधीशगण के प्रशिक्षण के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसी प्रकार मंत्रालयीन कर्मचारीगण के प्रशिक्षण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है। वर्ष 2005 में जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक जिले में रखा गया था। 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से मंत्रालयीन कर्मचारीगण के प्रशिक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार गत वित्तीय वर्ष 2011-2012 में 11 जिलों में यह प्रशिक्षण रखा गया था जो जिला मुख्यालय डिण्डौरी, बुरहानपुर, उमरिया, श्योपुर, हरदा, अलीराजपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, खण्डवा एवं दमोह में रखा गया था। इस वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 10 जिलों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होना है जिनमें अनूपपुर, अशोकनगर, झाबुआ, मण्डला, सतना, सागर, जबलपुर, भोपाल, रीवा एवं उज्जैन शामिल हैं। इस योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में कर्मचारीगणों की संख्या के अनुसार दो दिवस से दस दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर रखा जाना है। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों ने इसके लिये एक पठन सामग्री तैयार की है जो प्रत्येक कर्मचारी को संस्था की ओर से वितरित की जा रही है ताकि कर्मचारीगण समय-समय पर उससे मार्गदर्शन ले सकें इस प्रशिक्षण में इस सामग्री के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961, मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक), सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 को भी ध्यान में रखना है। ये पुस्तकें प्रत्येक कर्मचारी को भविष्य में इसी योजना के क्रम में उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वितीय शनिवार एवं रविवार या संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश की सुविधानुसार अवकाश के दिन 31 दिसम्बर 2012 के पूर्व आयोजित किया जाना है।

आने वाले वित्तीय वर्षों में मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाना प्रस्तावित है।

मैं आशा करता हूँ कि मंत्रालयीन कर्मचारीगण के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से निश्चित ही कर्मचारीगण लाभान्वित होंगे और उन्हें अपने पदीय कार्य को अच्छे ढंग से संपादित करने में सहायता मिलेगी।

जबलपुर
01.07.2012

सिविल रीडर के कर्तव्य

1. विभिन्न प्रकार के रजिस्टर मेन्टेन करना –

ए. म. प्र. सिविल न्यायालय नियम, 1961 जिसे आगे नियम कहा जायेगा, के नियम 369 में बतलाये गये विभिन्न प्रकार के रजिस्टर मेन्टेन करना। उक्त नियम में उल्लेखित रजिस्ट्रों में से मुख्यतः निम्न प्रकार के रजिस्टर मेन्टेन किये जाते हैं :-

- i. सिविल दावों का रजिस्टर भाग 'ए' स्वत्व व अचल संपत्ति के दावों के बारे में।
- ii. सिविल दावों का रजिस्टर भाग 'बी' धन राशि व चल संपत्ति के दावों के बारे में।
ये दोनों रजिस्टर नियम 371 में बतलाई गई विधि से मेन्टेन किये जाते हैं इस नियम में इन रजिस्ट्रों के विभिन्न कालम में उल्लेखित की जाने वाली जानकारियों के बारे में विस्तार से बतलाया है। जिनको ध्यान में रखते हुये उक्त दोनों रजिस्टर मेन्टेन करना होते हैं। सिविल प्रस्तुतकारों का ध्यान नियम 371 की ओर दिलवाया जाता है ताकि इस नियम में उल्लेखित विधि से वे इन दोनों रजिस्टर को नियमानुसार मेन्टेन करें।
- iii. विविध न्यायिक प्रकरणों का रजिस्टर या एम जे सी रजिस्टर।
इस रजिस्टर में नियम 372 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के मामलों को पंजीबद्ध किया जाता है। इस नियम में 51 विभिन्न प्रकार के मामले बतलाये गये हैं। जिन्हें इस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।
- iv. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर
नियम 373 के अनुसार धारा 192, 276, 278 और 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही इस रजिस्टर में पंजीबद्ध किये जाते हैं।
- v. रिसीवरों का रजिस्टर
- vi. स्टाम्प ड्यूटी व पेनाल्टी का रजिस्टर
- vii. जारी किये गये कमीशनों का रजिस्टर
- viii. अन्य न्यायालयों से प्राप्त कमीशनों का रजिस्टर (नियम 381 के अनुसार)
- ix. साक्ष्य में स्वीकार एवं वापस किये गये दस्तावेजों का रजिस्टर (नियम 382 के अनुसार)
- x. अन्य न्यायलयों से निष्पादन हेतु प्राप्त डिक्रियों का रजिस्टर
- xi. डिपॉजिट रि-पेमेंट वाउचरों का रजिस्टर
- xii. ज्युडिशियल डायरी
इसे सामान्य बोल-चाल में बोर्ड डायरी भी कहते हैं। नियम 6 में इस डायरी को मेन्टेन करने के बारे में निर्देश दिये गये हैं और प्रकरणों का वर्गीकरण भी बतलाया गया है जिसके अनुसार नियम 6 को ध्यान में रखते हुये यह डायरी मेन्टेन करना चाहिए। ज्युडिशियल डायरी किसी भी न्यायालय में किसी दिन विशेष को नियत किये गये और

निपटाये गये न्यायिक कार्य के दर्पण के समान होती है। अतः इस डायरी को सावधानी पूर्वक मेन्टेन किया जाना चाहिए।

डायरी के कालम नं. 2 में साक्ष्य अंकित करने में लगा समय तर्क सुनने में लगा समय अंकित किया जाना चाहिए। कोई भी प्रकरण इस डायरी में अंकित होने से छूटना नहीं चाहिए। डायरी के कॉलम नं. 3 में प्रकरण में उस दिन हुई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। सिविल प्रस्तुतकारों का ध्यान नियम 6 की ओर दिलवाया जाता है और उसमें उल्लेखित विधि के अनुसार उन्हें ज्युडिशियल डायरी मेन्टेन करने के निर्देश दिये जाते हैं। डायरी में प्रकरणों की आगे पोस्टिंग उसी दिन करना चाहिए।

xiii. स्टेशन डाक बुक (नियम 383 के अनुसार)

xiv. निरीक्षण पुस्तक या इन्स्पेक्शन बुक

v. कॉज लिस्ट

सिविल रीडर का ध्यान नियम 7 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें कॉज लिस्ट मेन्टेन करने के बारे में दिशा निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन करते हुये कॉज लिस्ट बनाई जाना चाहिए।

xvi. वसूली की गई न्याय शुल्क का रजिस्टर

नियम 369 में कुल 24 रजिस्टर का उल्लेख है जिनमें सिविल रीडर द्वारा मुख्य रूप से उक्त 14 रजिस्टर मेन्टेन किये जाते हैं। इस नियम में कुछ रजिस्टर ऐसे भी उल्लेखित हैं जो कभी-कभी कुछ न्यायालयों में मेन्टेन करना पड़ते हैं। जैसे-दिवालियापन की याचिकाओं का रजिस्टर, दिवालिया संपत्तियों का रजिस्टर आदि जिन पर सिविल रीडर का ध्यान दिलवाया जाता है।

xvii. लघुवाद न्यायालयों में सिविल प्रकरणों का रजिस्टर

यह पंजी नियम 370 के अनुसार और इस नियम में बतलाई गई विधि से मेन्टेन करना चाहिए सिविल प्रस्तुतकारों का ध्यान नियम 370 की ओर दिलवाया जाना चाहिए।

बी. यदि संबंधित न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है तब संबंधित सिविल रीडर को निम्नलिखित रजिस्टर और मेन्टेन करना होते हैं :-

i. नियमित अपीलों का रजिस्टर भाग - 'ए' स्वत्व संबंधित और अचल संपत्ति संबंधितवादों की अपीलों। (नियम 384 के अनुसार)

ii. नियमित अपीलों का रजिस्टर भाग - 'बी' धन एवं चल संपत्ति संबंधितवादों की अपीलों। (नियम 384 के अनुसार)

नियम 384 में उक्त दोनों रजिस्टर मेन्टेन करने के बारे में निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।

iii. विविध अपीलों का रजिस्टर। (नियम 385 के अनुसार)

नियम 385 में इस रजिस्टर में दर्ज होने वाली अपीलों के बारे में सूची दी गई है। जिसकी ओर सिविल रीडर का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सिविल रीडर द्वारा मेंटेन किये जाने वाले रजिस्टर जिनका उल्लेख नियम 369 में है उनकी सूची प्रत्येक सिविल रीडर को अपनी शाखा में किसी सहज दृश्य या आसानी से देखे जा सकने वाले स्थान पर लगाई जाना चाहिये ताकि सूची देखते ही यह पता लग सके कि सिविल रीडर को कौन-कौन से रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं सूची निम्नानुसार हैं :-

क्र. संख्या	रजिस्टर का नाम	मेंटेन करने वाले न्यायालय का नाम
1.	लघुवाद न्यायालयों में सिविल प्रकरणों में रजिस्टर	लघुवाद न्यायालयों की शक्तियाँ प्रयोग करने वाली न्यायालय
2.	अन्य न्यायालयों में सिविलवादों का रजिस्टर दो भागों में भाग क-स्वत्व संबंधी एवं अन्य वाद भाग दो - धनराशि एवं चल संपत्ति संबंधी वाद	इस वर्ग के वादों का परीक्षण करने वाली, इस वर्ग के वादों का परीक्षण करने वाली न्यायालय
3.	विधिक न्यायिक प्रकरणों का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
4.	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर	विचाराधिकार रखने वाली समस्त न्यायालय
5.	दिवालियापन की याचिकाओं का रजिस्टर	दिवालियापन की न्यायालय
6.	दिवालिया संपत्तियों का रजिस्टर	दिवालियापन की न्यायालय
7.	रिसीवरों का रजिस्टर	दिवालियापन का न्यायालय
8.	इण्डियन ल्यूनेन्सी एक्ट और संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन प्रतिपाल्यों की संपत्तियों का रजिस्टर	विचाराधिकार रखने वाली समस्त न्यायालय
9.	मुस्लिम वक्फ अधिनियम की धारा 3 के अधीन दृष्टांत पत्रों का रजिस्टर	विचाराधिकार रखने वाली न्यायालय
10.	आदेशिका एवं आदेशिका शुल्क का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
11.	मनीऑर्डर से प्राप्त भोजन व्यय धन संबंधी रजिस्टर	बाह्य न्यायालयों से निर्वाह हेतु आदेशिकाएँ प्राप्त करने वाली न्यायालय
12.	धन पावती पुस्तकें	समस्त न्यायालय
13.	न्यायालयों की मानहानि करने पर यथा साक्षियों पर आरोपित अर्थदण्ड का रजिस्टर	समस्त न्यायालय

14.	वसूल की गई मुद्रा-पत्र शुल्कों एवं जुर्माने का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
15.	जारी किए गये कमीशनों का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
16.	अन्य न्यायालयों से प्राप्त आयोगों (कमीशनों) का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
17.	साक्ष्य में स्वीकार एवं वापिस किये गये प्रलेख प्राप्ति का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
18.	अन्य न्यायालयों से प्रवर्तन हेतु प्राप्त डिक्रियों का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
19.	डिपॉजिट रिपेमेन्ट व्हाउचरों का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
20.	ज्यूडिशियल डायरी	समस्त न्यायालय
21.	स्टेशन डाक बुक	समस्त न्यायालय
22.	निरीक्षण पुस्तक	समस्त न्यायालय
23.	कॉज-लिस्ट	समस्त न्यायालय
24.	वसूली की गई न्याय शुल्क का रजिस्टर	समस्त न्यायालय

अपीलीय विचाराधिकार के न्यायालय

क्र.	रजिस्टर का नाम संख्या	मेंटेन करने वाले न्यायालय का नाम
1.	नियमित अपीलों का रजिस्टर दो भागों में – भाग – क स्वत्व संबंधी एवं अन्य वादों की अपीलें भाग – ख धन एवं अचल संपत्ति संबंधी वादों की अपीलें	समस्त न्यायालय
2.	विविध अपीलों का रजिस्टर	समस्त न्यायालय

2. प्रकरणों की पत्रावलियों को नियमानुसार तैयार व व्यवस्थित करना

सिविल रीडर का यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह पत्रावलियों को और अभिलेख को नियमानुसार सुरक्षित और व्यवस्थित रखें सिविल रीडर का ध्यान म.प्र. सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 297 से 316 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें विचारण के दौरान अभिलेखों की तैयारी उनकी व्यवस्था के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

- i. **वर्ग – ए या ए- क्लास दावों** में अभिलेख पाँच भागों में या पाँच नस्तियों के रूप में रखा जाता है। जिन्हें क्रमशः फाईल ए, फाईल ए-1, फाईल सी-1, फाईल सी-2 और फाईल डी से नामकित और चिन्हित किया जाता है। (नियम 297 के अनुसार)
- ii. नियम 298 के अनुसार फाईल ए में निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य रूप से रखे जाते हैं :-
 - a. अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कन्टेन्ट्स
 - b. वाद पत्र
 - c. समझौते का प्रार्थना पत्र यदि उसे डिक्री में प्रभाव में लाया गया हो
 - d. निर्णय या अंतिम आदेश
 - e. प्राथमिक एवं अंतिम आज्ञाप्ति
 - f. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 25 के अधीन अपील न्यायालय को भेजा गया निष्कर्ष
 - g. अपील या पुनरीक्षण में दिया गया निर्णय डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि यदि कोई हो तो ।
 - h. अन्य कोई प्रपत्र जिसे पीठासीन न्यायाधीश लिखित कारणों से इस फाईल में रखे जाने हेतु आदेशित करे।
- iii. फाईल ए-1 में निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य रूप से रखे जाते हैं।
 - a. अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कन्टेन्ट्स
 - b. आदेश पत्र या आर्डर शीट
 - c. समंस, सूचना – पत्र जिसके आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्रियाँ या आदेश दिया गया।
 - d. लिखित कथन या जवाब दावे, न्यायाधीश द्वारा लेखबद्ध स्वीकृति या अस्वीकृति अर्थात् एडमिशन या डिनायल।
 - e. परिप्रश्न और उनके उत्तर आदेश 11 सी.पी.सी.।
 - f. वाद प्रश्न।

- g.** पंच निर्णय यदि डिक्री में उसे लिया गया हो। फील्ड बुक या रिपोर्ट यदि डिक्री में उसे प्रभाव में लाया गया हो अवयस्कों या विकृतचित्त व्यक्तियों के हित के लाभ प्रद समझौते जो न्यायालय के आदेश से किये गये हों।
- h.** सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 41 नियम 25 के अधीन लेखबद्ध की गई साक्ष्य निर्णय पूर्व कूर्की का वारन्ट यदि हो तो।
- iv.** नियम 300 के अनुसार फाईल सी-1 में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रपत्र रखे जाते हैं।
- अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कन्टेन्ट्स
 - साक्ष्य में स्वीकृत दस्तावेज मय सूची और दस्तावेज
 - मौखिक साक्ष्य
- v.** नियम 301 के अनुसार फाईल सी-2 में निम्नलिखित प्रपत्र रखे जाते हैं।
- अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कन्टेन्ट्स
 - पक्षकारों के पंजीकृत पते या रजिस्टर्ड एड्रेस
 - वकील पत्र, मेमो ऑफ अपियरेन्स, अधिवक्ता शुल्क का प्रमाण पत्र और अन्य सभी प्रपत्र, प्रार्थना पत्र जिनका ऊपर उल्लेख नहीं आया है।
 - शपथ पत्र
- vi.** नियम 302 के अनुसार फाईल डी में निम्नलिखित प्रपत्र रखे जाते हैं।
- अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कन्टेन्ट्स
 - समंस सूचना पत्र गवाहों की सूची, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सूची स्थगन आवेदन पत्र, अभिलेखों को मंगाने और भेजने के प्रपत्र आदि।
- ए क्लास या ए वर्ग के दावों में उक्त अनुसार पाँच भाग या नस्तियों में मुख्य रूप से उक्त प्रपत्र रखे जाते हैं प्रस्तुतकार का ध्यान नियम 297 से नियम 302 की ओर दिलवाया जाता है ताकि वे इन नियमों को और ध्यान पूर्वक पालन करें।
- vii.** **द्वितीय प्रवर्ग या वर्ग दो** के अभिलेखों में दो फाईल होती हैं फाईल बी और फाईल डी। नियम 303 के अनुसार फाईल बी में वे दस्तावेज रखे जावेंगे जो प्रथम वर्ग या ए क्लास की फाईल ए-1, ए-2, सी-1 और सी-2 में रखे जाते हैं जिनका की ऊपर उल्लेख किया गया है अन्य सभी दस्तावेज फाईल डी में रखे जाते हैं।
- viii.** **तृतीय वर्ग या क्लास – तीन** के अभिलेख में दो फाईले होती हैं फाईल सी एवं फाईल डी। नियम 304 के अनुसार फाईल सी में वे दस्तावेज रखे जावेंगे जो प्रथम वर्गीय क्लास ए की ए, ए-1, सी-1 व सी-2 में रखे जाते हैं और अन्य सभी दस्तावेज फाईल डी में रखे जावेंगे।
- द्वितीय वर्ग में बी क्लास दावे आते हैं जिनमें नियम 303 के अनुसार दो पार्ट बनते हैं। नियम 305 में द्वितीय वर्ग की फाईल सी में रखे जाने वाले प्रपत्र में विस्तारित सूची दी है। जिस पर सिविल

प्रस्तुतकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है नियम 305 में उल्लेखित प्रपत्र संबंधित भाग में रखे जावे।

- ix.** चतुर्थ वर्ग में मुख्य रूप से निष्पादन के अभिलेख आते हैं जो एक पार्ट या भाग में रखे जाते हैं। लेकिन जहां प्रथम वर्ग के वाद की डिक्री है और उसमें डिक्री की व्याख्या का प्रश्न निराकृत हुआ है या डिक्री के पालन में अचल संपत्ति का आधिपत्य दिलाया गया है तब निष्पादन की पंजी भी फाईल ए या फाईल सी दो भाग में रखी जावेगी। नियम 306 की ओर प्रस्तुतकार का ध्यान दिलवाया जाता है।
- x.** अपील न्यायालय के अभिलेख के बारे में नियम 308 अवलोकनीय है जिसके अनुसार अपील न्यायालय का अभिलेख भी मूल न्यायालय के अभिलेख की तरह ही रखा जाता है। केवल फाईल सी-1 पृथक से नहीं होती है और फाईल सी-1 और सी-2 के कागज फाईल सी-2 में रखे जाते हैं और निर्णय और डिक्री की प्रतिलिपि जो अपील मेमो के साथ पेश होती है फाइल डी में रखी जाती है।
- xi.** मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण के रिकॉर्ड को नियम 304 और 305 के अनुसार रखा जाता है। इस संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक – एफ/3032 जबलपुर दिनांक 10.08.10 अवलोकनीय है।

नियम 311 और 312 टाईटल पेज या मुख्य पृष्ठ के बारे में और नियम 313 से 316 अनुक्रमाणिका या टेबल और कन्टेन्टस के संबंध में है। जिन पर प्रस्तुतकारों का ध्यान दिलवाया जाता है।

3. वाद पत्रों का प्राप्त करना और उनकी जांच रिपोर्ट देना

- i.** सिविल रीडर का यह एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि सिविल रीडर को नियम 37-ए के अनुसार वाद पत्र और आवेदन पत्र तत्काल लेना चाहिए और यथा संभव प्रस्तुतकर्ता के सामने ही उसकी जांच करके आवश्यक पूर्ति करवा लेना चाहिए और यदि ऐसा संभव न हो तो जांच हेतु दो दिवस की तिथि लगाई जा सकती है। और इस बारे में आदेश पत्र लिखना चाहिए।
- ii.** नियम 38 के अनुसार वाद पत्र में निम्नलिखित बिन्दु देखना चाहिए:-
 1. क्या निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार वाद पत्र में उचित स्टॉम्प लगाया गया है।
 2. वाद उचित रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है या नहीं।
 3. क्या आदेश 7 नियम 1 से 18 की अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है।
 4. क्या भूमि की प्राप्ति के प्रकरण में दावाकृत भूमि का पर्याप्त वर्णन है, सर्वे क्रमांक, क्षेत्रफल, चतुर सीमाएं अंकित हैं।
 5. प्रोसेस फीस और वाद पत्र की आवश्यक प्रतिलिपियां दी गई हैं या नहीं ?
 6. दस्तावेज निर्धारित सूची में उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत हैं या नहीं।
 7. वादी का पंजीकृत पता दिया है या नहीं।

8. अवयस्क वादी एवं प्रतिवादी की स्थिति में आदेश 32 नियम 1 व 3 की अपेक्षाओं का पालन किया गया है आवश्यक प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र आदि लगाये है या नहीं।
 9. वाद न्यायालय के आर्थिक व प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का है या नहीं।
 10. क्या वाद प्रत्यक्ष रूप से अवधि के अंदर है।
 11. क्या अभिभाषक पत्र नियमानुसार स्वीकृत और पृष्ठांकित है और अशिक्षित पक्षकार की दशा में नियम 9ए के अनुरूप प्रमाणित किया गया है या नहीं।
 12. वाद पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत है या नहीं वाद पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत है या नहीं।
 - iii. उक्त अनुसार जांच करके प्रस्तुतकार को नियम 39 के अनुसार अपनी राय अंकित करना चाहिए उक्त प्रक्रिया आवेदन और अपीलों की जांच के लिए भी अपनाई जाती है। नियम 40 के अनुसार वाद आवेदन या अपील प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को प्राप्ति स्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट स्लिप देने के प्रावधान की ओर भी प्रस्तुतकार का ध्यान दिलाया जाता है।
 - iv. उक्त अनुसार जांच के बाद वाद का पंजीयन नियमित दावों की पंजी में किया जाना चाहिए। प्रस्तुतकार का ध्यान नियम 41 की ओर आकर्षित किया जाता है।
- वाद पत्रों प्रार्थना पत्र और अपीलों को प्राप्त करना और उनकी उक्त अनुसार जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है प्रारंभ में ही जांच नियमानुसार हो जाती है तो वाद की कार्यवाहियों में अनावश्यक विलंब नहीं होता है।

4. नियत पत्रक एवं विवरण पत्र (Periodical Returnes and statements) तैयार करना व समय पर भेजना

सिविल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह नियम 387 एवं 388 के अनुसार इन नियमों में उल्लेखित पत्रक एवं विवरण पत्र या नक्शे समय पर व शुद्ध रूप से तैयार करे और समय पर ही भिजवायें।

सिविल रीडर पत्रक और विवरण में वास्तविक लंबित मामले दर्शाने के लिए वर्ष में एक बार लंबित पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन करें और लंबित पत्रावलियों की वर्षवार और क्रमवार Year wise and Number wise सूची बनावे ताकि वास्तविक लंबित मामले कितने हैं यह स्पष्ट हो सके और उसी के अनुरूप नक्शे या पत्रक में भी सही आकड़े आ सकेंगे। इसे पूर्व में सामान्य बोलचाल की भाषा में गोशवारा निकालना भी कहते थे जो प्रथा बंद कर दी गई इसे फिर से शुरू करना चाहिए।

5. डिक्री बनाना

सिविल रीडर का यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह निर्णय के अनुरूप डिक्री तैयार करे इस बारे में प्रस्तुतकार का ध्यान नियम 165 से नियम 178 की ओर दिलवाया जाता है। साथ ही डिक्री में कौन से खर्च या व्यय जोड़ना है इस बारे में नियम 180 पर भी सिविल रीडर का ध्यान आकर्षित किया जाता है। डिक्री बनाने में निम्नलिखित सावधानियां रखना चाहिए :-

- i. डिक्री में वाद के पक्षकारों का नाम और विवरण पूर्ण रूप से उल्लेखित करना चाहिए एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हो तब केवल एक पक्षकार का नाम लिखकर आदि शब्द जोड़ देना पर्याप्त नहीं है। आदेश 20 नियम 6 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार डिक्री में प्रकरण क्रमांक पक्षकारों के नाम वर्णन और रजिस्ट्रीकृत पतों दावे का विवरण व स्वीकृत अनुतोष या अन्य निर्धारण का उल्लेख होना चाहिए। (नियम 175)
- ii. डिक्री में न्यायाधीश की शक्तियां जैसे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अपर जिला जज आदि उल्लेख आना चाहिए निर्णय या आदेश घोषित करने का दिनांक आना चाहिए, प्रस्तुतकार का ध्यान नियम 174 की ओर दिलाया जाता है।
- iii. नियम 173 के अनुसार निर्णय या आदेश के तीन दिन के भीतर डिक्री तैयार हो जाना चाहिए।
- iv. नियम 165 के अनुसार डिक्री अत्यंत सावधानी से तैयार की जाना चाहिए।
- v. डिक्री निर्णय अनुसार होना चाहिए ताकि उसको समझने और निष्पादन के समय डिक्री के अलावा किसी अन्य अभिलेख को देखने की आवश्यकता न पड़े। सिविल रीडर का ध्यान नियम 166 की ओर दिलवाया जाता है।
- vi. नियम 167 के अनुसार समझौते की डिक्री में समझौते के सभी शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए अथवा समझौते को डिक्री के साथ यदि आदेश में परिशिष्ट के रूप में लगाने का निर्देश हो तो लगाना चाहिए।
- vii. नियम 168 के अनुसार अचल संपत्ति संबंधी डिक्री में अचल संपत्ति का ऐसा वर्णन होना चाहिए जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो उसकी चतुर सीमाएं या कृषि भूमि है तो सर्वे नं. और क्षेत्रफल लिखना चाहिए। सिविल रीडर का ध्यान नियम 168 आदेश 20 नियम 9 सी.पी.सी. की ओर आकर्षित किया जाता है।
- viii. बंधक के वाद में डिक्री बनाते समय नियम 169 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए।
- ix. प्रारंभिक डिक्री बनाते समय नियम 171 को ध्यान में रखना चाहिए।
डिक्री चाहे किसी भी मामले की हो वह स्पष्ट होना चाहिए ताकि निष्पादन में विलंब न हो।
- x. डिक्री तैयार होने के पश्चात् पक्षकारों या उनके अभिभाषकों को डिक्री के तैयार होने की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके दी जाना चाहिए। सिविल रीडर का ध्यान नियम 176 की ओर दिलवाया जाता है। तीन दिन के भीतर यदि कोई आपत्ति किसी पक्षकार द्वारा की जाती है तो उस अनुरूप वह न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है और ऐसी कोई आपत्ति नहीं आती है तब सिविल रीडर न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर के लिए उसे रखेंगे। सिविल रीडर का ध्यान नियम 176 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें पूरी प्रक्रिया का वर्णन है।

- xi.** सिविल रीडर का ध्यान आदेश 20 सी.पी.सी. के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की डिक्री के संबंध में आवश्यक प्रावधान है जिन्हें डिक्री बनाते समय ध्यान में रखना होता है।
- xii.** सिविल रीडर का यह भी महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह, यदि कोई डिक्री निष्पादन के लिए आदेश 21 नियम 5 के तहत अंतरित किये जाना है तो, आवेदन आते ही अंतरण प्रमाण पत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार बना कर अनुचित विलंब के बिना संबंधित जिला जज महोदय को प्रेषित करने की कार्यवाही करें।

6. अभिलेखों का जिला अभिलेखागार में भेजा जाना

- i.** सिविल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह प्रत्येक माह में निराकृत सभी प्रकार के प्रकरणों को नियम 340 के अनुसार आगामी माह के 5 तारीख तक जिला अभिलेखागार या रिकॉर्ड रूप में तैयार करके सूचियां बनाकर भेजे। सिविल रीडर का ध्यान नियम 340 से 342 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें निराकृत प्रकरणों का अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करवाने के बारे में निर्देश है जिनका कड़ाई से पालन होना चाहिए।
- ii.** प्रायः यह देखा जाता है कि सेक्शन में ऐसे पुराने रजिस्टर जिनका कोई काम नहीं बचा है रखे रहते हैं सिविल रीडर का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया जाना चाहिए कि ऐसे सभी पुराने रजिस्टर को तैयार करके उनकी सूची बनाकर जिला अभिलेखागार में जमा करावे ताकि अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख रखने के लिए जगह भी बनेगी और सेक्शन व्यवस्थित दिखेगा।

7. अभिलेखों का समय पर प्रतिलिपि शाखा या वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाना।

- i.** सिविल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह प्रतिलिपि शाखा से आवेदन प्राप्त होने के तत्काल या अनुचित विलंब के बिना प्रतिलिपि शाखा में अभिलेख प्रेषित करे ताकि पक्षकारों का समय पर प्रतिलिपि मिल सके।
- ii.** सिविल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि जैसे ही वरिष्ठ न्यायालय या किसी भी न्यायालय से मांग पत्र प्राप्त होता है तो वह उसका अभिलेख रवाना करे।

8. लूज पेपर्स

- i.** सिविल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि शाखा में लूज पेपर्स न रहे और यदि लूज पेपर्स हैं तो संबंधित प्रकरण में लगाया जावे।

9. सामान्य निर्देश

- 1.** सिविल रीडर को न्यायाधीश द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य को एक डायरी में अर्जित किये गये यूनिट, न्यायाधीश महोदय द्वारा लिये गये अवकाश आदि विवरण सहित लिखना चाहिये ताकि माह के अंत में न्यायाधीश के वर्क डन का मानचित्र बनाते समय कठिनाई न हो किसी भी प्रकरण के यूनिट लेना या क्लेम करना छूट न जावे।

2. साक्ष्य में प्रदर्शित दस्तावेजों पर उसी दिन आवश्यक पृष्ठांकन जैसे प्रदर्श क्रमांक, प्रदर्श करने वाले पक्षकार/गवाह का नाम, दस्तावेज प्रदर्शित होने के दिनांक, वाद का क्रमांक व शीर्षक बगैरह अंकित कर लेना चाहिये। उक्त विवरण अंकित हो जाने से दस्तावेज पर डबल प्रदर्श क्रमांक अंकित होने की संभावना नहीं रहती है कभी-कभी डिपोजिसन सीट में प्रदर्श क्रमांक आ जाता है, पर दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं अंकित हो पाता है यह संभावना भी नहीं रहेगी। प्रदर्श दस्तावेजों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते जावेंगे।
3. कोई भी लंबित अभिलेख वरिष्ठ न्यायालय को या निरीक्षण हेतु भेजते ही मांग पत्र को साथ रखते हुये एक आदेश पत्र लिखकर उस पर प्रकरण क्रमांक पक्षकारों के संक्षिप्त नाम, उनके अभिभाषकगण के नाम, लिख लेना चाहिये और आदेश पत्र में प्रकरण भेजने का उल्लेख कर लेना चाहिये और आगामी तिथि भी लिख लेना चाहिये इसे सामान्य बोल चाल की भाषा में "दास्त" कहते है इससे मूल प्रकरण कहां और क्यों गया है इसका पता लग जाता है।
4. मासिक निरीक्षण/वार्षिक निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर कर पालना प्रतिवेदन अनुचित विलंब के बिना देना चाहिये।
5. पीठासीन अधिकारी महोदय के अवकाश पर रहने पर प्रकरण आदेशार्थ लगता है यह तिथि ऐसे लगाना चाहिये जो पीठासीन अधिकारी महोदय के अवकाश से लौटने की तिथि या संभावित तिथि के दो-चार दिन के भीतर की हो आदेशार्थ लंबी तिथियाँ नहीं लगाना चाहिये।
6. निर्वाहित/अनिर्वाहित आदेशिकाएँ/समन/वारंट निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व ही आदेशिका लेखक से या नजारत से मंगवाकर प्रकरण में शामिल करना चाहिये।
7. आदेशिका लेखक को आदेशिका जारी करने के लिये तत्काल मूल अभिलेख उपलब्ध करवाना चाहिये।
8. किसी दिन विशेष के प्रकरण एक दिन पहले ही निकाल कर बोर्ड डायरी से मिलान कर लेना चाहिये ताकि अभिलेख न मिलने को लेकर न्यायिक कार्य में रूकावट न आवे।

•

क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक के कर्तव्य

1. विभिन्न प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करना –

- (i) म.प्र. नियम व आदेश आपराधिक जिन्हें आगे नियम कहा जायेगा के नियम 570 में बतलाये गये विभिन्न प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करना। उक्त नियम अनुसार निम्न प्रकार के रजिस्टर एक दांडिक न्यायालय में मेंटेन किये जाते हैं :-

1. प्रारंभिक मामलों का रजिस्टर

यह रजिस्टर सेशन न्यायालय/अपर सेशन न्यायालय के अलावा सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों में मेंटेन किया जाता है जो कि प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हैं इस रजिस्टर में सभी मूल दांडिक प्रकरण चाहे वे पुलिस चालान के रूप में पेश हुये हों या परिवाद पर दर्ज हुये हों पंजीबद्ध किये जाते हैं। अन्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त मूल दांडिक प्रकरण इस पंजी में पंजीबद्ध किये जाते हैं। निष्पादन लिपिक को इस रजिस्टर के सभी कॉलम सावधानी पूर्वक दर्ज करना चाहिये। आरोपी का नाम और उसका पूर्ण विवरण अंकित करना चाहिये, प्रकरण के निराकृत होने पर तत्संबंधित पूर्ण व स्पष्ट विवरण अंकित करना चाहिये।

जहां केन्द्रीय पंजीकरण या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है वहां सभी प्रकरण एक ही स्थान पर पंजीबद्ध किये जाते हैं इसका ध्यान रखना चाहिये।

क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक का ध्यान नियम 571 से 573 तक की ओर दिलवाया जाता है।

2. विविध कार्यवाहियों की पंजी या मिसलेनियस कार्यवाहियों की पंजी

यह पंजी नियम 575 और 576 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मेंटेन करना चाहिये, नियम 575 में 26 विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जिन्हें इस पंजी में दर्ज किया जाता है।

3. अर्थदंड पंजी "ए"

इस पंजी में प्रत्येक प्रकार के अर्थदंड या अर्थदंड के रूप में वसूली योग्य धन राशि प्रतिकर राशि का उल्लेख किया जाता है। अर्थदंड चाहे वसूल हुआ हो या नहीं इस पंजी में उल्लेखित करना चाहिये और वसूल हो जाने के बाद संबंधित कॉलम में प्रविष्टि किया जाना चाहिये।

प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक नई अर्थदंड पंजी ए खोली जाती है जिसमें पूर्व पंजी की वसूल न हो सका समस्त अर्थदंड लाल स्याही से पंजी के प्रारंभ में नियम 578 के अनुसार उल्लेखित किया जाता है।

यदि पूर्व पंजी में पर्याप्त कोरे पृष्ठ बचे हों तो उसी पंजी में कुछ पृष्ठ छोड़ कर नवीन वर्ष के लिये पंजी प्रारंभ की जा सकती है। क्रिमिनल रीडर का ध्यान नियम 577, 578, 579, 580 और 581 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें इस पंजी को मेंटेन करने के बारे में आवश्यक निर्देश दिये हैं।

4. अर्थदंड पंजी "बी"

इस पंजी में सभी प्राप्त किये गये अर्थदंड कोषालय में जमा कि गई राशियों का उल्लेख किया जाता है, नियम 582 के अनुसार इस पंजी को मेंटेन करना होता है।

जैसे ही कोई अर्थदंड किया जाता है उसका उल्लेख अर्थदंड पंजी ए में किया जाता है और उसके जमा हो जाने पर उसका उल्लेख अर्थदंड पंजी बी में किया जाता है। इस अर्थदंड को या अन्य राशियों को जो जमा हुई हो चालान द्वारा कोषालय में जमा करवाया जाता है।

पीठासीन अधिकारी के इन पंजियों पर अर्थात् अर्थदंड पंजी "ए" और "बी" पर प्रत्येक प्रविष्टि पर संक्षिप्त हस्ताक्षर लिया जाना चाहिये।

क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह अर्थदंड पंजी "ए" व "बी" चालान बुक और धन प्राप्ति की रसीद बुक की कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय उप अधीक्षक से दैनिक /साप्ताहिक जाँच करावे और जाँच में पाई गई कमियों को तत्काल दूर करें।

5. धन प्राप्ति की रसीद पुस्तक

नियम 590 के अनुसार जो भी धन राशि भुगतानकर्ता द्वारा जमा की जाती है उसकी उसे रसीद देना चाहिये यह रसीद पुस्तक दो प्रति में प्रिंट होती है कार्बन लगाकर रसीद बनाई जाना चाहिये मूल प्रति भुगतानकर्ता को दी जानी चाहिये कार्बन प्रति अभिलेख में रखना चाहिये। कार्बन प्रति पर रसीद प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेना चाहिये। राशि शब्दों व अंकों दोनों में लिखना चाहिए।

6. निरीक्षण पुस्तिका

क्रिमिनल रीडर का ध्यान नियम 551 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें नियम 532 से नियम 544 के अनुसार आपराधिक लेखों का जनता द्वारा निरीक्षण करने संबंधी प्रावधान है जिनको ध्यान में रखते हुये अभिलेख का निरीक्षण करवाना चाहिये और उस पंजी में आवश्यक प्रविष्टि करना चाहिये।

7. छोड़े गये विकृतचित्तों का रजिस्टर

नियम 584 के अनुसार सभी दांडिक न्यायालयों को यह रजिस्टर रखना होता है और उनके क्रिमिनल रीडर को उसे मेंटेन करना होता है।

8. ज्यूडिशियल डायरी

इसे सामान्य बोल चाल की भाषा में बोर्ड डायरी भी कहते हैं नियम 10 के उप नियम 2 में इस डायरी को मेंटेन करने बाबत निर्देश दिये गये हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिये ज्यूडिशियल डायरी किसी भी दिन विशेष को नियत किये गये और निपटाये गये न्यायिक कार्य के दर्पण के समान होती है इस डायरी को सावधानी पूर्वक मेंटेन करना चाहिये।

डायरी के कॉलम नंबर 2 में साक्ष्य अंकित करने में लगा समय, तर्क सुनने में लगा समय अंकित किया जाना चाहिये कोई भी प्रकरण में इस डायरी में अंकित होने से छूटना नहीं चाहिये डायरी के कॉलम

नंबर 3 में उस दिन हुई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है नियम 10 के उप नियम 2 में प्रकरणों का वर्गीकरण बतलाया गया है जिसके अनुसार बोर्ड डायरी में प्रकरण चढ़ाना चाहिये।

डायरी का कोई भी पृष्ठ न तो फाड़ा जावेगा न ही प्रविष्टि मिटाई जायेगी आवश्यक सुधार लाल स्याही से किए जाना चाहिये।

डायरी में प्रकरणों की आगे पोस्टिंग उसी दिन की जाना चाहिये। क्रिमिनल रीडर और निष्पादन लिपिक का ध्यान नियम 10 की ओर दिलवाया जाता है जिससे बोर्ड डायरी मेंटेन करने के आवश्यक निर्देश हैं।

9. कॉज लिस्ट

क्रिमिनल रीडर का ध्यान नियम 11 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें कॉज लिस्ट मेंटेन करने के बारे में दिशा निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन करते हुये कॉज लिस्ट बनायी जाना चाहिये।

सेशन न्यायालय की पंजियाँ

10. सेशन विचारण प्रकरणों का रजिस्टर

यह रजिस्टर सेशन न्यायालय के क्रिमिनल रीडर द्वारा मेंटेन किया जाता है जिस संबंध में नियम 574 की ओर ऐसे क्रिमिनल रीडर का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अतिरिक्त सेशन न्यायालय के लिये पृथक से कोई पंजी नहीं होती है। सेशन न्यायालय में ही सभी सत्र प्रकरणों का पंजीयन किया जाता है।

अतिरिक्त सेशन न्यायालय के क्रिमिनल रीडर को प्रकरण के निराकरण के बाद सेशन न्यायालय में जाकर संबंधित कॉलम की पूर्ति करना चाहिये उसके बाद ही प्रकरण रिकॉर्ड रूम में जमा करवाना चाहिये।

11. अपीलों की पंजी

नियम 585 और 586 को ध्यान में रखते हुये अपीलों की पंजी मेंटेन करना चाहिये जिसमें प्रत्येक अपील को पृथक नंबर देने के प्रावधान हैं। यह पंजी सेशन न्यायालय में रखी जाती है अतिरिक्त सेशन न्यायालय के लिये पृथक से कोई पंजी नहीं होती है अतः अतिरिक्त सेशन न्यायालय के क्रिमिनल रीडर को अपील के निराकरण के बाद सेशन न्यायालय में जाकर संबंधित कॉलम की पूर्ति करना चाहिये उसके बाद ही प्रकरण रिकॉर्ड में जमा करवाना चाहिये।

12. पुनरीक्षण की पंजी

नियम 587 के अनुसार सेशन न्यायालय में एक पुनरीक्षण पंजी रखी जाती है अतिरिक्त सेशन न्यायालय के लिये पृथक से कोई पंजी नहीं होती है अतः अतिरिक्त सेशन न्यायालय के क्रिमिनल रीडर को पुनरीक्षण के निराकरण के बाद सेशन न्यायालय में जाकर संबंधित कॉलम की पूर्ति करना चाहिये उसके बाद ही प्रकरण रिकॉर्ड में जमा करवाना चाहिये।

क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक द्वारा मेंटेन किये जाने वाले रजिस्टर का उल्लेख नियम 369 में है उसकी सूची उन्हें अपनी शाखा में किसी सहज दृश्य या आसानी से देखे जाने वाले स्थान पर लगाना चाहिये ताकि सूची देखते ही यह पता लग सके की क्रिमिनल रीडर को कौन-कौन से रजिस्टर मेंटेन करना होते हैं सूची इस प्रकार है :-

क्र. संख्या	पंजी का नाम	जिस न्यायालय द्वारा उसे रखा जाता उसका नाम
1.	प्रारंभिक मामलों के रजिस्टर	(सेशन न्यायालयों को छोड़कर) प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले समस्त न्यायालय
2.	सेशन विचारणों के रजिस्टर	सेशन न्यायालय
3.	विविध कार्यवाहियों के रजिस्टर	समस्त न्यायालय
4.	जुर्माना रजिस्टर अ, ब	समस्त न्यायालय
5.	छोड़े गए पागलों का रजिस्टर	समस्त न्यायालय
6.	अपीलों के रजिस्टर	अपीलीय शक्ति का प्रयोग करने वाले समस्त न्यायालय
7.	रिव्हीजन (पुनरीक्षणों) रजिस्टर	पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने वाले समस्त न्यायालय
8.	धन की पावतियों की पुस्तक	समस्त न्यायालय
9.	प्रकरणों की सूची	समस्त न्यायालय
10.	निरीक्षण पुस्तिका	समस्त न्यायालय
11.	आदेशिका शुल्क एवं खुराक खर्च रजिस्टर	समस्त न्यायालय
12.	न्यायिक दैनंदिनी	न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय

2. प्रकरणों की पत्रावलियों को नियमानुसार तैयार व व्यवस्थित करना

क्रिमिनल रीडर का यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है की वह पत्रावलियों को और अभिलेख को नियमानुसार सुरक्षित और व्यवस्थित रखें क्रिमिनल रीडर का ध्यान मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 441 से 475 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की विचारण के दौरान तैयारी और उनकी व्यवस्था के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार है :-

सेशन न्यायालय में विचारण के अभिलेख

1. सेशन न्यायालय में प्रत्येक विचारण में अभिलेख दो फाइलों या नस्तियों में रखा जायेगा जो कि नस्ती ए और नस्ती बी से चिन्हित और नामांकित होगी जैसा की नियम 441 में व्यवस्था है।
2. नियम 442 के अनुसार नस्ती "ए" में निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य रूप से रखे जाते हैं:-
 - a. मुख्य पृष्ठ या टाइटिल पेज।
 - b. अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कंटेन्ट।
 - c. आदेश पत्र या आर्डर सीट।
 - d. आरोप जिसके अधीन विचारण किया गया और इस बात का अभिलेख की आरोप पढ़कर सुनाया या समझाया गया तथा अभियुक्त का अभिवाक्।
 - e. अभियोग पत्र या परिवाद पत्र आदि जिनसे कार्यवाही प्रारंभ हुई।
 - f. अभियोजन के साक्ष्य में स्वीकृत या एडमिट दस्तावेजों की सूची और दस्तावेज।
 - g. अभियोजन के साक्षीगण की साक्ष्य या डिपोजिशन।
 - h. अभियुक्त का सेशन न्यायालय में किया गया परीक्षण और उसके द्वारा दिया गया लिखित कथन।
 - i. प्रतिरक्षा की साक्ष्य में स्वीकृत दस्तावेजों की सूची और दस्तावेज।
 - j. प्रतिरक्षा के साक्षियों की साक्ष्य या डिपोजिशन।
 - k. निर्णय।
 - l. अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश की प्रतिलिपि।
 - m. सजा वारंट की कार्बन प्रति।
 - n. दंडादेश के निष्पादन के बाद लौटा वारंट एवं अर्थदंड वसूली की समस्त कार्यवाही।
3. नियम 443 के अनुसार नस्ती "बी" में एक मुख्य पृष्ठ या टाइटिल पेज होगा वे सब दस्तावेज होंगे जो नस्ती "ए" में उपर उल्लेखित नहीं है।

मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के अभिलेख

ए. वारंट मामलों में

4. मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित वारंट मामले में अभिलेख दो फाइल या नस्तियों में रहेगा जिन्हें नस्ती "ए" और नस्ती "बी" से चिन्हित और नामांकित किया जायेगा इस संबंध में नियम 444 में प्रावधान है।
5. नियम 445 के अनुसार नस्ती "ए" में निम्नलिखित प्रपत्र निम्न क्रम में रखे जावेगे :-
 - a. मुख्य पृष्ठ या टाइटिल पेज।

- b. अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कंटेंट ।
 - c. आदेश पत्र या ऑर्डर सीट ।
 - d. आरोप जिसके अधीन विचारण किया गया और इस बात का अभिलेख की आरोप पढ़कर सुनाया या समझाया गया तथा अभियुक्त का अभिवाक् ।
 - e. आरोप पत्र या परिवाद पत्र आदि जिनसे कार्यवाही प्रारंभ हुई ।
 - f. अभियोजन के साक्ष्य में स्वीकृत या एडमिट दस्तावेजों की सूची और दस्तावेज ।
 - g. अभियोजन के साक्षीगण की साक्ष्य या डिपोजिशन ।
 - h. अभियुक्त का सेशन न्यायालय में किया गया परीक्षण और उसके द्वारा दिया गया लिखित कथन ।
 - i. प्रतिरक्षा की साक्ष्य में स्वीकृत दस्तावेजों की सूची और दस्तावेज ।
 - j. प्रतिरक्षा के साक्षियों की साक्ष्य या डिपोजिशन ।
 - k. समन या समझौता आवेदन यदि उसके द्वारा दोषमुक्ति की गई हो ।
 - l. निर्णय, निष्कर्ष एवं दंडादेश ।
 - m. धारा 106 दं.प्र.सं. के अधीन परिशांति कायम रखने के लिये बंधपत्र या परिवीक्षा के जमानत मुचलके ।
 - n. अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश की प्रतिलिपि ।
 - o. धारा 250 दं.प्र.सं. के अधीन की गई कार्यवाही ।
 - p. सजा वारंट की कार्बन प्रति ।
 - q. वारंट जो दंडादेश के निष्पादन के पश्चात् लौटा हो व अर्थदंड वसूली की समस्त कार्यवाही ।
6. नियम 446 के अनुसार वारंट मामलों में नस्ती "बी" में एक मुख्य पृष्ठ या टाइटिल पेज होगा और वे समस्त प्रपत्र रखे जावेंगे जिनका उल्लेख नस्ती "ए" में नहीं है ।

बी. समन मामले में

नियम 447 के अनुसार समन मामले में भी दो भागों या नस्तियों में अभिलेख रखा जाता है जिन्हें नस्ती "ए" व नस्ती "बी" से चिन्हित किया जाता है ।

नियम 448 के अनुसार नस्ती "ए" में रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण है जो वारंट मामलों के ही समान है और नियम 449 के अनुसार नस्ती "बी" में वारंट मामलों की तरह ही व्यवस्था है अतः क्रिमिनल रीडर का ध्यान नियम 448 व 449 की ओर दिलवाया जाता है ।

सी. संक्षिप्त विचारण मामलों में

1. नियम 450 के अनुसार संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के मामले का अभिलेख दो फाइल या नस्तियों में रखा जाता है जो नस्ती "ए" और नस्ती "बी" के रूप में नामांकित या चिन्हित होती है।
2. नस्ती "ए" में मुख्य पृष्ठ आदेश पत्र और धारा 263 और 264 दं.प्र.सं. में वर्णित विषयों का निर्धारित प्रारूप में अभिलेख, निर्णय और परिशांति कायम रखने के लिये बंधपत्र या परीवीक्षा के जमानत मुचलके, राजीनामा आवेदन रखा जाता है।
3. अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि।
4. धारा 250 दं.प्र.सं. की कार्यवाही।
5. सजा वारंट की कार्बन प्रति।
6. वारंट जो दंडादेश के निष्पादन के पश्चात् लौटा हो और अर्थदंड वसूली की समस्त कार्यवाहियाँ।
7. नस्ती "बी" एक टाइटिल पेज व मुख्य पृष्ठ जिनका उल्लेख नस्ती "ए" में है रखे जाते हैं।

डी. धारा 203 दं.प्र.सं. में निरस्त परिवाद

नियम 452 की ओर क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार निरस्त परिवाद के अभिलेख रखे जाते हैं।

इ. विविध प्रकरण

क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक का ध्यान नियम 456 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें विविध जाँच कार्यवाहियों का अभिलेख संमन मामलों की तरह या वारंट मामलों की तरह जैसी भी परिस्थिति हो रखने के निर्देश हैं।

एफ. अपील या पुनरीक्षण न्यायालय का अभिलेख

नियम 457 के अनुसार अपील पुनरीक्षण न्यायालय का अभिलेख जहां तक संभव हो इस प्रकार रखा जाना होता है जैसे विचारण न्यायालय का अभिलेख रखे जाते हैं केवल इतना अंतर होता है कि इन मामलों में एक नस्ती या एक फाइल होती है जिसमें मामले के समस्त कागजात रखे जाते हैं।

विविध निर्देश

1. नियम 471 के अनुसार दस्तावेज विचारण के प्रगति के साथ ही उस नस्ती में या फाइल में रखे जाना चाहिये जिसमें रखने के निर्देश ऊपर के नियमों में दिये गये हैं। प्रकरण को रिकॉर्ड रूम में जमा करने के पूर्व दस्तावेजों को उचित नस्ती में संलग्न करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिये।
2. जब किसी मामले में अभियुक्त फरार हो जाता है तब मुख्य पृष्ठ या टाइटिल पेज पर लाल स्याही से "अभियुक्त फरार" अंकित करना चाहिये।

3. अनुक्रमाणिका या टेबल ऑफ कंटेन्ट मुख्य पृष्ठ या टाइटल पेज के पीछे प्रिंट होती है नियम 474 के अनुसार इसको भरा जाना चाहिये।
4. नियम 466 जाली दस्तावेजों को रखे जाने के बारे में है। क्रिमिनल रीडर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

उक्त अनुसार सेशन न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय के विभिन्न अभिलेख रखे जाते है क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक को मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश आपराधिक के अध्याय 18 के नियम 441 से 475 के अनुसार अभिलेख रखना चाहिये। क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का ध्यान उक्त नियमों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह नियम 626 के अनुसार सेशन न्यायालय के रिटर्न भेजे, नियम 627 मजिस्ट्रेट के रिटर्न के बारे में है क्रिमिनल रीडर का ध्यान नियम 593 से 635 की ओर दिलाया जाता है जिनको ध्यान में रखते हुये समय पर और शुद्ध मानचित्र और नक्शे तैयार करके भेजे जाने चाहिये।

3. नियत पत्रक एवं मानचित्र (Periodical Returns and Statements) तैयार करना व समय पर भेजना

क्रिमिनल रीडर मानचित्र और पत्रकों में वास्तविक लंबित मामले दर्शाने के लिये वर्ष में एक बार लंबित पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन करे और लंबित पत्रावलियों की वर्षवार और क्रमवार सूची बनावे ताकि वास्तविक लंबित मामले कितने हैं यह स्पष्ट हो सके और उसी के अनुरूप नक्शे और पत्रक में भी सही आकड़े आ सकेंगे। इसे पूर्व में सामान्य बोल चाल की भाषा में गोशवारा निकालना भी कहते थे जो प्रथा बंद कर दी गई इसे फिर से शुरू करना चाहिये।

4. अभिलेखों का जिला अभिलेखागार में भेजा जाना

क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह निराकृत प्रकरणों का अभिलेख आगामी माह की 5 तारीख तक जिला अभिलेखागार या रिकॉर्ड रूप में तैयार करके सूचियाँ बनाकर भेजे और इस नियम का कड़ाई से पालन करें।

प्रायः यह देखा जाता है कि सेक्शन में ऐसे पुराने रजिस्टर जिनका कोई काम नहीं बचा है रखे रहते हैं क्रिमिनल रीडर का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया जाना चाहिए की ऐसे सभी पुराने रजिस्टर को तैयार करके उनकी सूची बनाकर जिला अभिलेखागार में जमा करावे। ताकि अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख रखने के लिए जगह भी बनेगी और सेक्शन व्यवस्थित दिखेगा।

5. अभिलेखों का समय पर प्रतिलिपि शाखा या वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाना।

क्रिमिनल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह प्रतिलिपि शाखा से आवेदन प्राप्त होने के तत्काल या अनुचित विलंब के बिना प्रतिलिपि शाखा में अभिलेख प्रेषित करें ताकि पक्षकारों को समय पर प्रतिलिपि मिल सकें।

क्रिमिनल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि जैसे ही वरिष्ठ न्यायालय या किसी भी न्यायालय से मांग पत्र प्राप्त होता है तो वह उसका अभिलेख रवाना करे।

6. लूज पेपर्स

क्रिमिनल रीडर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि शाखा में लूज पेपर्स न रहें और यदि लूज पेपर्स हैं तो संबंधित प्रकरण में लगाया जावे।

7. गवाहों के व अभियुक्तगणों के समन, वारंट एवं सूचना पत्र के संबंध में

1. क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह कोर्ट मोहरर की सहायता से गवाहों के समन/जमानती वारंट/गिरफ्तारी वारंट न्यायालय के आदेशानुसार जारी करावे और यह जाँच करे की आदेशानुसार सही नाम और विवरण तथा सही पते से समन/वारंट जारी हो और समय से ही उन्हें प्रेषित/डिस्पेच किया जावे।
2. क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह निर्वाहित समन/वारंट को संबंधित प्रकरण में सुनवाई तिथि के एक दिन पूर्व ही संलग्न करें। यदि समन या वारंट नहीं लौटे हैं तो संबंधित आरक्षी केन्द्र के कोर्ट मुंशी को बुलाकर उसे अगले दिन ऐसे समन/वारंट अनिवार्य रूप से लेकर आने हेतु पाबंद करें।
3. जहां आरोपी के समर्पण कर देने से या नई जमानत प्रस्तुत कर देने से पूर्व का वारंट निरस्त हो चुका हो वहां उसे पीठासीन महोदय के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा वारंट अनिर्वाहित बुलावे।
4. शासकीय गवाह जैसे डॉक्टर, अन्वेषण अधिकारी आदि के वर्तमान पते की एक सूची बनाकर रखें और स्थानांतरित शासकीय गवाह के वर्तमान पते संबंधित विभाग से पूछताछ कर उक्त सूची में अंकित करें ताकि सही पते पर सूचना पत्र भेजे जा सके।

8. मालखाना वस्तुओं के बारे में कर्तव्य

1. क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह किसी दिन विशेष को नियत प्रकरणों में साक्ष्य के दौरान आवश्यक मालखाना वस्तुओं एक दिन पूर्व ही प्रॉपर्टी मेमो भेजकर मालखाना से बुलवा ले ताकि साक्षी का साक्ष्य मालखाना वस्तुओं के अभाव में अनावश्यक रोकना न पड़े।
2. क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का ध्यान नियम 124 की ओर दिलाया जाता है जिसमें मालखाना वस्तुओं सुरक्षित अभिरक्षा में रखने संबंधी निर्देश है और मूल्यवान संपत्तियों आभूषण आदि को पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में मोहर बंद पैकेट के द्वारा कोषालय या उप कोषालय में जमा करवाने के निर्देश हैं इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

3. नियम 125 में कूटरचित दस्तावेजों को या ऐसे दस्तावेजों को जिनके कूटरचित होने का संदेह है सील बंद पैकेट में नाजिर के पास जमा कराने के निर्देश हैं इस संबंध में नियम 466 की ओर भी क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
4. प्रकरण के निराकरण के बाद प्रॉपर्टी मेमो पर मालखाना निराकरण आदेश पूर्ण और स्पष्ट रूप से लिखकर क्रिमिनल रीडर को मालखाना नाजिर के पास भिजवाना चाहिये और प्रकरण के आदेश पत्र पर प्रॉपर्टी मेमो की प्राप्ति रसीद भी लेनी चाहिये।

9. गवाह खर्च का वितरण

क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का यह कर्तव्य है कि उपस्थित साक्षीगण को गवाह खर्च के भुगतान के बारे में तत्काल कार्यवाही करें इस संबंध में नियम 558 से 569 की ओर क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का ध्यान आकर्षित किया जाता है शासकीय सेवक को उपस्थित प्रमाण पत्र देना चाहिये और यदि गवाह भत्ता नहीं है तब संबंधित गवाह को मनीऑर्डर द्वारा गवाह भत्ता भेजा जा सके इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक को अपने न्यायालय में एक वर्ष में उपस्थित होने वाले गवाहों और उन पर लगाने वाले गवाह खर्च की एक लगभग राशि की जानकारी भी पीठासीन अधिकारी महोदय के माध्यम से सत्र न्यायाधीश महोदय को भिजवाना चाहिये ताकि गवाह खर्च का बजट मांगते समय ऐसी जानकारी उपयोगी हो सके।

10. सामान्य निर्देश

1. क्रिमिनल रीडर को मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य को एक डायरी में अर्जित किये गये यूनिट, लिये गये अवकाश आदि विवरण सहित लिखना चाहिये ताकि माह के अंत में वर्क डन का मानचित्र बनाते समय कठिनाई न हो व किसी भी प्रकरण के यूनिट लेना छूट न जावे।
2. प्रदर्श दस्तावेजों पर या साक्ष्य में ग्रहित दस्तावेजों पर प्रकरण क्रमांक, प्रदर्श क्रमांक, प्रमाणित करने वाले पक्षकार का नाम, प्रमाणित करने की तारीख आदि के बारे में नियम 458 के अनुसार प्रविष्टि कर लेना चाहिये ताकि एक दस्तावेज पर डबल प्रदर्श क्रमांक डलने की संभावना न रहे। कभी-कभी डिपोजिशन सीट में प्रदर्श क्रमांक आ जाता है लेकिन संबंधित दस्तावेज पर प्रदर्श नहीं लिख पाता है, यह संभावना भी नहीं रहेगी। प्रदर्शित दस्तावेजों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी साथ-साथ होते जावेंगे।
3. कोई भी लंबित अभिलेख वरिष्ठ न्यायालय को या निरीक्षण हेतु भेजते ही मांग पत्र को साथ रखते हुये एक आदेश पत्र लिख लेना चाहिये जिस पर प्रकरण भेजने का उल्लेख आगामी तिथि पक्षकारों के नाम उनके अभिभाषकगण के नाम अंकित कर लेना चाहिये इसे सामान्य बोल चाल की भाषा में "दास्त" कहते हैं इससे मूल प्रकरण कहां और क्यों गया है पता लग जाता है।
4. मासिक निरीक्षण/वार्षिक निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर कर पालना प्रतिवेदन अनुचित विलंब के बिना देना चाहिये।

5. किसी दिन विशेष को नियत प्रकरण एक दिन पहले ही निकालकर बोर्ड डायरी से मिलान कर लेना चाहिये ताकि अभिलेख न मिलने को लेकर न्यायिक कार्य में रूकावट न आये।
6. आदेशिका लेखक को आदेशिका जारी करने के लिये तत्काल मूल अभिलेख उपलब्ध कराना चाहिये।
7. जिन न्यायालयों में सीधे अभियोग पत्र प्रस्तुत होते हैं वहां क्रिमिनल रीडर व निष्पादन लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह यह जाँच कर लेवे की अभियोग पत्र में संलग्न सूची अनुसार दस्तावेज संलग्न हैं या नहीं कौन से दस्तावेज मूल है कौन से फोटो प्रति हैं यह भी देख लें और आवश्यक हो तो पीठासीन अधिकारी का ध्यान भी उस ओर आकर्षित करावे।
8. धारा 357 दं.प्रसं. के तहत दिलवाये गये प्रतिकर के बारे में व्हाउचर बनाने की कार्यवाही यथासंभव शीघ्र की जावे।



स्टेनोग्राफर/क्लर्क स्टेनो के कर्तव्य

जिला एवं सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में स्टेनोग्राफर का पद रहता है जबकि अन्य व्यवहार न्यायालय में कुछ स्थानों पर स्टेनोग्राफर और कुछ स्थानों पर क्लर्क स्टेनो के पद रहते हैं। इनके कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

1. पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया डिक्टेशन लेना और उसे समय पर और शुद्ध टंकित कर के देना।
2. निर्णय, आदेश की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखना।
3. ये पद निज सहायक की तरह होते हैं अतः पीठासीन अधिकारी के पत्र व्यवहार की पत्रावली बनाकर रखना, अर्द्ध शासकीय पत्रों के उचित प्रारूप बनाना, पीठासीन अधिकारी के अवकाश का लेखा रखना आदि कार्य भी इन पदों पर नियुक्त कर्मचारी को करना होते हैं।
4. पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर उनके द्वारा पारित निर्णय और आदेशों की प्रतियाँ रखना।
5. साक्ष्य लेखक को उनके कुछ कर्तव्यों में समय-समय पर सहायता करना जैसे- स्टेशनरी के मांग पत्र, लाईब्रेरी मेन्टेन करने में सहायता आदि।
6. स्टेशनरी की मांग उसके समाप्त होने के युक्तियुक्त समय के पूर्व करना ताकि कार्य में रूकावट किसी भी स्थिति में स्टेशनरी के अभाव में न हो।
7. टाइप मशीन बेहतर दशा में रहे ऐसे पूर्व उपाय करना।
8. जहां कम्प्यूटर की सुविधा है वहां युक्तियुक्त समय के पूर्व रिबन/कार्टेज मंगवाना।



3. साक्ष्य लेखक के कर्तव्य

प्रत्येक व्यवहार न्यायालय/दंड न्यायालय में एक पद साक्ष्य लेखक का होता है। जिन न्यायालयों में स्टेनोग्राफर/क्लर्क स्टेनो के पद पर नियुक्ति नहीं होती है वहां साक्ष्य लेखक को उनके कर्तव्य भी करने होते हैं अतः साक्ष्य लेखक, स्टेनोग्राफर/क्लर्क स्टेनो के कर्तव्य भी ध्यान में रखें। साक्ष्य लेखक के कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

1. गवाह द्वारा दिया गया कथन पीठासीन अधिकारी महोदय के निर्देश पर पूर्ण व सही टंकित करना, कोई तथ्य छूटना नहीं चाहिए यदि कोई वाक्य या शब्द समझ में न आया हो या किसी कारण से सुन न पाये हों तो उसी समय स्पष्ट करवा लेना चाहिए।
- 1ए. न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा लिये गये अवकाश का लेखा-जोखा रखना।
2. न्यायालय में किसी भी शाखा में स्टेशनरी की कमी न रहे इसका ध्यान रखना, युक्तियुक्त समय के पूर्व ही जजमेन्ट पेपर, डिपोजिशन सीट, कार्बन, टाईटल पेज, टाईप रिबन आदि का मांग पत्र भेज कर उन्हें मंगवाना सुनिश्चित करना।
3. टाईप मशीन बेहतर दशा में रहे इसके लिए सभी संभव पूर्व उपाय करना।
4. जहां कम्प्यूटर की सुविधा है वहां युक्तियुक्त समय के पूर्व रिबन/कार्टेज मंगवाना।
5. न्यायालय की लाईब्रेरी मेंटेन करना यद्यपि नियम 687 म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक के अनुसार यह कर्तव्य प्रस्तुतकार का बतलाया गया है प्रस्तुतकार के पास जहां पूर्व से अधिक कार्य हो वहां साक्ष्य लेखक को ये कर्तव्य दिया जाना चाहिए।
6. साक्ष्य लेखक का ध्यान नियम 687 म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक की ओर दिलवाया जाता है जिसमें पुस्तकों की सूची निर्धारित प्रारूप में रखने के निर्देश हैं।
7. साक्ष्य लेखक का ध्यान नियम 689 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें नई पुस्तक आने पर उस को प्रविष्टि करने का निर्देश है और यदि कोई विधिक पुस्तक दी जाती है या इशू की जाती है तो रिमार्क कालम में पेन्सिल से प्रविष्टि करने के निर्देश हैं और पुस्तक वापस प्राप्त होने पर पेन्सिल की प्रविष्टि को मिटा देने के निर्देश हैं।
साक्ष्य लेखक यदि सुविधाजनक हो तो इशू की गई विधि पुस्तक के संबंध में एक अलग पंजी भी मेंटेन कर सकते हैं।
8. साक्ष्य लेखक का ध्यान नियम 691 की ओर दिलाया जाता है। वह यह देख ले कि इस नियम में उल्लेखित पुस्तके लाईब्रेरी में है या नहीं और यदि नहीं तो उन्हें पीठासीन अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार मंगवाने की कार्यवाही करें।
साक्ष्य लेखक का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि वह पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर नये अधिनियमों और न्यायालय के उपयोग में आने वाली पुस्तकों की सूची तैयार करे और उसे मंगवाने की कार्यवाही करे।
9. साक्ष्य लेखक का ध्यान नियम 692 की ओर दिलाया जाता है जिसमें प्रत्येक पुस्तक पर उसके मुख्य पृष्ठ पर किये जाने वाले पृष्ठांकन का उल्लेख है।

10. साक्ष्य लेखक का ध्यान नियम 694 की ओर दिलवाया जाता है। साक्ष्य लेखक को समय-समय पर लाईब्रेरी की पुस्तकों की जांच करना चाहिए और गुम और क्षतिग्रस्त पुस्तकों के बारे में पीठासीन अधिकारी को प्रतिवेदन देना चाहिए।
11. साक्ष्य लेखक का ध्यान म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक नियम 685 से 695 की ओर दिलाया जाता है। जिनको वह लाईब्रेरी को मेन्टेन करते समय ध्यान में रखें।
12. जिन स्थानों पर साक्ष्य लेखक के अलावा अन्य कर्मचारी को लाईब्रेरी मेन्टेन करने का कर्त्तव्य सौंपा जाता है वहां उन कर्मचारियों को उक्त नियम ध्यान में रखना चाहिए।

•

आदेशिका लेखक या प्रोसेस राईटर के कर्त्तव्य

प्रत्येक सिविल न्यायालय में एक आदेशिका लेखक का पद रहता है कुछ स्थानों पर एक ही कर्मचारी एक से अधिक न्यायालय का कार्य भी देखते हैं। आदेशिका लेखक के कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं :-

1. न्यायालय के आदेशानुसार आदेशिकाएं समय पर और नियमानुसार तैयार करना और उन्हें समय पर ही डिस्पेच करना। इसके लिए आदेशिका लेखक को मूल पत्रावली से आदेश देख लेना चाहिए और संबंधित पक्षकार के नाम और विवरण मूल पत्रावली से ही आदेशिका में अंकित करना चाहिए। जब तक कि किसी नवीन पते को देने का निर्देश हो और उस निर्देश के अनुसार यदि नवीन पता दिया हो तब तलबाने से या प्रोसेस से नवीन पता लिखना चाहिए।
2. आदेशिका लेखक को आदेशिका जारी करते समय म.प्र. सिविल न्यायालय नियम 1961, जिसे आगे नियम कहा जायेगा के नियम 42 के निर्देशों का पालन करना चाहिए जिनमें आदेशिकाएं और सभी प्रोसेस पूर्ण सावधानी से जारी करने के निर्देश हैं साथ ही आदेशिका में उसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम, विवरण, स्थान और जिले का उल्लेख करने का निर्देश है।
3. नियम 42 के अनुसार आदेशिकाओं के साथ पठनीय वाद पत्र की प्रतिलिपियाँ संलग्न करने के निर्देश हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।
4. नियम 43 के अनुसार आदेशिकाओं में उपस्थिति का समय अंकित करने के निर्देश है जो सामान्यतः प्रातः 11.00 बजे का अंकित किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय ने अन्य निर्देश न दिया हो साथ ही आदेशिकाओं में न्यायालय की मोहर और गोल मोहर लगानी चाहिए।
5. नियम 45 के अनुसार आदेशिकाओं में संबंधित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, व्यवसाय, पूर्ण पता आदि का पूर्ण विवरण अंकित करने का निर्देश है। आदेशिका लेखक का ध्यान नियम 45 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें बड़े स्थानों पर मकान नंबर, नगर पालिका वार्ड, मोहल्ला आदि स्पष्ट उल्लेखित करने के निर्देश हैं।
6. नियम 44 के अनुसार आदेशिकाएं न्यायालय की भाषा में जारी की जाना चाहिए। परन्तु जब आदेशिकाएं ऐसे न्यायालय को निर्वाह हेतु भेजी जाती है जहां कि भिन्न भाषा हो तब आदेशिका का हिन्दी अनुवाद प्रमाणित करके संलग्न करना चाहिए।

7. नियम 46 के अनुसार आदेशिका शुल्क कोर्ट फीस स्टॉम्प के रूप में दी जाना चाहिए नकद धन के रूप में नहीं दी जाना चाहिए। यह स्टॉम्प कागज पर लिखे ज्ञापन पर चिपका कर प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, पक्षकारों के नाम आदि का उल्लेख रहता है। आदेशिका लेखक का यह कर्त्तव्य है कि वह उक्त ज्ञापन की दूसरी प्रति पर आदेशिका शुल्क प्राप्त होने की पावती प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देवें।
8. आदेशिका लेखक का ध्यान नियम 42 से 48 की ओर आकर्षित कराया जाता है जिससे उसका पालन आदेशिका जारी करने में करना चाहिए।
9. आदेशिका लेखक का कर्त्तव्य है कि नियम 377 के अनुसार आदेशिका शुल्क और आदेशिका का रजिस्टर मेन्टेन करें और नियम 378 के अनुसार मनीआर्डर से प्राप्त डाईट मनी रजिस्टर भी मेन्टेन करें। साथ ही नियम 397 के अनुसार धन प्राप्ति पुस्तक को मेन्टेन करें और इन नियम में बतलाये अनुसार प्राप्त की गई राशि का प्रतिदिन उल्लेख करें और उस पर पीठासीन अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर करावे।
10. आदेशिका लेखक का कर्त्तव्य है कि वह नियम 377 से 389 तक उसके द्वारा मेन्टेन किये गये रजिस्टर को कार्यालय अधीक्षक या कार्यालय उप-अधीक्षक के समक्ष जांच के लिए रखें।
11. आदेशिका लेखक का यह कर्त्तव्य है कि वह म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 592 के अनुसार आदेशिका शुल्क एवं डाईट मनी रजिस्टर मेन्टेन करे जिसमें दाण्डिक प्रकरण संबंधी प्रोसेस में डाईट मनी का उल्लेख करें।
12. आदेशिका लेखक का यह कर्त्तव्य है कि वह नियम 467 के अनुसार डाक द्वारा भेजी गई आदेशिकाओं हेतु डाक बुक मेन्टेन करें।
13. आदेशिका लेखक का यह कर्त्तव्य है कि वह निर्वाहित या अनिर्वाहित प्राप्त आदेशिकाओं को तारीख वार एक पेड बनाकर रखें और एक दिन पूर्व ही प्रस्तुतकार की मदद से उन्हें संबंधित प्रकरण में संलग्न कर दे।
14. आदेशिका लेखक का यह कर्त्तव्य है कि वह जो भी प्रोसेस प्राप्त करें उसकी पावती अवश्य प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को उक्त नियम 46 के अनुसार देवें ताकि प्रोसेस पेश किया गया या नहीं यह प्रश्न उत्पन्न होने पर संबंधित पक्ष से उक्त रसीद की मांग की जा सकें और यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में प्रोसेस दिया गया था या नहीं।
15. यदि आदेशिका लेखक के पास एक से अधिक न्यायालय का कार्य है तो उसे प्रत्येक न्यायालय में उसके बैठने के समय के बारे में उसके पदस्थान पर एक छोटा बोर्ड लगा देना चाहिए ताकि प्रोसेस प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों/अभिभाषकों को असुविधा न हो साथ ही यदि वह एक न्यायालय में बैठे हो और दूसरे न्यायालय का प्रोसेस आ भी जाये तो यथा संभव उसे लेना चाहिए ताकि पक्षकारों को अनावश्यक असुविधा न हो।

•

बोर्ड प्यून के कर्तव्य

प्रत्येक न्यायालय में एक बोर्ड प्यून का पद होता है जिसके मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

1. पीठासीन अधिकारी/सिविल रीडर/क्रिमिनल रीडर/निष्पादन लिपिक के निर्देश पर पक्षकारों/साक्षियों की पुकार लगाना।
2. अन्य न्यायालयों में या कार्यालयों में डाक जमा करवाना।
3. फर्दाश से न्यायालय की सफाई करवाना या स्वयं सफाई करना।
4. स्वीपर से न्यायालय का टायलेट साफ करवाना।
5. बोर्ड प्यून का यह कर्तव्य है कि वह बोर्ड को, न्यायाधीश महोदय के चेम्बर को और न्यायालय कक्ष को साफ-सुथरा रखने में उक्त कर्मचारियों के साथ सहयोग बनाकर कार्य करें।

•

ग्रंथपाल या लाइब्रेरियन के कर्तव्य

प्रत्येक जिला न्यायालय में एक मुख्य ग्रंथालय या लाइब्रेरी रहती है प्रायः ग्रंथपाल या लाइब्रेरियन को ही फार्म एवं स्टेशनरी का चार्ज भी सौंपा जाता है। ग्रंथपाल के निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

1. पुस्तकों को उचित रीति से सूची या कैटलॉग बनाकर व्यवस्थित करना।
2. जर्नलस के वाल्यूम को वर्ष के अंत में यथासंभव यथाशीघ्र बाईंडिंग कार्यवाही प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उनके निर्देशों में पूर्ण करवाना।
3. विभिन्न न्यायालयों द्वारा मांगी जाने पर विधि पुस्तकें नियमानुसार इशू करना और ये देखना कि वे वापस प्राप्त हों और उचित स्थान पर रखी जावें इस संबंध में ग्रंथपाल का ध्यान म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 689 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें विधि पुस्तकें इशू करने पर पेन्सिल से इंड्राज करने व पुस्तक वापस प्राप्त होने पर उस इन्द्राज को काट देने के निर्देश हैं।
ग्रंथपाल इस संबंध में इशू की गई पुस्तकों के बारे में एक पृथक पंजी भी रख सकते हैं।
4. ग्रंथपाल को विषयवार विधि पुस्तकों को पृथक रखना चाहिए और जर्नलस को पृथक रखना चाहिए ताकि कोई भी पुस्तक ढूढ़ने में अधिक समय न लगे।
5. जर्नलस को वर्षवार जमाना चाहिए।
6. ग्रंथपाल को एक सूची रखना चाहिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि कौन -कौन से जर्नलस लाइब्रेरी में किस वर्ष से किस वर्ष तक के उपलब्ध हैं ताकि सूची देखते ही यह पता लग जावे कि कोई जर्नलस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं या नहीं।

7. यदि किसी न्यायालय को कुछ विधि पुस्तकें स्थाई रूप से इशू कर दी गई हैं तो इस बाबत केटलॉग में न्यायालय का नाम और स्थाई रूप से पुस्तक इशू करने का नोट लगाया जाना चाहिए।
8. ग्रंथपाल का ध्यान नियम 692 म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक की ओर दिलवाया जाता है जिसमें प्रत्येक पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कार्यालय की मुद्रा लगाने, पुस्तक का सूची क्रमांक लिखने आदि के निर्देश हैं। ग्रंथपाल को नियम 692 के अनुसार संशोधन को संबंधित पुस्तक के उचित स्थान पर लगाना चाहिए।
9. यदि कोई जर्नल्स प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित प्रकाशक को प्रभारी अधिकारी के माध्यम से स्मरण पत्र भेजना चाहिए।
10. ग्रंथपाल का ध्यान नियम 685 से 695 म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक की ओर दिलवाया जाता है जिसके अनुसार ग्रंथालय या लाइब्रेरी को रखा जाना चाहिए।
11. जैसे ही कोई जर्नल्स प्राप्त होता है उसे अवलोकन के लिए समस्त न्यायाधीशगण के पास बारी-बारी रखना चाहिए। प्रभारी अधिकारी महोदय से इस बारे में निर्देश लिये जा सकते हैं कि किस क्रम में न्यायाधीश गण के सामने जर्नल्स रखा जाना है जैसे वरिष्ठता के क्रम में या संयुक्त बैठक के समय। यह ग्रंथपाल का कर्तव्य है कि वह जो भी जर्नल्स आते हैं उन्हें सभी न्यायाधीशगण के सामने अवलोकनार्थ अवश्य रखें।
12. ग्रंथपाल को समय-समय पर केटलॉग से विधि पुस्तकों को और अन्य पुस्तकों को मिलाते रहना चाहिए और यदि कोई कमी पाई जाये तो नियम 694 एवं नियम 693 म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
13. ग्रंथपाल का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह विधि पुस्तकों को और जर्नल्स को दीमक से बचाये और सुरक्षित रखे और इसके लिए हर संभव उपाय करे।
14. यदि ग्रंथपाल या लाइब्रेरियन के पास फॉर्मस एवं स्टेशनरी का भी चार्ज है तो उसे नियम 557 म.प्र. सिविल न्यायालय नियम, 1961 में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए जिसके अनुसार फार्म को उचित अभिरक्षा में रखना और उचित समय पर फॉर्मस् के लिए मांग पत्र भेजना आदि निर्देश हैं।
15. नियम 558 के अनुसार लिखित मांग पत्र प्राप्त होने पर ही फार्म इशू करना चाहिए। ग्रंथपाल का ध्यान नियम 557 से 564 म.प्र. सिविल न्यायालय नियम, 1961 की ओर दिलाया जाना चाहिए जिनमें लेखन सामग्री, फॉर्मस, स्टेशनरी के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।
16. यदि ग्रंथालय में ऐसे खराब हो चुके फॉर्म पड़े हैं जिनका अब कोई उपयोग न हो सकता हो तो इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाते हुये उनके निर्देशानुसार कार्यवाही करना चाहिए।

17. जो भी फॉर्म या स्टेशनरी इशू की जाती है उसका एक रजिस्टर रखना चाहिए और जिस कर्मचारी को वह इशू की जा रही है उससे रसीद लेना चाहिए।
18. ग्रंथपाल का ध्यान नियम 558 म.प्र. सिविल न्यायालय नियम, 1961 की टिप्पणी की ओर दिलाया जाना चाहिए जिसके अनुसार नये फॉर्म राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से ही छापे जा सकते हैं और ज्यूडीशियल फॉर्मस में कोई भी परिवर्तन रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को आवेदन देकर और उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है।
19. ग्रंथपाल को फॉर्मस एवं स्टेशनरी न्यायालयों की संख्या विगत वर्ष उपयोग की स्थिति को देखते हुये इतनी मात्रा में मंगवाना चाहिए कि किसी भी दशा में किसी भी न्यायालय के कार्य में फॉर्म एवं स्टेशनरी के कारण रूकावट न आवे।



अभिलेखापाल या रिकॉर्ड कीपर के कर्तव्य

प्रत्येक जिले में एक जिला अभिलेखागार या रिकॉर्ड रूम होता है कुछ स्थानों पर तहसील में भी अभिलेखागार होते हैं। जिले में जिला अभिलेखापाल या जिला रिकॉर्ड कीपर रहता है तहसीलों में सहायक अभिलेखापाल होते हैं। इनके कर्तव्य दीवानी एवं आपराधिक दोनों प्रकार के निराकृत प्रकरणों के अभिलेख को लेकर होते हैं अतः इनके कर्तव्यों को दोनों मामलों के लिए पृथक-पृथक अध्ययन करेंगे।

व्यवहार या दीवानी के मामले में अभिलेख का अभिरक्षण या कस्टेडी

1. जब निर्धारित सूचियों सहित अभिलेख रिकॉर्ड रूम में प्राप्त होता है तब रिकॉर्ड कीपर यह जांच करेंगे कि क्या अभिलेख सूची प्रविष्टि के अनुसार है और उसको उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। अनुक्रमणिका अनुसार प्रपत्र संलग्न होने की जांच भी करेंगे और कोई भी अनियमितता पाई जाने पर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जिला न्यायाधीश महोदय को प्रतिवेदन देंगे। रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 343 म.प्र. सिविल न्यायालय नियम 1961, जिन्हें आगे केवल नियम कहा जायेगा, की ओर दिलाया जाता है।
2. रिकॉर्ड कीपर का यह भी कर्तव्य है कि वह यह जांच करें की अनुक्रमणिका या टेबल ऑफ कन्टेन्ट्स में दर्शाये अनुसार कोर्ट फीस लगी है और वह उचित रूप से पंच है और कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसे प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जिला न्यायाधीश महोदय को प्रतिवेदन देंगे साथ ही कोर्ट फीस को नियम 344 के अनुसार कैंसल करेंगे यदि कोर्ट फीस के असली होने के बारे में कोई संदेह हो या उसे पुनः उपयोग में लाई गई हो तो उसका प्रतिवेदन न्यायालय अधीक्षक को देंगे।
3. नियम 340 के अनुसार अभिलेख निर्धारित सूचियों में रिकॉर्ड रूम में भेजे जाने चाहिए और यदि नहीं भेजे गये हैं और कोई अभिलेख रोका गया है तो प्रस्तुतकार या अन्य अधिकारी

जिसके अभिलेख में अभिलेख रखा गया है उसके हस्ताक्षर अभिलेखागार पंजी के कालम नं. 7 में लेना चाहिए रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 346 की ओर इस संबंध में दिलवाया जाता है।

- रिकॉर्ड कीपर प्रत्येक माह की 10 तारीख को न्यायालय अधीक्षक के समक्ष अपना प्रतिवेदन इस संबंध में प्रस्तुत करेंगे की ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो विगत माह में ही रिकॉर्ड रूम में प्राप्त हो जाना चाहिए थे और जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं न्यायालय अधीक्षक इस प्रतिवेदन को जिला न्यायाधीश महोदय को उचित आदेश के लिए रखते हैं। रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 347 की ओर दिलाया जाता है। इस नियम के कठोर पालन से प्रत्येक न्यायालय का अभिलेख समय पर रिकॉर्ड रूम में जमा होने लगता है।

- रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 348 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अपीलों का रिकॉर्ड तथा निष्पादन कार्यवाहियों का रिकॉर्ड मूल वादों के साथ रखे जाते हैं। लेकिन उन्हें मूल वादों की फाइल के साथ संलग्न नहीं किया जाता है। इस नियम का पालन किया जाना चाहिए।

ऐसे निष्पादन कार्यवाहियाँ जो अन्य जिलों से निष्पादन हेतु प्राप्त होती हैं उनके अभिलेख रिकॉर्ड रूम में एक पृथक बंडल में रखे जाते हैं। जिस पर "अन्य जिलों द्वारा निराकृत वादों के निष्पादन" का लेबल पृथक बंडल पर लगाया जाना चाहिए।

- रिकॉर्ड रूम में बस्ते या बंडल बनाने में समानता रहे इसके लिए नियम 349 में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिनका पालन रिकॉर्ड कीपर द्वारा किया जाना चाहिए ताकि स्थान की बचत हो सके नियम 349 में बस्तों के समूह बनाने संबंधी भी निर्देश दिये गये हैं। नियम 349 के अनुसार बस्तों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाला कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए की उससे अभिलेख या रिकॉर्ड पूरी तरह ढंक जाये इस नियम में ऐसे कपड़े के एक सिरे में समुचित लंबाई का एक मजबूत धागा बांधे जाने का भी निर्देश है ताकि बस्ते को कस कर लपेटे तो रिकॉर्ड धूल से बच सकता है। इस नियम में बस्ते को बांधने के भी निर्देश हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए।

नियम 349 में ही प्रत्येक बस्ते पर एक लेबल लगाने के निर्देश है जिस लेबल पर 1. न्यायालय का पद जैसे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 या प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, 2. निराकृत होने का माह और वर्ष, 3. अभिलेखागार क्रमांक या रिकॉर्ड रूम नं. दर्ज करना चाहिए।

नियम 349 के उपनियम 1 से 10 का सभी रिकॉर्ड कीपर को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और इनमें दिये निर्देशों के अनुसार भी रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड बस्ते बनाकर रखना चाहिए।

- जब रिकॉर्ड रूम से कोई रिकॉर्ड किसी कारण से हटाया जाता है तब रिकॉर्ड कीपर निर्धारित प्रारूप में एक ज्ञापन या मेमो संबंधित बस्ते में हटाये गये रिकॉर्ड के स्थान पर रखेंगे और सिविल अभिलेखों की प्रेषण की अभिलेखागार पंजी में जिस मामले में वह रिकॉर्ड भेजा गया है उसका प्रकरण क्रमांक, पक्षकारों के नाम, न्यायालय या अधिकारी का पद जिसे वह भेजा गया है, अभिलेख हटाने की तारीख लिखेंगे और पंजी के संबंधित कालम में प्राप्त कर्ता न्यायालय या अधिकारी के लिपिक के हस्ताक्षर लेंगे और जब वह रिकॉर्ड वापस प्राप्त हो जाता है तो उस पंजी में वापसी की तारीख अंकित करेंगे।
रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 350 की ओर दिलवाया

जाता है। जिसका कठोरता से पालन करने से रिकॉर्ड रूम से कोई भी रिकॉर्ड गुमने की संभावना नहीं रहती है और कोई रिकॉर्ड क्यों और कहां गया है इसका इस नियम के पालन से तत्काल पता लग जाता है।

8. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 351 की ओर दिलाया जाना चाहिए जिसके अनुसार रिकॉर्ड कीपर को प्रत्येक तीन माह या प्रत्येक क्वार्टर के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप में एक सूची बनाकर न्यायालय अधीक्षक के माध्यम से जिला न्यायाधीश महोदय को भेजना चाहिए जिस सूची में पिछले तीन माह में चार माह से अधिक समय से रिकॉर्ड रूम से बाहर गये रिकॉर्ड का उल्लेख किया जाना चाहिए अभिलेख चाहे अपील में गया हो या चाहे अन्य कारण से गया हो उसका उल्लेख इस सूची में होना चाहिए। इस नियम का कड़ाई से पालन करने से हर तीन माह में यह पता लगता रहता है कि कौन से रिकॉर्ड लंबे समय से वापस प्राप्त नहीं हुये हैं और उनके बारे में आवश्यक निर्देश भी लिये जा सकते हैं।
9. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 352 की ओर दिलवाया जाता है। जिसके अनुसार नियम 340 में वर्णित सूचियों की वर्ष के अंत में जिल्द बनाने के निर्देश हैं ऐसी जिल्द रिकॉर्ड रूम में पंजियों के रूप में काम आती हैं।
10. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 353 की ओर दिलवाया जाता है जिसमें रिकॉर्ड रूम में जमा किये गये रजिस्टर को दर्ज किया जाता है इसे "अभिलेखागार में जमा की गई पंजियों का रजिस्टर" कहा जाता है। यह रजिस्टर तीन भाग में होता है इसके प्रथम भाग में स्थायी रूप से रखे जाने वाले न्यायालय के रजिस्ट्रों की सूची रहती है जबकि भाग दो में निर्धारित काल के पश्चात् नष्ट किये जाने वाले रजिस्टर की सूची रहती है और भाग तीन में अभिलेखागार पंजियों की सूची रहती है। भाग 2 को भी पंजियों के सुरक्षित रखने की अवधि के अनुसार 9 भागों में बांटा जाता है जिसमें 35 वर्ष से 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने वाले पंजियों को वर्ग ए से वर्ग आई तक अलग-अलग वर्ग में बांटा जाता है।
जब भी कोई रजिस्टर रिकॉर्ड रूम में प्राप्त होता है तब उनकी प्रविष्टि भाग 1 या भाग 2 जिससे भी संबंधित हो उसमें की जाती है।
11. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 353 की ओर और इसके पालन की ओर दिलवाया जाता है ताकि रिकॉर्ड रूम में जमा पंजियां सही रूप से पंजीबद्ध हो समय पर उनका विनिष्टिकरण हो सके।

अभिलेखों का परिरक्षण और उन्हें नष्ट किया जाना

1. लघुवाद न्यायालय में और एम जे सी प्रकरणों के अलावा अन्य अभिलेख में विभिन्न फाइल को सुरक्षित रखने की अवधि निम्न प्रकार से होती है:-
फाइल ए हमेशा के लिए सुरक्षित रखी जायेगी ।
फाइल ए-1 12 वर्ष समाप्त होने पर नष्ट कर दी जायेगी।
फाइल बी 25 वर्ष समाप्त होने पर नष्ट कर दी जायेगी।

फाइल सी 12 वर्ष समाप्त होने पर नष्ट कर दी जायेगी।

फाइल डी 1 वर्ष समाप्त होने पर नष्ट कर दी जायेगी।

उक्त कालावधि की गणना वाद या वर्ग एक से तीन के प्रकरणों में अंतिम डिक्री या अंतिम आदेश के दिनांक से की जायेगी और जिन प्रकरणों में अपील प्रस्तुत की गई उनमें अपील न्यायालय द्वारा दी गई अंतिम डिक्री या अंतिम आदेश के दिनांक से की जायेगी। किन्तु जिन प्रकरणों में डिक्री में या किसी वाद के आदेश में धन के भुगतान या संपत्ति के लिए या दिये जाने हेतु कोई भविष्य की तिथि नियत की गई हो या उसमें कोई मध्यांतरों का भी निर्देश हो तो ऐसी नियत तिथि या ऐसे अंतिम मध्यांतर की समाप्ति से अवधि की गणना की जायेगी।

वर्ग चार के प्रकरणों में समयावधि की गणना निष्पादन आवेदन के निपटारे की तिथि से की जाती है प्रत्येक निष्पादन एक पृथक आवेदन माना जाता है जो ऐसे मामले में दिया गया हो अर्थात् अंतिम निष्पादन आवेदन के निपटारे से गणना करना होती है।

2. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 354 के उपनियम 4 की ओर भी दिलाया जाना चाहिए जिसमें भारी और स्थूल एकजीबिट दस्तावेज हिसाब पुस्तकें आदि जो पृथक संदूक या अलमारी में रखे होते हैं उनके विनिष्टकरण के बारे में पक्षकारों का सूचना देने के बाद विनिष्टिकरण के निर्देश दिये गये हैं। प्रायः रीडर और रिकॉर्ड कीपर दोनों का ऐसे दस्तावेजों पर ध्यान नहीं जाता है और ये अलग ही पड़े रह जाते हैं अतः इस नियम का पालन किया जावे और ऐसे रिकॉर्ड के विनिष्टिकरण पर भी ध्यान दिया जावे।
3. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान फाइल डी के प्रतिमाह विनिष्टिकरण के लिए बने नियम की ओर दिलवाया जाता है जिस संबंध में नियम 354 के उपनियम 5 में प्रावधान है।
4. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 354 के उपनियम 6 और 7 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें विनिष्टिकरण हेतु मूल अभिलेख से कोई भाग निकालने और न्यायाधीश के देख-रेख में ही विनिष्टिकरण करने के निर्देश हैं।
5. एम.जे.सी. या विविध प्रकरणों का भी अभिलेख निराकरण तिथि से तीन वर्ष के समाप्त होने पर करने के निर्देश नियम 354 के उपनियम 8 में हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए।
6. नियम 354 के उपनियम 9 में लघुवाद न्यायालय के अभिलेख के विनिष्टिकरण करने के अवधि और प्रक्रिया का प्रावधान है। जिसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जबकि नियम 354 के उपनियम 10 में पंजियों को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधान हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।
7. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 355 की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से रिकॉर्ड कीपर को एक नक्शा या प्लान तथा एक निर्देशक सूची या इंडेक्स रखने के निर्देश हैं जिसमें अलमारियों की संख्या उनकी स्थिति और रिकॉर्ड रूम में रखे गये बस्तों की संख्या और उनकी व्यवस्था बतलाने के निर्देश है तथा इस इंडेक्स को प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में पुनरीक्षित या रिवाईज करने के निर्देश हैं।

नियम 355 के कड़ाई से पालन करने से किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड रूम में प्रविष्ट होते ही उसे नक्शा या प्लान और इंडेक्स देखकर यह पता लग सकता है कि रिकॉर्ड रूम में कितनी अलमारियां, कितने बंडल हैं वे कहां और किस क्रम में रखे हैं। नक्शे और इंडेक्स में वर्षवार और न्यायालयवार जानकारी भी दर्शाई जाना चाहिए। प्लान और इंडेक्स पूरी रिकॉर्ड रूम के आईने की तरह होते हैं अतः इन्हें बहुत सावधानी से और कठोर परिश्रम से सुस्पष्ट बनाना चाहिए।

8. रिकॉर्ड कीपर का यह कर्तव्य है कि न केवल अभिलेखों को उचित रीति से सुरक्षित रखे बल्कि उनके विनिष्टिकरण की अवधि आने पर उन्हें नियमानुसार नष्ट भी करे ताकि नये रिकॉर्ड के लिए जगह बनती जाये रिकॉर्ड कीपर का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड को दीमक से बचाये और इसके लिए दीमक रोधी उपाय प्रभारी अधिकारी के निर्देश पर किये जावे समय-समय पर अलमारी और रैक की जांच करना भी आवश्यक है रिकॉर्ड रूम में अग्निशमन यंत्र अवश्य हो, रिकॉर्ड रूम में बिजली की व्यवस्था की समय समय पर ऐसी जांच करवानी चाहिए कि शार्ट सर्किट आदि की संभावना न रहे।
9. रिकॉर्ड कीपर का पद अत्यंत उत्तरदायित्व का पद है अतः रिकॉर्ड कीपर को इस दायित्व को समझते हुये उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

•

अभिलेखों का निरीक्षण

1. रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 356 से 368 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें अभिलेखों के निरीक्षण के बारे में आवश्यक प्रावधान है। इसके लिए रिकॉर्ड रूम में निराकृत अभिलेख का निरीक्षण करवाया जाता है जिसके लिए नियम 359 के अनुसार निरीक्षण पुस्तिका रखी जाती है निरीक्षण के समय केवल पेन्सिल का उपयोग होना चाहिए स्याही या बॉल पेन का उपयोग नहीं किया जा सकता है जैसा कि नियम 364 में प्रावधान है।
2. मूल अभिलेख में कोई निशान नहीं लगाया जा सकता है। निरीक्षण रिकॉर्ड कीपर को अपनी देख-रेख में करवाना चाहिए नियमानुसार निरीक्षण शुल्क नियम 360 एवं 362 के अनुसार वसूला जाना चाहिए। निरीक्षण की पंजी रखना और नियमानुसार निरीक्षण करवाना यह प्रथाएं समाप्त सी हो गई हैं इन्हें फिर से प्रारंभ करवाया जाना चाहिए और अनाधिकृत रूप से किसी भी पक्षकार या अभिभाषक को अभिलेख का निरीक्षण नहीं करवाना चाहिए।

लोक अभियोजक की ओर से उसका अधिकृत लिपिक निरीक्षण कर सकता है जैसा कि नियम 363 की टिप्पणी से स्पष्ट है।

सिविल रीडर/क्रिमनल रीडर/निष्पादन लिपिक भी अभिलेखों के निरीक्षण के इन नियमों को ध्यान में रखें।

•

दाण्डिक या फौजदारी के मामले में

रिकॉर्ड कीपर का ध्यान म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 476 से 544 जिन्हें आगे फौजदारी नियम कहा जायेगा की ओर दिलवाया जाता है जिनमें अभिलेखों और अन्य प्रपत्रों का अभिलेखागार में भेजा जाना उनका विनष्टिकरण और निरीक्षण के बारे में आवश्यक प्रावधान है और दाण्डिक मामलों के रिकॉर्ड की अभिरक्षा के बारे में इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कुछ प्रमुख नियम और निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. सभी प्रकार के निराकृत आपराधिक प्रकरणों का अभिलेख अभिलेखागार या रिकॉर्ड रूम में जमा होता है। रिकॉर्ड कीपर का यह कर्तव्य है कि वह सूचियों से मिलान कर के प्रकरणों को विधिवत जांच करके रिकॉर्ड रूम में जमा करे।
2. कार्यवाहियां सामान्यतः तीन भागों में विभक्त की जाती हैं प्रथम, प्रारंभिक मामले, द्वितीय, विविध न्यायिक कार्यवाहियां या एम. जे सी और तृतीय, विविध न्यायिकेत्तर कार्यवाहियां या मिसलेनियस नॉन-ज्यूडिशियल प्रोसेडिंग।
एम जे सी की सूची नियम 575 फौजदारी में दी गई है अतः उस सूची में से संबंधित प्रकरण विविध न्यायिक कार्यवाही के भाग में आते हैं। विविध न्यायिकेत्तर कार्यवाही का उल्लेख नियम 482 फौजदारी के उपनियम 1 में किया गया है अतः वे प्रकरण इस भाग में आते हैं जबकि प्रारंभिक मामले में सभी मूल फौजदारी प्रकरण आते हैं इस संबंध में नियम 477 फौजदारी को ध्यान में रखा जावे जिसमें उक्त विभाजन बतलाया गया है।
3. ऐसे दस्तावेज जो जाली हों या जिनके जाली होने का संदेह हो तथा ऐसे दस्तावेज जिन्हें विशेष अभिरक्षा में रखा जाता है वे एक पृथक से सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड रूम में भेजे जाते हैं रिकॉर्ड कीपर का यह कर्तव्य है कि इन दस्तावेजों को एक विशेष बक्से में रखकर ताला लगाकर रखें साथ ही मूल अभिलेख में इस बात की प्रविष्टि की जावे की दस्तावेज किस विशेष बक्से में रखे गये हैं साथ ही संबंधित बक्से पर भी एक स्लिप चिपकाकर प्रकरण क्रमांक, पक्षकारों के नाम, निर्णय दिनांक, न्यायालय का नाम आदि उल्लेख किया जावे इस संबंध में नियम 483 फौजदारी की पालना कि जावे।
4. नियम 486 और 487 फौजदारी में रिकॉर्ड रूम में निराकृत प्रकरणों का रिकॉर्ड निराकरण तारीख के अनुसार रखे जाने के निर्देश हैं जिनका पालन किया जावे।
5. नियम 489 के अनुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख को या सेशन जज महोदय द्वारा नियत तारीख को रिकॉर्ड कीपर ये जानकारी देंगे की संबंधित न्यायालयों से गत माह में निराकृत अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं या उनमें से कुछ अभिलेख रोके गये हैं। रिकॉर्ड कीपर का यह दायित्व है कि वह यह जानकारी आवश्यक रूप से प्रभारी अधिकारी महोदय के माध्यम से सेशन जज महोदय के समक्ष प्रस्तुत करे जिन न्यायालयों से अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है वहां प्रभारी अधिकारी महोदय के माध्यम से पत्र भिजावे।

6. नियम 490 फौजदारी के अनुसार रिकॉर्ड जमा हो जाने पर उसको रिकॉर्ड रूम में आपराधिक पंजी में पंजीकृत करने के प्रावधान हैं अतः रिकॉर्ड कीपर का यह कर्तव्य है कि वह पंजीकरण का कार्य इस प्रकार करे की जमा हुआ कोई भी अभिलेख अनुचित विलंब के बिना पंजीकृत हो जावे।
अपील एवं पुनरीक्षण का अभिलेख पृथक से पंजीबद्ध नहीं किया जाता है और मूल अभिलेख अर्थात् मूल प्रकरण के साथ ही रखा जाता है और मूल रजिस्टर में इस बाबत प्रविष्टि की जाना चाहिए।
नियम 491 फौजदारी को विलंब से प्राप्त अभिलेख के पंजीकरण के समय ध्यान रखना चाहिए साथ ही नियम 492 फौजदारी के निर्देशों को भी पंजीकरण के समय ध्यान रखा जाना चाहिए।
7. यदि कोई अभिलेख रिकॉर्ड रूम में आपराधिक मामलों की पंजी में पंजीकृत होने के पूर्व ही रिकॉर्ड रूम से बाहर भेजा जाता है तब उस अभिलेख के स्थान पर एक मेमोरेण्डम उचित प्रारूप में रखा जावेगा। इस मेमोरेण्डम में प्रकरण क्रमांक, प्रकरण का शीर्षक न्यायालय का नाम, निराकृत दिनांक आदि तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए इस संबंध में नियम 493 फौजदारी के निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए।
8. पंजीकरण पूर्ण हो जाने पर नियम 494 फौजदारी के अनुसार अभिलेखों को कपड़े के बस्ते में बंडल बनाकर रखा जाता है प्रत्येक बस्ते पर बंडल क्रमांक, माह और वर्ष जिसमें की प्रकरण निराकृत किये गये, अभिलेखों को दिया गया पंजीकरण पंजी का क्रमांक नियम 494 में बतलाई विधि के अनुसार लिखा जाता है।
9. नियम 495 फौजदारी में बस्ते बनाने की विधि पर प्रकाश डाला गया है और उनके आकार का भी वर्णन किया गया है तथा बंडल बनाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले कपड़े के बारे में भी विवरण है इन निर्देशों का अभिलेखों के बस्ते बनाते समय कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि रिकॉर्ड रूम में स्थान का अधिकतम उपयोग हो सके बस्ते एवं अभिलेख सुरक्षित रहे। रिकॉर्ड को धूल आदि से बचाया जा सके। अतः रिकॉर्ड कीपर का यह कर्तव्य है कि नियम 495 फौजदारी का कड़ाई से पालन करे।
10. जब किसी बस्ते या बंडल में से कोई अभिलेख या अभिलेख का कोई भाग विनिष्टिकरण के लिए या एलिमिनेशन के लिए हटाया जाता है तब उन बस्तों या बंडल को फिर इस प्रकार बनाया जाता है कि नियम 495 में दिया गया आकार आ जावे और इस तरह अभिलेखों का फिर से एकीकरण या रि-गुपिंग की जाती है ताकि बस्ते या बंडल का आकार एक समान रहे।
11. नियम 497 फौजदारी के अनुसार जब कोई अभिलेख किसी भी कारण से रिकॉर्ड रूम से हटाया जाता है तब रिकॉर्ड कीपर निर्धारित प्रारूप में उस बंडल में एक मेमोरेण्डम रखेंगे जिसमें प्रकरण क्रमांक, पक्षकारों के नाम, उस न्यायालय या अधिकारी का नाम जिसके यहां से वह रिकॉर्ड मंगवाया गया है, रिकॉर्ड हटाने की तारीख का उल्लेख किया जावेगा इस ज्ञापन के साथ संबंधित ज्ञापन का मांग पत्र भी रखा जा सकता है इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे और जब भी रिकॉर्ड वापस प्राप्त होता है तब उसे उचित स्थान पर रखा जावे।

12. नियम 498 फौजदारी के अनुसार दो माह से अधिक समय से बाहर गये अभिलेख की एक सूची रिकॉर्ड कीपर बनाकर प्रभारी अधिकारी के समक्ष रखेंगे। इसका प्रयोजन यह होता है कि वे रिकॉर्ड जो अन्य न्यायालय से तलब किये गये थे या मंगवाये गये थे उन पर नजर रहे और उनको मंगवाने का भी ध्यान रहे।
13. नियम 499 फौजदारी में यदि कोई अभिलेख या उसका भाग गुम जाता है तो उसका प्रतिवेदन तत्काल देने के प्रावधान है इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
14. नियम 500 फौजदारी के अनुसार रिकॉर्ड कीपर एक मानचित्र तथा अनुक्रमणिका या प्लान और इंडेक्स तैयार करके रखेंगे जिसमें रैको की संख्या बंडल का क्रम अंकित होगा।
यह प्लान और इंडेक्स इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि उसे देखते ही यह पता लग जावे की रिकॉर्ड रूम में कौन सा रिकॉर्ड कहा और किस क्रम में रखा है यह प्लान और इंडेक्स रिकॉर्ड रूम के आईने की तरह होना चाहिए जिसे देखते ही एक नजर में रिकॉर्ड रूम का पूरा नक्शा समझ में आ जावे।
रिकॉर्ड कीपर का ध्यान नियम 500 की ओर आकर्षित किया जाता है इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे और प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में इस इंडेक्स में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।
नियम 501 के अनुसार रिकॉर्ड कीपर का यह कर्तव्य है कि न्यायालयशुल्क मुद्रांक या कोर्ट फीस के कॅंसिलेशन में कार्यवाही करें और इस नियम 556 फौजदारी में दिये गये न्यायालयशुल्क स्टाम्प के कॅंसिलेशन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
15. रिकॉर्ड रूम में जमा होने वाली पंजियां या रजिस्टर का इंड्राज नियम 502 फौजदारी के अनुसार करना चाहिए और नियम 503 फौजदारी के अनुसार यह पंजी तीन भागों में विभक्त करना चाहिए उन पंजियों की सूची जो 50 वर्ष तक सुरक्षित रखना है, उन पंजियों की सूची जिन्हें 50 वर्ष के अलावा अन्य अवधि के लिए सुरक्षित रखना है तथा नियम 510 के भाग तीन में उल्लेखित अभिलेखागार में जमा की गई पंजियों की पंजी। इस प्रकार तीन भाग में इस पंजी को विभाजित करना चाहिए।
16. नियम 504 फौजदारी के अनुसार द्वितीय भाग अर्थात् 50 वर्ष से अन्य अवधि के लिए सुरक्षित की जाने वाली पंजियों के भाग को पुनः चार भागों में विभक्त करना चाहिए:—
1. ऐसी पंजियां जो 14 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाना है।
 2. ऐसी पंजियां जो 6 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाना है।
 3. ऐसी पंजियां जो 3 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाना है।
 4. ऐसी पंजियां जो 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाना है।
17. नियम 505 फौजदारी में प्रथम और द्वितीय भाग के विभाजन के बारे में निर्देश दिये गये हैं और उनकी जिल्द बनाने के बारे में निर्देश दिये गये हैं ऐसे ही निर्देश 506, 507 और 508 में भी दिये गये हैं जो पंजियों की पंजी को मेन्टेन करने के बारे में है जिनका पालन किया जाना चाहिए।

18. नियम 510 में उल्लेखित पंजियां रिकॉर्ड रूम में जमा होती है अतः इस नियम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
19. नियम 511 से 517 फौजदारी के अनुसार सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय के रिकॉर्ड जमा होने संबंधित निर्देश हैं जो उक्त नियमों के अनुरूप ही हों और इन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अभिलेखों का नष्ट किया जाना

20. अध्याय 20 के नियम 518 से 531 अभिलेख के नष्टीकरण के बारे में हैं जिन्हें रिकॉर्ड कीपर द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हीं नियमों के अनुसार अभिलेख का विनष्टिकरण करना चाहिए ताकि रिकॉर्ड रूम में नये रिकॉर्ड के लिए स्थान बनता रहे व विनष्टिकरण का कार्य भी लंबित न रहे। विनष्टिकरण का कार्य प्रभारी अधिकारी महोदय के उपस्थिति में और उनके निर्देशों के अनुरूप ही करना चाहिए। विनष्टिकरण के पूर्व रिकॉर्ड की बारीकी से छानबीन कर लेना चाहिए यह भी देख लेना चाहिए जो भाग या पार्ट वे नष्ट कर रहे हैं उसमें कहीं त्रुटिवश अन्य भाग का प्रपत्र तो नहीं लगा है नियम 441 से नियम 475 में किसी भी दाण्डिक अभिलेख में किस भाग या फाईल में कौन से प्रपत्र रखे जाते हैं इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिसे विनष्टिकरण के समय ध्यान रखा जावे क्योंकि प्रपत्र को किसी फाइल या भाग में रखने में मानवीय त्रुटि संभावित होती है अतः विनष्टिकरण के पूर्व रिकॉर्ड कीपर को अत्यंत सावधानी से कार्य करना चाहिए।
21. नियम 518 फौजदारी के अनुसार नस्ती बी या फाइल बी के प्रपत्र 6 माह की अवधि के पश्चात् नष्ट किये जाते हैं अवधि की गणना अंतिम आदेश से की जाती है जो प्रारंभिक न्यायालय का अपील या पुनरीक्षण न्यायालय का होता है जो भी अंतिम आदेश हो वहां से अवधि की गणना करना चाहिए।
नियम 518 में विभिन्न प्रकार के मामलों के अभिलेख के विनष्टिकरण की अवधि दी गई है जिसे ध्यान में रखना चाहिए।
22. दण्डादेश के समाप्ति के पूर्व या कारावास से दण्डित व्यक्ति के मृत्यु के पूर्व, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक नस्ती ए या फाइल ए नष्ट नहीं की जाती है।
23. नियम 520 को मानसिक रूप विकृत्तचित्त व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों जिनका की उल्लेख इस नियम में किया गया है उनके मामले में नस्ती ए का नष्ट करने में ध्यान में रखा जावे।
24. नियम 521 फौजदारी को बाल विवाह निषेध अधिनियम के मामले जिनमें की निषेधाज्ञा दी गई है उनकी नस्ती ए का नष्ट करते समय ध्यान में रखा जावे।
25. नियम 522 फौजदारी के प्रावधान की कड़ाई से पालना की जावे जिसमें भा.दं.सं. के अध्याय 12 या 17 के मामले अर्थात् "सिक्को और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में" धारा 230 से 263 ए भा.दं.सं. तथा "संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में" धारा 378 भा.दं.सं. धारा 462 भा.दं.सं. के मामले जिनमें की तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से

दण्डनीय अपराध हो तब टाइटल पेज, आरोप पत्र, निर्णय दण्डादेश अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश तब तक सुरक्षित रखे जावेंगे जब तक की दोषी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना ज्ञात न हो जावे।

यदि किसी मामले में कोई अभियुक्त पकड़ा न जा सका है या फरार है उसकी पंजी ए तब तक सुरक्षित रखी जावेगी जब तक उसकी मृत्यु हो जाना ज्ञात न हो जावे या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का संबंधित न्यायालय का आगे आशय न बचा हो इस संबंध में नियम 522 के उपनियम 2 की कड़ाई से पालन की जावे संबंधित पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से आरोपी फरार ऐसा लिख लिया जाना चाहिए ताकि त्रुटिवश अभिलेख विनिष्टिकरण में न आ जावे।

धारा 125 दं.प्र.सं., 1973 के मामलों की नस्ती ए जिनमें की भरण पोषण का आदेश दिया गया है तब तक सुरक्षित रखी जावेगी जब तक की प्रार्थी की या जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश दिया गया है उसकी मृत्यु होना ज्ञात न हो जावे या दायित्व समाप्त न हो जावे या कोई अवशेष वसूली आगे भी नहीं होना हो इस संबंध में नियम 522 के उपनियम 3 का कड़ाई से पालन किया जावे।

26. नियम 523 फौजदारी के अनुसार नियम 520 और 522 फौजदारी में उल्लेखित मामले को अंतिम आदेश की तारीख से 20 वर्ष के बाद परीक्षण करने के प्रावधान हैं अतः रिकॉर्ड कीपर का यह कर्तव्य है कि वह इन मामलों की अंतिम आदेश के 20 वर्ष पश्चात् सूची बनाकर प्रभारी अधिकारी महोदय के माध्यम से सेशन जज महोदय के समक्ष रखे और उचित आदेश प्राप्त करे।
27. नियम 524 फौजदारी निरस्त किये गये परिवाद या मिसलेनियस नान ज्यूडिशियल केस आदि के विनिष्टिकरण के बारे में है जिनको ध्यान में रखा जावे।
28. नियम 526 फौजदारी के अनुसार अभिलेख के विनिष्टिकरण के पूर्व उस अभिलेख में यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज वापस किये जाने योग्य हो तो उसे सूचना देने के प्रावधान है जिनका पालन किया जाना चाहिए।
29. नियम 527 फौजदारी के अनुसार फाइल ए और बी के विनिष्टिकरण के बारे में है जबकि नियम 528 फौजदारी रजिस्टर और अन्य कागजात के विनिष्टिकरण के बारे में है जिन्हें ध्यान में रखा जावे और नियम 528 में रजिस्टर की सूची और उन्हें कब तब सुरक्षित रखना है वह अवधि भी दी गई है उन्हें ध्यान में रखा जावे और उन्हीं के अनुरूप रजिस्टर व पंजियों का विनिष्टिकरण किया जावे।
30. नियम 529 फौजदारी विनिष्टिकरण हेतु अभिलेख निकालने और उचित स्थान पर रिकॉर्ड कीपर द्वारा हस्ताक्षर करने के बारे में है जबकि नियम 530 फौजदारी अभिलेखों पर विनिष्टिकरण के बारे में है जिन्हें ध्यान में रखा जावे और कड़ाई से पालन किया जावे।
31. नियम 531 फौजदारी सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय के रिकॉर्ड के संबंध में है जिन पर उक्त प्रावधान लागू होते हैं।

अभिलेखों का जनता द्वारा निरीक्षण

32. नियम 532 फौजदारी किसी अभिभाषक द्वारा या प्रकरण के पक्षकार या उसके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा अभिलेख के निरीक्षण के बारे में है जिसे रिकॉर्ड कीपर का ध्यान रखना चाहिए।
33. रिकॉर्ड कीपर को एक निरीक्षण पुस्तिका मेन्टेन करना होती है जिसमें अभिलेख के निरीक्षण के बारे में विवरण दर्ज किये जाते हैं।
34. नियम 534 लंबित प्रकरणों के अभिलेख के बारे में भी है इस नियम के अनुसार रिकॉर्ड कीपर को निराकृत प्रकरणों का निरीक्षण स्वयं की उपस्थिति में करवाना चाहिए। नियम 536 में निरीक्षण शुल्क के बारे में प्रावधान है।
35. नियम 539 के अनुसार निरीक्षण शुल्क कोर्ट फीस के रूप में लिया जाता है जबकि नियम 540 में शासकीय मामलों में निरीक्षण शुल्क से छूट आदि के प्रावधान है। नियम 541 फौजदारी के अनुसार निरीक्षण के समय पेन्सिल का प्रयोग किया जा सकता है स्याही पेन का उपयोग नहीं किया जा सकता मूल अभिलेख पर कोई चिन्ह नहीं बनाया जा सकता नियम 541 से 544 फौजदारी का इस संबंध में कड़ाई से पालन किया जावे।

•

मालखाना नाजिर के कर्तव्य

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आपराधिक मामलों से संबंधित मालखाना वस्तुओं के लिए एक "मालखाना" होता है तहसील स्तर पर भी अपराधिक मामलों से संबंधित मालखाना वस्तुओं के लिए मालखाना होता है इसके प्रभारी को मालखाना नाजिर कहा जाता है तहसील स्तर पर सहायक नाजिर ही नजारत के साथ-साथ मालखाना का कार्य भी संभालते हैं इन के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

1. आपराधिक प्रकरण की मालखाना वस्तुओं को संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार मालखाने में जमा करना।
2. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह मालखाना वस्तु को जमा करते समय वस्तु की स्थिति और मालखाना पर्चे में दिये गये उसके विवरण की स्थिति को सावधानी पूर्वक देख ले की दोनों विवरण समान हैं और यदि कोई असमानता पाई जाती है तो उसे दूर करा लेवें साथ ही मालखाना पंजी में भी वस्तु का पूर्ण और स्पष्ट विवरण लिखे।
3. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे की मालखाना पर्चे पर अपराध क्रमांक, वर्ष, संबंधित थाने का नाम, आरोपी का नाम और विवरण, प्रकरण क्रमांक, आदि का स्पष्ट उल्लेख है और यदि ऐसे उल्लेख न हों तो उन्हें पूर्ण करावे साथ ही मालखाना पंजी में भी ये सभी विवरण स्पष्ट रूप से करें ताकि भविष्य में कठिनाई न आवे।
4. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह माल जमा करने के पश्चात् मालखाना पर्चे पर मालखाना पंजी का क्रमांक अंकित करके लौटावे और यही क्रमांक मालखाना वस्तु पर भी अंकित करे।

5. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह मालखाना वस्तुओं का वर्षवार और क्रमवार जमा कर रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर मालखाना वस्तु ढूढ़ने में असुविधा न हो।
6. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह अपने मालखाना अनुभाग में एक प्लान और इंडेक्स रखे जिसमें वर्षवार और क्रमवार मालखाना वस्तुओं की स्थिति और उन्हें रखे जाने की स्थिति दर्शाई गई हो यह प्लान और इंडेक्स एक आयने की तरह होना चाहिए। जिसे देखते ही यह पता लग जावे की कौन सी मालखाना वस्तु कहां रखी हुई है।
मालखाना नाजिर को इस प्लान और इंडेक्स को प्रत्येक तीन या छः माह में संशोधित करना चाहिए क्योंकि इस बीच कुछ मालखाना वस्तुएं नई आयेगी और कुछ निराकृत भी होगी अतः मालखाना नाजिर को इस प्लान और इंडेक्स को संशोधित करने की एक कार्य योजना रखनी चाहिए।
7. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह संबंधित न्यायालयों से प्रत्येक माह में निराकृत प्रकरणों के मालखाना पर्चे निष्पादक लिपिक/क्रिमिनल रिडिर से संपर्क कर के प्राप्त करे और दिये गये आदेशानुसार मालखाना निस्तारण की कार्यवाही करे यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी महोदय के आदेशानुसार और उनके निर्देशों के अनुरूप करे।
मालखाना नाजिर को मालखाना निस्तारण प्रभारी अधिकारी महोदय की उपस्थिति में ही करना चाहिए।
मालखाना नाजिर को नीलामी योग्य संपत्ति के बारे में प्रभारी महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही करना चाहिए।
8. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह जिस भी न्यायालय से कोई मालखाना वस्तु मंगवाई जाती है उसे समय पर संबंधित न्यायालय में पेश करावे और प्रकरण की कार्यवाही निपटने के बाद उसे वापस संबंधित स्थान पर रखे यह तभी संभव है जब मालखाना उचित रीति से जमा हुआ हो अतः मालखाना वस्तुओं को उचित रीति से जमाकर रखा जावे।
9. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह मालखाने की साफ-सफाई की दैनिक/साप्ताहिक/मासिक एक कार्य योजना बनावे और उसके अनुरूप मालखाने की सफाई कराते रहे ताकि मालखाना वस्तुएं सुरक्षित रहे।
10. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह प्रभारी अधिकारी महोदय को मालखाने में मालखाना वस्तुओं में हुए किसी भी परिवर्तन या क्षति के बारे में तत्काल प्रतिवेदन दे और उनके दिशानिर्देश प्राप्त करें ऐसे परिवर्तन या क्षति क्यों हुई यह भी दर्शावे।
11. मालखाना नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह पुराने लंबित मालखाना वस्तुओं के निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय के निष्पादक लिपिक से मिलकर संबंधित न्यायालय के पुराने रजिस्टर से या रिकॉर्ड शाखा के प्रकरण के अभिलेख से भी ऐसे प्रयास करे की मालखाना वस्तुओं का निराकरण समय पर हो जावे।
12. मूल्यवान वस्तुएं जैसे जेवर आदि जिन्हें सीलबंद पैकेट में कोषालय में रखा जाना चाहिए। उन्हें मालखाना में न रखें नगदी रूपये यदि वे पंटर नोट या ऐसे नोट जिनके नंबर से उनकी पहचान

हो सकती हो, को छोड़कर शेष रूपये संबंधित न्यायालय से आदेश प्राप्त करके कोषालय/बैंक में जमा करवाना चाहिए।

13. मालखाना नाजिर का यह कर्त्तव्य है कि वह यह पता लगावे की जिस प्रकरण की मालखाना वस्तु लंबित है वह प्रकरण क्या वास्तव में लंबित है या निपट चुका है कई बार प्रकरण वर्षों पूर्व निपट जाते हैं और उनकी मालखाना वस्तु अनावश्यक लंबित रहती हैं अतः इस संबंध में सर्वोत्तम प्रयास किये जावे।
14. मालखाना नाजिर का यह कर्त्तव्य है कि वह वर्ष में एक बार लंबित मालखाना वस्तुओं का मालखाना रजिस्टर को साथ रखकर भौतिक सत्यापन करे और लंबित मालखाना वस्तुओं की वर्षवार एक अलग सूची भी रखे जिसमें प्रकरण क्रमांक न्यायालय का नाम आदि विवरण भी लिखे और इस सूची से भी प्रत्येक न्यायालय में समय निकालकर संबंधित प्रकरण का स्टेटस देखे कई बार अपील से प्रकरण निपटकर आ जाता है और सीधे रिकॉर्ड रूम में जमा करवा दिया जाता है ऐसे प्रकरण भी तलाश करने पर मिलेंगे।
15. मालखाना नाजिर का यह कर्त्तव्य है कि वह समुचित प्रयास करे कि मालखाना वस्तुओं और मालखाना कक्ष इस तरह सुरक्षित रहे कि उसमें चोरी वगैरह की संभावना न रहे।

•

प्रधान प्रतिलिपिकार एवं सहायक प्रतिलिपिकार के कर्त्तव्य

जिला मुख्यालय पर एक प्रधान प्रतिलिपिकार का पद होता है और तहसील स्तर पर सहायक प्रतिलिपिकार का पद होता है। जिला मुख्यालय पर सहायक प्रतिलिपिकारों के पद भी होते हैं, इनके कर्त्तव्य निम्नानुसार है :-

1. नियम 496 म.प्र. सिविल न्यायालय नियम 1961 जिसे आगे सिविल नियम कहा जायेगा के अनुसार प्रधान प्रतिलिपिकार को निम्न लिखित रजिस्टर मेन्टेन करना होता है, तहसील स्तर पर सहायक प्रतिलिपिकार को ये रजिस्टर मेन्टेन करना होते हैं :-

सं. क्रमांक	रजिस्टर का नाम	रिमार्क
1.	प्रतिलिपि आवेदन पत्रों का रजिस्टर	
2.	एकाउंट बुक	
3.	विस्तृत या डिटेल्ड एकाउंट बुक	
4.	डुप्लीकेट रसीद बुक	
5.	नाजिर के साथ होने वाले संव्यवहार की पास बुक ए एवं बी	
6.	व्यय न किये गये अग्रिमों की सूची	
7.	डाक बुक	
8.	मनीऑर्डर की काउंटर फाइल	

2. म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक जिन्हें आगे आपराधिक नियम कहा जायेगा के नियम 655 में भी उक्त रजिस्टर की सूची दी गई है।
3. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने अनुभाग के किसी सहज दृश्य या आसानी से दिखलाई देने वाले स्थान पर उक्त रजिस्टर की एक सूची लगा कर रखें ताकि यह पता लग सके की प्रतिलिपि शाखा में कौन-कौन से रजिस्टर रखे जाते हैं इन नियमों में इन रजिस्टर के सुरक्षित रखने की अवधि भी दी गई है जिसे ध्यान में रखना चाहिये।
4. सभी प्रतिलिपि आवेदन पत्र चाहे वे डाक से प्राप्त हुये हों या व्यक्तिगत तौर पर या अधिवक्ता या अधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये हों उन्हें प्रतिलिपि के आवेदन पत्रों के रजिस्टर में एक वार्षिक क्रमों की संख्या में प्रविष्ट किया जावेगा। डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की क्रम संख्या की बाँई ओर रजिस्टर में लाल स्याही से शब्द "पी" लिखा जायेगा अतः प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार नियम 497 सिविल एवं 657 आपराधिक नियम को ध्यान में रखें और इसी के अनुसार सभी आवेदन पत्रों को जिस क्रम वे प्राप्त होते हैं प्रतिलिपि के आवेदन पत्रों के रजिस्टर में उन्हें दर्ज करें। कोई भी आवेदन बिना इस रजिस्टर में दर्ज किये नहीं रहना चाहिये।
प्रतिलिपि के आवेदन पत्रों जिनमें की प्रतिलिपियाँ दी जा चुकी हैं या जिनमें प्रतिलिपि तैयार किये बिना अग्रिम वापिस किया जा चुका है या डाक से बिना अग्रिम के बिना प्राप्त हुई या बाद में भी उनका अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ को प्रतिलिपि दिये जाने व अग्रिम वापिस किये जाने की तारीख से 6 माह तक सुरक्षित रखा जाता है अन्य सभी आवेदन पत्रों के उनकी प्राप्ति दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है। नियम 497 सिविल के नोट को इस संबंध में ध्यान रखा जावे और उसकी पालना की जावे।
5. आवेदकों से व्यक्तिगत रूप में प्राप्त या मनीऑर्डर द्वारा आवेदन पत्र सहित प्राप्त धन की प्रविष्टि प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार द्वारा प्रतिलिपि के आवेदन पत्रों के रजिस्टर एवं हिसाब की विस्तृत पुस्तिका या डिटेल्ड एकाउंट बुक में की जायेगी। हिसाब की विस्तृत पुस्तिका का कॉलम नंबर 3 से 7 तक का योग एकाउंट बुक के उचित कॉलम में ले लिया जायेगा इस संबंध में नियम 498 दिवानी एवं नियम 657 फौजदारी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये और सभी प्राप्त धन को उक्त अनुसार इंड्राज करना चाहिये।
6. जब कोई प्रतिलिपि अवितरित रह गई हो या जब किसी प्रार्थना पत्र से धन या सही जानकारी के अभाव के कारण 30 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी हो या मनीऑर्डर द्वारा प्राप्त धन से संबंधित प्रार्थना पत्र 30 दिन तक प्राप्त नहीं होता है तब व्यय न किये गये अग्रिम को व्यय न किये गये अग्रिमों की सूची के कॉलम नं. 1, 2 और 3 में प्रविष्ट किया जायेगा, ऐसे प्रार्थना पत्र एवं उसके संबंध में प्रयोग में लाये गये पत्रों को रिकॉर्ड रूम में जमा कर दिया जायेगा। यदि आवेदक बाद में और अग्रिम जमा कराता है या सही जानकारी देता है तब प्रतिलिपि का कार्य पुनः प्रारंभ किया जावेगा एवं प्रधान प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि के आवेदन पत्रों के रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में उस प्रार्थना पत्र को पुनः स्थापित या रिस्टोर के रूप में दिखायेगा या दर्ज करेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब प्रतिलिपिकरण बंद करने की तारीख और अग्रिम देने या सही जानकारी देने की तारीख के बीच का विलंब 4 माह से अधिक हो तब यदि प्रभारी अधिकारी उस विलंब को क्षमा कर दे तभी उस आवेदन पर प्रतिलिपि बनाने का कार्य पुनः प्रारंभ किया जायेगा और इस संबंध में व्यय न किये गये अग्रिमों की सूची के संबंधित कॉलम में आवश्यक इंड्राज किये जावेंगे। अवितरित प्रतिलिपियाँ उनके सर्वप्रथम अवितरित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखी जायेगी।

प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का ध्यान नियम 499 सिविल एवं नियम 658 फौजदारी की ओर दिलाया जाता है जिसमें उक्त प्रावधान किया गया है।

7. नियम 500 दीवानी एवं नियम 659 फौजदारी के अनुसार यदि आवेदन को देय धन का बाकी मनीऑर्डर वापस आ जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त अनपेड एमाउंट की प्रविष्टि प्रतिलिपि आवेदन पत्रों के रजिस्टर के कॉलम नं. 14 एवं डिटेल्ड एकाउंट के कॉलम नं. 4 में की जायेगी एवं व्यय न किये गये अग्रिमों की सूची में भी नियम 499 सिविल में बतलायी विधि के अनुसार प्रविष्टि की जायेगी।

डाक से भेजी गई प्रतिलिपियाँ वापस लौटने पर रिकॉर्ड रूम में जमा की जायेगी।

8. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार को माह में एक बार कोषालय या उप कोषालय से सादे पत्र या सीट मंगवाना होती है प्रायः 480 सादे पत्रों की रिम एक बार में मंगवा लेना चाहिये ताकि कोषालय का कार्य कम हो सके। अनुभाग के आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये की प्रायः एक माह में कितनी सीट लगती है उसी अनुसार मांग पत्र भेजना चाहिये मांग पत्र दो प्रतियों में बनता है मांग पत्र पर न्यायालय अधीक्षक या राजपत्रित अधिकारी के काउंटर साइन करवाना चाहिये मांग पत्र की एक प्रतिलिपि कोषालय या उप कोषालय भेजी जाती है और कार्यालय प्रति प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार के पास रहती है।

प्रधान प्रतिलिपिकार प्रत्येक प्रतिलिपिकार को प्रत्येक दिन भर के कार्य के लिये पर्याप्त मात्रा में सादे पत्र या सीट देंगे और शाम को तैयार प्रतिलिपि उनसे लेंगे सीट का हिसाब सादे नोट बुक में रखेंगे। प्रधान प्रतिलिपिकार सादे पत्रों या सीटों के सही बेलेंस के लिये उत्तरदायी है अतः उन्हें इन पत्रों को एक संदूक में ताला लगाकर रखना चाहिये और इनका प्रतिदिन का हिसाब भी रखना चाहिये।

प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार कोषालय या उप कोषालय से मांग पत्र भेज कर न्यायालय शुल्क स्टाम्प मंगायेगे। प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार प्रभारी अधिकारी के अनुमति के बिना न्यायालय शुल्क स्टाम्प, स्टाम्प वेंडर से नहीं खरीदेंगे।

प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार उसके आधिपत्य के नगद राशि और न्याय शुल्क स्टाम्प को एक चमड़े की थैली में रखेंगे और सील बंद करके नाजिर/सहायक नाजिर को शाम को प्रतिदिन जमा करायेगे।

नियम 501 सिविल एवं नियम 660 फौजदारी में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान है जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

9. नियम 502 सिविल एवं नियम 661 फौजदारी के अनुसार डुप्लीकेट रसीद बुक में आवेदकों द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रतिलिपि के लिये आवश्यक अग्रिम के रूप में दिये गये धन का और आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से वापस किये गये धन की भी प्रविष्टि की जाती है जैसे ही प्रारंभ में अग्रिम धन प्राप्त होता है वैसे ही कार्बन लगाकर दो प्रतियों में रसीद तैयार की जायेगी और मूल प्रति धन जमाकर्ता को दे दी जावेगी और जब आवेदक को प्रतिलिपि दी जाती है तब उससे मूल रसीद वापस ली जावेगी और उसे कार्बन प्रति के साथ चिपका दी जावेगी। जो आवेदक डाक से आवेदन भेजते हैं लेकिन प्रतिलिपि स्वयं आकर लेते हैं उनसे रसीद एक पृथक रसीद पुस्तक में ली जायेगी जो इस आशय के लिये रखी जाती है यदि आवश्यक धन से अधिक अग्रिम या एडवांस जमा हुआ हो तब प्रतिलिपि देते समय अवशेष धन वापस किया जावेगा।

इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये आवेदकों से अत्याधिक अग्रिम जमा करने का आग्रह नहीं करना चाहिये और प्रतिलिपि में लगे धन के बाद बची राशि उन्हें लौटाना चाहिये।

10. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जैसे ही प्राप्त होता है और आवेदक डाक द्वारा प्रतिलिपि का वितरण नहीं चाहता है तब आवेदन प्रस्तुती दिनांक से कार्य दिवसों के भीतर का एक दिनांक नियत किया जायेगा जिस दिन आवेदक को प्रतिलिपि लेने के लिये उपस्थित होना होता है उस दिन यदि प्रतिलिपि तैयार नहीं है तब उस तारीख से 7 दिन बाद की तारीख आवेदक को दी जावेगी और इस तारीख की प्रविष्टि मूल पावती और कार्बन प्रति और आवेदन पत्र के रजिस्टर में की जावेगी।

नियम 503 सिविल एवं नियम 662 फौजदारी का इस संबंध में कड़ाई से पालन किया जावे।

प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार को आवेदक को तारीख देते समय अपने अनुभाग के लंबित कार्य की स्थिति और सामान्यतः साधारण प्रतिलिपि तैयार करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखना चाहिये और एक ऐसी युक्तियुक्त तारीख दी जाना चाहिये जिस दिन प्रतिलिपि आवेदक को तैयार मिले और उसे अनावश्यक बार-बार न आना पड़े।

प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार को आवेदन प्राप्त होते ही उसे इस प्रकार देख लिया जाना चाहिये कि आवेदन देखते ही जो कमियाँ दिख रही हैं उन्हें तत्काल पूर्ण करा लिया जाना चाहिये।

नियम 504 सिविल एवं नियम 663 फौजदारी में प्रतिलिपि के लिये नियत की जाने वाली तारीख के बारे में विशेष प्रावधान है जिनको ध्यान में रखना चाहिये।

11. नियम 505 सिविल एवं नियम 664 फौजदारी में प्रधान प्रतिलिपिकार के हाथ में 500 रुपये और तहसील स्तर पर 200 रुपये से अधिक की नगद राशि नहीं रखे जाने संबंधी प्रावधान है और नगद राशि को शाम 4:45 बजे चमड़े की सील बंद थैली में डाक बुक में प्रविष्ट करके नाजिर को भेजने के प्रावधान है जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

12. नियम 506 सिविल और नियम 665 फौजदारी के अनुसार प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार के पास यदि उक्त नियम 505 सिविल में बतायी गई सीमा से अधिक राशि है तो वे पास बुक ए में प्रविष्ट करेंगे और उसे नाजिर को कोषालय में जमा करने को सौंपेंगे। व्यय न किये गये अग्रिम का धन आवेदन पत्रों के अभिलेखागार में जाते ही मनीऑर्डर के वापस प्राप्त होते ही तत्काल नाजिर के पास भेज दिया जायेगा इस संबंध में नियम 466 के उप नियम 9 बी सिविल के निर्देशों को ध्यान में रखा जाना है।

इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये और निर्धारित सीमा से अधिक की राशि प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार को अपना अनुभाग में नहीं रखना चाहिये।

13. यदि प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार को नियम 506 के तहत नाजिर को जमा कर दिये गये धन की आवश्यकता हो तो वह पास बुक में इंड्राज करेगा और पास बुक नाजिर को भेजेगा। पास बुक के कॉलम नं. 4 और 5 में प्रत्येक जमा की राशि और वह दिनांक जिसमें वापस चाही गई है उसका उल्लेख किया जायेगा और इस संबंध में नियम 507 सिविल एवं नियम 666 फौजदारी का कड़ाई से पालन किया जावे।

14. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का यह कर्त्तव्य है कि वह एकाउंट बुक, डुप्लीकेट रसीद बुक, अन्य संबंधित रजिस्टर में उचित रीति से प्रविष्टियाँ करें ताकि नियम 508 सिविल एवं नियम 667 फौजदारी के तहत यदि न्यायालय अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी जांच करते हैं तो उन्हें कोई अनियमितता न मिले साथ ही नियम 509 सिविल एवं नियम 668 के तहत यदि मासिक जांच होती है तब भी कोई अनियमितता न मिले साथ ही नियम 510 सिविल एवं नियम 669 फौजदारी के तहत त्रैमासिक जांच के समय भी कोई अनियमितता न मिले।

यदि प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार नियम 496 सिविल में उल्लेखित सभी पंजियों में सही समय पर और उचित रीति से प्रविष्टि करेंगे तो उन्हें उक्त दैनिक, मासिक एवं त्रैमासिक जांच के समय कोई असुविधा नहीं होगी।

नियम 511 एवं नियम 512 की जानकारी नाजिर के साथ मिलकर समय पर भिजवाने का दायित्व भी प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का है जिनका उन्हें कड़ाई से पालन करना चाहिये।

15. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का यह कर्त्तव्य है कि वह नियम 450 सिविल के अनुसार प्रतिभूति देवे प्रतिभूति की राशि माननीय जिला जज महोदय द्वारा नियम 505 सिविल को ध्यान में रखते हुये नियत की जाती है और प्रतिभूति देने का दायित्व प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का होता है जिसका कड़ाई से पालन किया जावे।

16. प्रधान प्रतिलिपिकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अन्य प्रतिलिपिकारों में युक्तियुक्त समय के पूर्व ही कार्य को बांट देवे जिससे प्रत्येक प्रतिलिपिकार ठीक समय पर अपना कार्य प्रारंभ कर सके और अधिक से अधिक कार्य दिन भर में दे सके।

17. नियम 517 सिविल में प्रतिलिपिकार के लिये एक न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है जिसे उसे पाना चाहिये लेकिन प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार/प्रत्येक प्रतिलिपिकार का यह

कर्त्तव्य है कि वह इस नियम में बतलाये गये लक्ष्य को न्यूनतम लक्ष्य मानकर अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करे ताकि पक्षकारों को समय पर प्रतिलिपियाँ मिल सकें और वे न्यायिक कार्यवाही को आगे बढ़ा सकें।

18. नियम 522 सिविल के तहत प्रत्येक वर्ष जनवरी माह की 20 तारीख तक प्रतिलिपि शाखा के कार्य का एक प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिये और इस प्रतिवेदन के साथ प्रारूप नियम 522 में दिया गया है जिसके सभी 1 से 25 तक कॉलम को सावधानी पूर्वक भरे जाना चाहिये यह प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का कर्त्तव्य है कि नियम 522 का कड़ाई से पालन करे और संबंधित जानकारी इस नियम में बतलाये गये प्रारूप में और नियम 522 के निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथि तक अवश्य भेजे।
19. नियम 472 सिविल एवं नियम 636 फौजदारी के तहत प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्राप्त होते ही उसे तत्काल लेना चाहिये और यथासंभव आवश्यक जांच उसी समय कर लेनी चाहिये प्रतिलिपि आवेदन पत्र पर नियम 476 सिविल के अनुसार कोर्ट फीस लगी होना चाहिये और डाक से प्राप्त आवेदन पत्र पर यदि कोर्ट फीस नहीं लगी है तब मनीऑर्डर के साथ जो धन प्राप्त होता उसमें से उक्त डाक टिकट लगायी जायेगी। एक अभिलेख से किसी भी संख्या में प्रतिलिपियाँ एक ही प्रार्थना पत्र द्वारा मांगी जा सकती है।
20. यदि कोई पक्षकार शीघ्र प्रतिलिपि चाहता है तब वह प्रतिलिपि आवेदन के साथ एक अतिरिक्त प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करेंगे और उस पर शीघ्र प्रतिलिपि देने की प्रार्थना और ऐसी प्रार्थना की कारण लिखेगा इस संबंध में नियम 478 सिविल एवं नियम 638 फौजदारी में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं जिनको ध्यान में रखना होता है।
सामान्यतः शीघ्र प्रतिलिपि का आवेदन पत्र दो दिन के भीतर निपटा देना चाहिये शीघ्र प्रतिलिपि का व्यय सामान्य प्रतिलिपि के व्यय से दोगुना होता है ऐसे प्रार्थना पत्रों के बारे में प्रतिलिपि आवेदनों की पंजी में रिमार्क कॉलम में लाल स्याही से "अतिशीघ्र वितरण प्रतिलिपि" या एक्सप्रेस डिलेवरी लिखना चाहिये।
शीघ्र प्रतिलिपि के आवेदन पर नियम 478 सिविल एवं नियम 638 फौजदारी के तहत प्रभारी अधिकारी से आवेदन प्राप्त होते ही उनके समक्ष रखकर उनका आदेश लिया जायेगा।
21. प्रत्येक प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पर प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार उसके प्रस्तुति की तारीख का पृष्ठांकन करेगा और हस्ताक्षर करेगा और यदि आवेदक उपस्थित है तो उसे निर्धारित प्रारूप में अग्रिम की रसीद देगा इस संबंध में नियम 480 सिविल एवं नियम 640 फौजदारी का कड़ाई से पालन किया जावे।
22. नियम 481 सिविल के तहत प्रति पृष्ठ या उसके भाग के लिये 1 रूपया शुल्क निर्धारित है और फोटो कॉपी मशीन द्वारा तैयार प्रति के लिये 2 रूपया प्रति पृष्ठ निर्धारित है यह शुल्क कोर्ट फीस स्टॉम्प के रूप में संबंधित प्रतिलिपि पर चस्पा किया जावेगा इस नियम में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को जहां केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पक्षकार हो वहां प्रतिलिपि शुल्क में छूट दी गई है।

23. नक्शे/रजिस्टर/विवरण पत्रक कि प्रतिलिपियाँ तैयार करने के बारे में नियम 482 सिविल में प्रावधान है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिये।
24. नियम 483 सिविल और नियम 643 फौजदारी के तहत प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र यदि ऐसे अभिलेख से संबंधित है जो रिकॉर्ड रूम में है तब प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार रिकॉर्ड रूम में आवेदन डाक बुक में चढ़ाकर भेजेगा साथ ही नियम 484 सिविल और नियम 644 फौजदारी के तहत लंबित प्रकरणों का अभिलेख संबंधित न्यायालय से आवेदन भेजकर मंगवाया जाता है।
 प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का यह कर्तव्य है कि वह दिन भर में प्राप्त आवेदन पत्रों को उसी दिन शाम तक रिकॉर्ड रूम या संबंधित न्यायालय में भेजे ताकि समय पर अभिलेख प्राप्त हो सके प्रतिलिपि अनुभाग में अनावश्यक आवेदन लंबित नहीं रखना चाहिये।
 यदि संबंधित अभिलेख उच्च न्यायालय में है या जिला न्यायालय में है नियम 485 सिविल या नियम 645 फौजदारी के तहत आवेदन पत्र को जिला जज महोदय या सेशन जज महोदय के समक्ष रखना होता है।
25. नियम 486 सिविल एवं नियम 646 फौजदारी में प्रतिलिपि तैयार करने की विधि दी गई है जिसमें सीट पर कितना स्पेस छोड़ना चाहिये न्यायालय शुल्क चिपकाने के लिये स्थान छोड़ना चाहिये आदि के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है जिसे ध्यान में रखना चाहिये।
 वर्तमान में फोटो कॉपी मशीन लगभग सभी न्यायालयों में लग चुके हैं अतः फोटो कॉपी कराते समय भी यथासंभव इन नियमों का पालन करना चाहिये।
26. नियम 488 सिविल एवं नियम 648 फौजदारी में प्रत्येक प्रतिलिपि पर न्यायालय का नाम पक्षकारों के नाम आदि के उल्लेख संबंधी प्रावधान है जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। प्रायः यह देखा गया है कि इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता जिससे प्रतिलिपि देखने से यह पता नहीं लगता की वह किस न्यायालय के किस प्रकरण की प्रतिलिपि है अतः इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
27. नियम 489 सिविल एवं नियम 649 फौजदारी में प्रत्येक प्रतिलिपि के अंत में एक टेबल पृष्ठांकित करने के प्रावधान है जिसमें 11 कॉलम होते हैं जिनको स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिये कई मामलों में परिसीमा अवधि की गणना में यह टेबल अत्यंत महत्वपूर्ण होती है अतः इस टेबल के सभी कॉलम सुवाच्य या पठनीय होने चाहिये यह प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का कर्तव्य है कि वह इस टेबल को पठनीय रूप से अंकित करावे।
28. नियम 490 सिविल एवं नियम 650 फौजदारी स्टॉम्प पर दी जाने वाली प्रतिलिपि के बारे में है जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
29. नियम 491 सिविल एवं नियम 651 फौजदारी में जितना व्यय जमा हो वही तक प्रतिलिपि बनाने के प्रावधान है और जब आवेदक उपस्थित होता है तब उसे अतिरिक्त व्यय की मांग की जाना चाहिये। आवेदक को दी गई सूचना का अभिलेख रखा जाना चाहिये।

30. नियम 492 सिविल एवं नियम 652 फौजदारी में प्रतिलिपि तैयार हो जाने पर उसे देने या डाक से भेजने के पूर्व उस पर प्रधान प्रतिलिपिकार या प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने के प्रावधान है और कोर्ट फीस स्टॉम्प पंच और कैंसल किये गये हैं या नहीं यह देखने के प्रावधान भी है जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये ताकि कोर्ट फीस का दुरुपयोग नहीं हो।
31. नियम 493 सिविल एवं नियम 653 फौजदारी में प्रतिलिपियाँ आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से या उनके अधिवक्ताओं या अधिकृत अभिकर्ताओं को देने के प्रावधान हैं और यदि डाक से प्रतिलिपि चाही गई हो तब डाक से भेजने के प्रावधान है। नियम 494 सिविल और नियम 654 फौजदारी डाक से प्रतिलिपियाँ भेजने के बारे में है जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
32. नियम 495 सिविल वसीयत नामे के प्रतिलिपि के बारे में है जिसका पालन किया जाना चाहिये।
33. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का उक्त नियमों के तहत यह कर्त्तव्य है की वह कार्यालय समय में प्रतिलिपि आवेदन पत्र ग्रहण करे उसके साथ दिये जाने वाले धन की तत्काल डुप्लीकेट रसीद बुक में रसीद देवे आवेदक को प्रतिलिपि लेने के लिये तिथि देवे।
दिन भर में प्राप्त आवेदन पत्रों को उसी दिन शाम को रिकॉर्ड रूम या संबंधित न्यायालय को विधिवत् भेजे अभिलेख आते ही प्रतिलिपि करावे और यथासंभव यथाशीघ्र प्रतिलिपि का वितरण करे।
जहां एक से अधिक कर्मचारी प्रतिलिपि अनुभाग में नियुक्त हो वहां प्रधान प्रतिलिपिकार को प्रभारी अधिकारी महोदय से मार्गदर्शन लेकर उनमें कार्य विभाजन लिखित रूप से कर देना चाहिये ताकि प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य पता रहे और दायित्व निर्धारित करते समय भी कठिनाई न हो।
34. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार तथा प्रतिलिपि अनुभाग के प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि आवेदकों, अधिवक्तागणों से विनम्रता पूर्वक आवश्यक वार्तालाप ही करे उनके द्वारा चाही गई जानकारीयों उन्हें अवश्य देवे कुछ जानकारीयों जैसे एक पृष्ठ के लिये लगने वाला शुल्क फोटो प्रति पर लगने वाला शुल्क आदि बड़े अक्षरों में लिखकर लगाया जा सकता है ताकि संबंधित व्यक्ति उसे देखकर जानकारी प्राप्त कर सके।
35. प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने अनुभाग की फोटो कॉपी मशीन/टाईप मशीन की समय-समय पर सर्विसिंग करवाते रहें उनके रख रखाव पर ध्यान देवे। टाईप मशीन के कार्बन या फोटो कॉपी मशीन के टोनर की व्यवस्था युक्तियुक्त समय के पूर्व करके रखे ताकि अनावश्यक काम न रुके।
36. किसी भी दशा में कोई भी अभिलेख प्रभारी अधिकारी महोदय के लिखित आदेश के बिना प्राईवेट फोटो कॉपी मशीन पर नहीं जाना चाहिये इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
37. जिन आवेदन पत्रों में त्रुटियाँ हैं या और धन जमा होना है उनकी सूचना प्रतिलिपि शाखा के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जा सकती है ताकि उसे देखकर ही संबंधित आवेदक को कमियों का पता लग सके और वह आवश्यक पूर्ति कर सके।

38. प्रतिलियाँ जिस क्रम में आवेदन पेश हुए हैं उसी क्रम में तैयार करके दी जाना चाहिये और एक्सप्रेस डिलेवरी के आवेदन पत्रों को छोड़कर इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। प्रतिलिपि शाखा के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिये प्रधान प्रतिलिपिकार/सहायक प्रतिलिपिकार एक ऐसा सूचना पटल भी अपने अनुभाग में रख सकते हैं जिसमें एक दृष्टि में देखते ही या एट ए ग्लान्स यह पता लग सके की किस नंबर तक के आवेदन पत्र निपट चुके हैं।

नाजिर के कर्तव्य

1. विभिन्न प्रकार के रजिस्टर मेन्टेन करना

- 1 नाजिर या नायब नाजिर के पद पर पदस्थ प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित रजिस्टर मेन्टेन करना होते हैं जिनका उल्लेख मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 459 में है जो निम्न प्रकार से हैं :-

सं. क्रमांक	रजिस्टर का नाम	रिमार्क
1.	व्यवहार न्यायालय के आदेशों के अधीन नाजिर को प्राप्त होने वाली या उससे होकर जाने वाली संपत्ति का रजिस्टर	
2.	व्यवहार न्यायालय के आदेशों के अलावा नाजिर को प्राप्त होने वाली या उसके हाथ से होकर जाने वाली संपत्ति का रजिस्टर	
3.	जनरल कैश एकाउण्ट	
4.	कन्टीजेंट कैश एकाउण्ट	
5.	वर्गीकरण या क्लासीफिकेशन रजिस्टर	
6.	वापस प्राप्त भोजन व्यय प्राप्ति का रजिस्टर	
7.	वापस प्राप्त भोजन व्यय के भुगतान का रजिस्टर	
8.	व्यवहार न्यायालय जमा की प्राप्तियों का रजिस्टर या सी.सी.डी. रिसीप्ट रजिस्टर	
9.	व्यवहार न्यायालय डिपाजिट का भुगतान का रजिस्टर	
10.	स्टेशन डाक बुक	
11.	डाक से भेजे गये प्रोसेस की डाक बुक	
12.	आदेशिका वाहकों के कार्य सूची या वर्ग टिकट की फाइल	
13.	सेल अमीन द्वारा आदेशिका वाहकों के कार्य की जांच का रजिस्टर	
14.	आदेशिका वाहकों द्वारा किये गये कार्य का रजिस्टर	

15. सेल अमीनों द्वारा किये गये कार्य की रिपोर्ट
 16. धन की पावतियों की पुस्तिका
 17. प्रेषण सूची या रीमीटेन्स लिस्ट
 18. नाजिर द्वारा कोषालय को भेजे गये धन की चालान बुक
 19. नाजिर द्वारा दिये गये धन की पावतियों की डुप्लीकेट बुक
 20. सिक्युरिटी डिपॉजिट रजिस्टर
2. नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 679 के अनुसार नाजिर को उक्त रजिस्टर के साथ-साथ निम्न रजिस्टर और मेन्टेन करना होते हैं :-

क्रम संख्या	रजिस्टर का नाम	रिमार्क
1.	आपराधिक मामलों में नाजिर को सौंपी गयी संपत्ति की पंजी	
2.	आपराधिक मामलों में साक्षीगण के भोजन व्यय की पंजी	
3.	इस प्रकार नाजिर को उक्त नियमों में वर्णित उक्त रजिस्टर मेन्टेन करना होते हैं। नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह इन रजिस्टर की सूची अपनी शाखा के किसी सहज दृश्य या आसानी से दिखने वाले भाग पर लगा कर रखें ताकि यह पता लग सके कि नाजिर को कौन-कौन से रजिस्टर मेन्टेन करना होते हैं।	
4.	नियम 460 सिविल के अनुसार व्यवहार न्यायालयों के आदेशों के अधीन नाजिर के हाथ में आने वाली संपत्ति की पंजी में केवल चल संपत्ति की प्रविष्टि करना चाहिए लेकिन डिक्री के निष्पादन में प्राप्त धन या संपत्ति का उल्लेख इस रजिस्टर में नहीं किया जाता है। ऐसी वस्तुयें जैसे कपड़े बर्तन जो डिक्रीधारी ने या उसके व्यय पर नाजिर को प्राप्त हुए हों उन्हें निर्णीत ऋणी के जेल से मुक्त होने पर इस रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना चाहिए और बाद में डिक्रीधारी को नोटिस देकर उसे वापस करना चाहिए। नियम 460 में इस रजिस्टर को मेन्टेन करने के बारे में जो निर्देश दिये गये हैं उनका पालन किया जाना चाहिए और प्रत्येक तीन माह में अवशेष वस्तुओं की सूची तैयार कर प्रभारी अधिकारी के समक्ष रखना चाहिए और संबंधित न्यायालय में इन वस्तुओं के निराकरण के बारे में स्मरण पत्र लिखना चाहिए। मूल्यवान वस्तुओं जैसे जवाहरात वगैरह की प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक तीन माह में जांच करना चाहिए।	
5.	नियम 461 सिविल के अनुसार व्यवहार न्यायालय के आदेशों के अलावा नाजिर के हाथों में आने वाली संपत्ति के रजिस्टर में पुराना फर्नीचर, लेखन सामग्री, संदूकें जो नाजिर के पास विक्रय के प्रयोजन से जमा की जाती हैं वह इस रजिस्टर में उल्लेखित की जाना चाहिए और ऐसी	

संपत्ति के विक्रय करने पर विक्रय से प्राप्त धन को कोषालयों में जमा करना चाहिए और पंजी के कालम नं. 4 से 6 में इस बाबत प्रविष्टि करना चाहिए ।

6. नियम 462 सिविल में सामान्य केश बुक या जनरल केश एकाउण्ट को मेन्टेन करने के निर्देश दिये गये हैं जिनका नाजिर को पालन करना चाहिए। इस रजिस्टर में विस्तारपूर्वक नाजिर द्वारा प्राप्त एवं भुगतान की गयी संपूर्ण राशि का विवरण बतलाया जाना चाहिए। ऐसी राशियाँ जिनके संबंध में पृथक से रजिस्टर रखा जाता है उनका प्रतिदिन का योग भी लिखना चाहिए। प्रत्येक न्यायालय के भोजन व्यय, वापस प्राप्त भोजन व्यय और शासकीय सेवकों के भोजन व्ययों के संबंध में संव्यवहारों को पृथक से दिखाया जाना चाहिए। कर्मचारीगण और भृत्यवर्ग को भुगतान किये गये वेतन पृथक से विस्तृत रूप से बतलाया जाना चाहिए।

राजस्व जमा में अंतरित होकर प्राप्त एवं सिविल न्यायालय जमा के रजिस्टर में लिये गये समस्त धन का सिविल न्यायालय जमा की प्राप्तियों के प्रतिदिन के योग में जमा और सम्मिलित किया जाना चाहिए। नामे की ओर सिविल न्यायालय जमा के भुगतान के संबंध में इन्द्राज के सिवाय कोषालय में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा किये गये धन में एक अलग प्रविष्टि की जाना चाहिए।

स्थायी अग्रिम और भुगतान हेतु प्राप्त रकमों जिनका भुगतान उचित समय में किया जाना है के अलावा अवशेष समस्त रकमों जो नाजिर के पास हों उन्हें प्रतिदिन कोषालयों में जमा कर दिया जाना चाहिए।

असामान्य परिस्थितियों के अलावा मुख्यालय पर नाजिर के पास या बाह्य स्थानों पर नायब नाजिर के पास नगदी या रोकड़ क्रमशः एक हजार और सात सौ रुपये से अधिक उच्च न्यायालय की स्वीकृति के बिना नहीं होना चाहिए। असामान्य परिस्थितियों का उल्लेख वर्गीकरण रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में किया जाना चाहिए।

नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन के हिसाब की जांच न्यायालय अधीक्षक या न्यायालय उपअधीक्षक द्वारा करवाये जहाँ उक्त दोनों कर्मचारी पदस्थ न हों वहाँ प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन के हिसाब की जांच करवाना चाहिए। केश बुक की जमा की ओर से समस्त प्रविष्टि का मिलान पावती की पुस्तकें, व्यवहार न्यायालय जमा की प्राप्तियों का रजिस्टर, प्रोसेस और प्रोसेस फीस रजिस्टर, वापस हुए भोजन व्यय आदि की प्रविष्टियों से करवाना चाहिए।

प्रतिमाह प्रभारी अधिकारी से इस रजिस्टर में नगदी बाकी को गिनकर उनसे प्रमाण पत्र लेना चाहिए।

नियम 681 फौजदारी में भी इस रजिस्टर को मेन्टेन करने के बारे में निर्देश दिये गये हैं उनका भी नाजिर को पालन करना चाहिए।

7. नियम 463 सिविल में कंटिजेंट केश एकाउण्ट को मेन्टेन करने के बारे में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं जिनका नाजिर को पालन करना चाहिए साथ ही नियम 682 फौजदारी में इस रजिस्टर को मेन्टेन करने के बारे में निर्देश दिये गये हैं उनका भी पालन करना चाहिए। ऐसी प्रत्येक राशि

जो कोषालय से एक्सट्रेक्टस कंटिजेंट बिल द्वारा स्थायी अग्रिम की पूर्ति हेतु या अन्यथा निकाला जाता है और समस्त किये गये भुगतानों चाहे ऐसे भुगतान स्थायी अग्रिम से किये गये हों या विशेष खर्चों की पूर्ति के प्रयोजन से एक्सट्रेक्टस कंटिजेंट बिल द्वारा निकाली गयी रकम से किये गये हों उनकी प्रविष्टि इस पंजी में की जाना चाहिए। कोई भी भुगतान नाजिर द्वारा जिला जज या न्यायालय अधीक्षक के हस्ताक्षरयुक्त भुगतान के आदेश के बिना नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ न्यायालय अधीक्षक का पद न हो वहाँ भुगतान का आदेश प्रभारी अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से जारी होता है।

नाजिर को प्रतिदिन इस रजिस्टर की जांच प्रभारी अधिकारी महोदय से भुगतान वाउचर को सामने रखकर करवाना चाहिए।

8. वर्गीकरण रजिस्टर या क्लासीफिकेशन रजिस्टर को मेन्टेन करने के बारे में नियम 464 सिविल एवं नियम 683 फौजदारी में निर्देश दिये हैं जिनका पालन नाजिर को करना चाहिए। इस रजिस्टर में प्रत्येक मद की रोकड़ पता लग सकती है इस रजिस्टर की भी जांच प्रतिदिन नाजिर को न्यायालय अधीक्षक या न्यायालय उपअधीक्षक से करवाना चाहिए।
9. वापस प्राप्त भोजन व्यय की प्राप्तियों और भुगतान के रजिस्टर को मेन्टेन के बारे में नियम 465 सिविल में निर्देश दिये गये हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। नियम 465 में व्यवहार मामलों के साक्षियों के भोजन व्यय के संबंध में निर्देश हैं जबकि नियम 684 फौजदारी में दाण्डिक मामलों के गवाह के संबंध में निर्देश हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए इन नियमों में इस रजिस्टर को मेन्टेन करने के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है जिनको ध्यान में रखना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक मामले में गवाह को उसका व्यय प्राप्त हो और गवाह के न आने पर जिस पक्ष ने वह व्यय जमा कराया है उसे वापस हो ।
10. नियम 466 सिविल में भी इन रजिस्टर के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन किया जाना चाहिये और इन रजिस्टर का सभी न्यायालयों के लिये एक ही सेट रखना चाहिये जब जमा के भुगतान के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है तब नाजिर को उस पर रिपोर्ट देना चाहिये और नियम 466 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुये भुगतान करना चाहिये।
11. नियम 467 दीवानी में डाक द्वारा भेजे गये प्रोसेस की डाक बुक को मेन्टेन करने के बारे में निर्देश दिये गये हैं इस पंजी में डाक द्वारा भेजे गये प्रोसेस को चढ़ना चाहिये।
12. नाजिर को कुछ प्रोसेस चुन कर उन्हें जांच के लिये सेल अमीन को देना चाहिये और नियम 468 के तहत संबंधित पंजी में इसकी प्रविष्टि करना चाहिये। ऐसे प्रोसेस जिनमें तामिल संदेहास्पद हो उनकी जांच सेल अमीन से अवश्य करवाना चाहिये।
13. नियम 469 सिविल के अनुसार नाजिर को सेल अमीन द्वारा किये गये कार्य का रजिस्टर में टेन करना चाहिये और नीलामी की तिथियाँ इस प्रकार से न्यायालय द्वारा पूछने पर बताना चाहिये कि प्रत्येक नीलामी और विक्रय पूर्ण हो सके। सेल अमीन के विक्रय के कार्यक्रम को तीन माह

पूर्व मंजूरी के लिये प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जिला जज महोदय को भेजना चाहिये और ऐसे कार्यक्रम की सूचना प्रत्येक न्यायालय को दी जाना चाहिये ताकि वह विक्रय की तिथियाँ उसी अनुसार लगावे।

14. नाजिर जो भी धन प्राप्त करता है उसकी वह नियम 470 सिविल के अनुसार धन पावती की पुस्तिका में उसकी प्रविष्टि करेगा और रसीद दो प्रति में तैयार की जावेगी और मूल प्रति धन जमा करने वाले को दी जावेगी इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
15. नियम 471 सिविल के अनुसार नाजिर को सिविल जमा का रजिस्टर में दर्ज करना चाहिये और नियम 451 सिविल के तहत जिन कर्मचारियों के वेतन से राशि काटी गई है उनसे पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में राशि जमा करना चाहिये और इस रजिस्टर में उसका इंड्रॉज करना चाहिये।
16. नियम 680 म.प्र. नियम और आदेश आपराधिक के अनुसार नाजिर को आपराधिक मामलों में सौंपी गई संपत्ति का इंड्रॉज इस पंजी में करना चाहिये। मूल्यवान वस्तुओं को पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में सील बंद पैकेट बनाकर कोषालय में जमा करना चाहिये और कोषालय का प्राप्ति क्रमांक रजिस्टर में लिखना चाहिये और जब भी संबंधित न्यायालय अपेक्षा करे उक्त पैकेट कोषालय से बुलवाना चाहिये, नियम 680 को कड़ाई का पालन करने से मूल्यवान वस्तुएं कोषालय में सुरक्षित रहती है।

•

2. प्रोसेस संबंधी कर्तव्य

1. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह नियम 446 और 447 के अनुसार पर्याप्त मात्रा में आदेशिका वाहक या प्रोसेस सर्वर रखे ताकि आदेशिकाओं की तामिली अनिवार्य रूप से हो।
2. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले प्रोसेस का संबंधित पंजी में इंड्रॉज करे और भारत के किसी अन्य राज्य से यदि प्रोसेस प्राप्त होता है तब उसे लाल स्याही से अंकित किया जाये।
3. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह प्रोसेस के तामिल के बारे में नियम 51 से नियम 103 का पालन संबंधित प्रोसेस सर्वर से करावे और यह देखे की इन नियमों के अनुसार आदेशिकाओं की तामिली हो रही है।
4. नियम 51 सिविल के अनुसार यथासंभव प्रत्येक प्रोसेस की तामिली व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिये और इस संबंध में नियम 51 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
5. नियम 52 सिविल के अनुसार जिस व्यक्ति पर तामिली की गई है उसकी पहचान किन गवाहों ने की इसका उल्लेख करने का प्रावधान है लेकिन यदि कोई पहचान करने वाला नहीं मिलता तो मात्र इस आधार पर तामिली नहीं रोकना चाहिये और इस संबंध में नियम 52 सिविल के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिये।

6. नियम 53 सिविल के अनुसार संबंधित प्रोसेस की एक प्रति जिस व्यक्ति पर निर्वाह किया जा रहा है उसे देना चाहिये और दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर व अंगूठा लेना चाहिये लेने से इंकार करने की दशा में प्रोसेस मौखिक रूप से समझा देना चाहिये।
7. नियम 54 सिविल किसी व्यक्ति के अभिकर्ता पर तामील के बारे में है कोई व्यक्ति जिस स्थान पर कारोबार चलाता है वहां उपस्थिति व्यवस्थापक अभिकर्ता पर इस नियम के तहत तामिल की जाती है जबकि नियम 55 अचल संपत्ति के वाद में उस संपत्ति के प्रभारी पर तामिली के प्रावधान हैं।
8. नियम 56 सिविल में यदि संबंधित व्यक्ति अपने निवास पर नहीं मिलता है और उसका कोई अभिकर्ता भी नहीं है तब तामिल करने के प्रावधान बताये गये हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्तिगत तामिली के हर संभव प्रयास करना चाहिये उसके बाद आदेश 5 नियम 17 के तहत प्रतिस्थापित तामिली की जाना चाहिये, नियम 56 के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिये। प्रोसेस पर व्यक्तिगत तामिली के प्रयास का उल्लेख किया जाना चाहिये जो किये गये हैं।
9. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि जहां आदेश 5 नियम 15 सी.पी.सी. के तहत कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर तामिली की गई है वहां यह साबित होना चाहिये कि संबंधित व्यक्ति निवास पर अनुपस्थित था और उसके युक्तियुक्त समय में वापस लौटने की संभावना नहीं थी और निर्वाह के लिये उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि भी नहीं था और जिस व्यक्ति पर तामिल की गई है वह परिवार का वयस्क सदस्य है और जिस व्यक्ति के नाम आदेशिका है उसके साथ वास्तव में रहता है। नाजिर का ध्यान नियम 57 सिविल एवं आदेश 5 नियम 15 सी.पी.सी. की ओर आकर्षित किया जाता है साथ ही इस नियम के प्रयोजन के लिये सेवक या सर्वेंट को परिवार का सदस्य नहीं माना गया है यह भी ध्यान रखा जावे।
10. जहां आदेश 5 नियम 14 सी.पी.सी. के तहत अचल संपत्ति के मामले में उसके भार साधक या इंचार्ज पर तामिल की गई है वहां यह साबित होना चाहिये कि संबंधित व्यक्ति पर व्यक्तिगत तौर पर तामिल नहीं की जा सकती थी और उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि भी निर्वाह स्वीकार करने को नहीं था और जिस व्यक्ति पर तामिल की गई है वह भूमि व अचल संपत्ति का भार— साधक है। नियम 58 सिविल की ओर नाजिर की ओर आकर्षित किया जाता है।
11. नियम 59 सिविल के तहत आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के तहत तामिल प्राप्त हुई है वहां यह साबित किया जाना चाहिये कि जिस भवन के दरवाजे अथवा आसानी से दिखने वाले भाग पर आदेशिका की प्रतिलिपि चिपकाई गई है वह ऐसा भवन है जिसमें जिस व्यक्ति के नाम आदेशिका है वह उसमें अंतिम बार निवास करता था या कारोबार करता था या लाभ के लिये कार्य करता था और आदेश 5 नियम 20 के प्रावधानों की ओर भी नाजिर का ध्यान ऐसी तामिल के बारे में आकर्षित किया जाता है।

12. यदि जिस व्यक्ति के नाम आदेशिका है उसका कोई निवास स्थान नहीं है या वह व्यक्ति मिल नहीं सकता है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तब इन तथ्यों का उल्लेख प्रतिवेदन या रिपोर्ट में होना चाहिये और प्रतिवेदन में कम से कम दो व्यक्तियों के नाम और पते भी लिखना चाहिये जिनसे ऐसे तथ्य का ज्ञान हुआ है यदि संबंधित व्यक्ति ने उस स्थान पर निवास छोड़ दिया है तब उसके वर्तमान पते यदि उपलब्ध हो तो उसका उल्लेख और जिस साधन से वर्तमान पता लगा उसका भी उल्लेख प्रतिवेदन में करना चाहिये नियम 60 सिविल की ओर नाजिर का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
13. जहां आदेश 29 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत निर्वाह किया गया है तब यह सिद्ध किया जाना चाहिये कि सूचना पत्र कंपनी या निगम के रजिस्टर्ड कार्यालय पर या ऐसा कार्यालय नहीं होने पर उस स्थान पर जहां कंपनी कारोबार करती है छोड़ा गया है डिलीवर किया गया है या संचालक, सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी को समन दिया गया है इस संबंध में नियम 63 सिविल की ओर नाजिर का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
14. नियम 64 सिविल में फर्म के भागीदार या फर्म के कारोबार के नियंत्रक पर तामीली करने के प्रावधान है इस संबंध में आदेश 30 नियम 3 में सी.पी.सी. में भी प्रावधान है जिनका पालन किया जाना चाहिये।
15. नियम 65 सिविल के तहत जब आदेशिका का व्यक्तिगत निर्वाह किया गया है तब आदेशिका के मूल प्रति के पीछे रसीद ली जाना चाहिये जिसमें आदेशिका की प्रतिलिपि वाद पत्र या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या कोई व्यय के लिये धन दिया गया है तो उसकी प्राप्ति या रसीद आदेशिका के मूल प्रति के पीछे ली जाना चाहिये यदि व्यक्ति अथवा भवन की पहचान किसी साक्षी या साक्षीगण ने की हो तब आदेशिका के मूल प्रति के पीछे उनके हस्ताक्षर या अंगूठा लेना चाहिये। नियम 65 में दिये गये इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिये।
16. नियम 67 सिविल में किसी लोक विभाग या रेल्वे कंपनी के व्यक्ति पर कार्यालय प्रमुख के माध्यम से तामील के निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन किया जाना चाहिये।
17. नियम 72 सिविल के तहत आदेशिका वाहक को आदेशिका के निर्वाह या अनिर्वाह जैसे भी स्थिति हो उसके ठीक पश्चात् अपना प्रतिवेदन लिखना चाहिये और उस पर निर्वाह या अनिर्वाह का स्थान दिनांक और समय भी लिखना चाहिये और निर्धारित प्रारूप में अपना प्रतिवेदन नाजिर या नायब नाजिर को सौंपना चाहिये। नाजिर का यह कर्तव्य है कि नियम 72 की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावे।
18. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह आदेशिका वाहकों या प्रोसेस सर्वर से प्रोसेस के निर्वाह संबंधी सिविल प्रक्रिया संहिता एवं म.प्र. सिविल न्यायालय नियम में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे और इस संबंध में नियम 81 सिविल पर ध्यान दे इस नियम के तहत नाजिर का यह कर्तव्य है की प्रोसेस सर्वर को प्रोसेस के निर्वाह की विधि और उससे संबंधित नियमों को

समझावें प्रोसेस तामिली के बाद कैसे वापस करना है इसकी विधि समझावे। नियम 81 के तहत नाजिर का यह भी कर्तव्य की वह प्रोसेस सर्वर में आदेशिकाएँ उचित रूप से बांटे और यह देखे की प्रत्येक प्रोसेस सर्वर द्वारा तामिल का औसत प्राप्त किया जाता है।

नियम 81 के तहत नाजिर का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रोसेस सर्वर जब निर्वाह के बाद लौटते हैं तो उन्हें दिये गये आदेशिकाओं की सावधानी पूर्वक जांच करे और यह देखे की तामिल में विफलता के क्या कारण थे और निर्वाह में विलंब, निर्वाह में उपेक्षा या दुराचार कर्तव्य के अनुचित पालन आदि के तथ्य यदि वह पाते हैं तो प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

19. सभी नाजिर या नायब नाजिर प्रोसेस के विधिवत व नियमित निर्वाह के लिये और प्रोसेस की वापसी में उल्लेखित तथ्यों की वास्तविकता के बारे में संबंधित न्यायालय जहां से प्रोसेस जारी हुये है उसके प्रति नियम 82 सिविल के तहत उत्तरदायी माने गये हैं अतः नाजिर या नायब नाजिर नियम 82 का सावधानी पूर्वक पालना सुनिश्चित करें।
20. नियम 83 सिविल में आदेशिका वाहकों के लिये सर्कल या मण्डल बनाने के निर्देश हैं अतः नाजिर संबंधित जिले या तहसील का मानचित्र रखकर उसमें आने वाले गाँव को उचित रीति से मण्डलों या सर्कल में तामिल की दृष्टि से, प्रभारी अधिकारी महोदय के आदेशानुसार और जिला न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से, विभक्त करते हैं और प्रत्येक सर्कल की सूची नजारत में उचित स्थान पर लगावे ताकि उसे देखकर यह पता लग सके की तामिल के लिये कितने सर्कल बनाये गये हैं और उनमें कौन-कौन से गाँव आते हैं।

नाजिर या नायब नाजिर को एक त्रैमासिक विवरण या स्टेटमेंट बनाना चाहिये जिसमें प्रोसेस निर्वाह हेतु किसी मण्डल या सर्कल में किस दिनांक को भेजे जायेंगे और सर्कल या मण्डल से आदेशिका वाहक के लौटने का अनुमानित समय भी उस विवरण में बतलाना चाहिये इस विवरण की एक प्रतिलिपि प्रत्येक न्यायालय कक्ष में प्रदर्शित की जाना चाहिये ताकि संबंधित न्यायालय अपने प्रोसेस के लिये उसी अनुरूप प्रकरण में तिथियाँ भी लगा सके ताकि प्रोसेस की तामिल सुनिश्चित हो जावे। नाजिर या नायब नाजिर का ध्यान नियम 83 की ओर आकर्षित किया जावे और इस नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।

21. नाजिर का ध्यान नियम 84 सिविल की ओर दिलाया जाता है जिसमें सर्कल के वापसी की दिनांक नियत करने संबंधी निर्देश हैं और वापसी दिनांक, यात्रा की दूरी, मौसम, स्थान की परिस्थितियाँ आदि को ध्यान में रखकर नियत की जाना चाहिये।
22. नियम 85 सिविल के अनुसार आदेशिका वाहकों या प्रोसेस सर्वर में प्रोसेस या आदेशिकाएँ वितरित करने संबंधी निर्देश है जिनका नाजिर को कड़ाई से पालन करना चाहिये। नियम 86 और 87 सिविल में भी आदेशिका वाहकों को आदेशिकाएँ तामिल के लिये देने और उनके लौटाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

23. नियम 88 सिविल के अनुसार नाजिर या नायब नाजिर को निर्धारित प्रारूप में आदेशिका वाहकों द्वारा किये गये कार्यों का एक पंजी मेन्टेन करना चाहिये और इस पंजी में प्रत्येक आदेशिका वाहक द्वारा उसके सर्कल में किये गये कार्य या तामीलों का विवरण अंकित किया जाता है इस पंजी को देखने से ही यह पता लग जाता है कि किस आदेशिका वाहक ने कितने प्रोसेस तामील किये हैं कितने अदम तामील लौट आये हैं अतः इस पंजी को अत्यंत सावधानी से मेन्टेन करना चाहिये।
24. नियम 89 सिविल के अनुसार प्रोसेस सर्वर से आदेशिकाएँ प्राप्त होते ही नाजिर को उसे संबंधित न्यायालय को वापस करना चाहिये। नाजिर को इस नियम का पालन इस प्रकार करना चाहिये की संबंधित न्यायालय में नियत तिथि के एक दिन पूर्व ही तामील लौटा दी जावे।
25. नियम 90 सिविल के अनुसार नाजिर का यह कर्तव्य है कि आदेशिका वाहकों को आवश्यकता से अधिक समय के लिये मुख्यालय पर नहीं रोके और जब वे मुख्यालय पर हों तब उन्हें प्रातः 10:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश देवे और उन्हें अन्य विविध कार्य सौंपे। नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे की आदेशिका वाहक सर्कल से वापस लौटते ही वर्क टिकिट और निर्वाह हेतु सौंपी गई सभी प्रोसेस, भोजन व्यय या यात्रा भत्ता की राशियाँ वापस करें इस नियम का कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिये।
26. नाजिर का यह कर्तव्य है कि आदेशिका वाहक न्यायालयों में कार्य करते समय और आदेशिकाओं के निर्वाहन के कार्य में बाहर रहने पर भी सदैव आदेशिका वाहकों के प्रमाणिक बिल्ले या स्टेण्डर्ड बैचस् लगाकर कार्य करे। इस संबंध में नियम 90 सिविल के नोट की ओर नाजिर का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
27. म.प्र. सिविल न्यायालय नियम 1961 के नियम 72 के बाद आदेशिका वाहक और वापसी करने वाले अधिकारी के लिये कुछ मार्गदर्शन निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन नाजिर को सुनिश्चित करवाना चाहिये ये निर्देश निम्न प्रकार से हैं:—
 1. यदि आदेशिका वाहक आदेशिका में संबोधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हो तब इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिये और यदि आदेशिका वाहक उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है तब उसने संबोधित व्यक्ति की पहचान पर कैसे विश्वास किया इसका उल्लेख करना चाहिये।
 2. निर्वाह स्वीकार करने वाले व्यक्ति का नाम आदेशिका में दिये गये नाम से पूरी तरह समान होना चाहिये स्वीकृति के हस्ताक्षर और आदेशिका में वर्णित नाम में यदि भिन्नता हो तो इसका कारण लिखना चाहिये।
 3. यदि निर्वाह आदेशिका में लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति पर किया जाता है तब यह उल्लेख किया जाना चाहिये की वह व्यक्ति वयस्क है और आदेशिका में संबोधित व्यक्ति के साथ निवास करता है।

4. जब किसी प्रतिनिधि द्वारा आदेशिका का निर्वाह स्वीकार किया जाता है तब यह उल्लेख भी करना चाहिये कि वह निर्वाह स्वीकार करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत है।
5. जहां व्यक्ति आदेशिका लेने से इंकार करता है तो उसके इंकार करने का कारण यदि कोई हो और ऐसे साक्षी जिनके समक्ष आदेशिका लेने से इंकार किया गया है उनका नाम और पता उल्लेख करना चाहिये।
6. जहां पर्दानशीन स्त्री पर निर्वाह व्यक्तिगत संभव ना हो तब उसके परिवार के किसी उत्तरदायी पुरुष पर निर्वाह करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
7. जहां संबोधित व्यक्ति के भवन पर आदेशिका की प्रति चिपका कर निर्वाह किया जाता है या चस्या से तामील की जाती है तब भवन की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पता और यह तथ्य की वह भवन को जानता था इसका उल्लेख करें। साथ ही आदेशिका वाहक उस भवन पर किन-किन तारीखों पर गया साथ ही व्यक्तिगत निर्वाह के लिये किये गये प्रयास का उल्लेख करना चाहिये। क्या संबोधित व्यक्ति निर्वाह टालने का प्रयास कर रहा था, ऐसे कोई कारण हो तो लिखना चाहिये। जब आदेशिका की प्रति भवन पर चिपकाई गई तब भवन खुला था या ताला लगा था। संबोधित व्यक्ति भवन पर उपस्थित नहीं था तो उसके कहां जाने की जानकारी लगी उसका विवरण देना चाहिये और अन्य सभी परिस्थितियाँ लिखना चाहिये जिनमें आदेशिका की प्रति चिपकाना आवश्यक हुआ।
8. यदि संबोधित व्यक्ति निर्वाह की पावती पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तब इस तथ्य का उल्लेख करना चाहिये कि आदेशिका के प्रकार और विषय की सूचना उस व्यक्ति को दे दी गई है।
9. यदि अवयस्क पर व्यक्तिगत रूप से सूचना का निर्वाह किया जाता है तो उसकी लगभग उम्र जो दिखलाई देती है वह लिखना चाहिये।
10. प्रतिस्थापित तामील की दशा में आदेशिका संदर्भ और निर्वाह की पूरी व सही विधि का उल्लेख करना चाहिये।
11. जब तामील निगम, फर्म या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी नाम से कारोबार करने वाले व्यक्ति के नाम से की जाती है तब इस बात का उल्लेख करना चाहिये की संबधित फर्म के मुख्य स्थान या रजिस्टर्ड कार्यालय पर निर्वाह किया गया है और जिस अधिकारी पर निर्वाह किया गया है उसका पद भी उल्लेखित करना चाहिये।
12. साक्षी की व्यय की राशि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिये।
13. यदि आदेशिका वाहक भ्रमण के दौरान बीमार हो जाये या उसके नियंत्रण के बाहर का कोई कारण जैसे बाढ़ या कोई ऐसा ही अन्य कारण हो जिससे वह वर्क तिथि में नियत

तारीख पर नहीं लौट सकता हो तब उसके द्वारा निपटायी जा चुकी आदेशिकाएँ बेरंग या पोस्ट पे-बिल डाक से नाजिर या नायब नाजिर को तत्काल भेज देना चाहिये।

14. यदि आदेशिका वाहक वारंट के निष्पादन में कोई धन वसूल करता है तो उसे डिग्रीधारी या उसके प्रतिनिधि को सीधे भुगतान नहीं करना चाहिये बल्कि उस धन को नाजिर व नायब नाजिर को सिविल कोर्ट डिपॉजिट में जमा करने हेतु सौंपना चाहिये।

यदि आदेशिका वाहक ने 50 रूपये से अधिक का धन वारंट के तहत वसूला हो तो उसे मनीऑर्डर से न्यायालय को भेजना चाहिये मनीऑर्डर खर्च निर्णीत ऋणी उठायेगा लेकिन जहां डाकघर और मुख्यालय की दूरी बराबर है या डाकघर मुख्यालय से अधिक दूरी पर है तो उसे तुरंत मुख्यालय लौटना चाहिये और सारा धन नाजिर या नायब नाजिर को जमा करना चाहिये।

15. गिरफ्तारी वारंट की तामील के समय धारा 55 की उपधारा 1 तथा धारा 62 की उपधारा 2 सी.पी.सी. के निर्देशों का पालन होना चाहिये और निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तभी तोड़कर खोलना चाहिये जब ऐसा निवास गृह निर्णीत ऋणी के आधिपत्य में हो और वह आदेशिका वाहक को वहां तब पहुंचने में मना करता हो या निवारित करता हो साथ ही सूर्यास्त के पश्चात् सूर्योदय के पूर्व निवास गृह में गिरफ्तारी के लिये प्रवेश नहीं करना चाहिये, यदि उस कमरे में पर्दानशीन स्त्री हो तो उसे वहां से हटने के लिये समय देना चाहिये यदि संबंधित व्यक्ति वारंट में उल्लेखित राशि अदा कर दे तो उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिये।
16. नाजिर/नायब नाजिर का कर्तव्य है कि वे तामील के संबंध में उक्त निर्देशों तथा म.प्र. सिविल न्यायालय नियम, 1961 में दिये गये उक्त निर्देशों से प्रोसेस सर्वर को अवगत करावे और इनकी पालना सुनिश्चित करें।

•

3. नक्शे मानचित्र व बजट भेजना

1. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक और वार्षिक मानचित्र सही तरीके से तैयार करे और उन्हें समय पर भेजे।
2. बजट बनाना लेखापाल के साथ-साथ नाजिर का भी एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसका पूर्ण गंभीरता से और सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिये। प्रत्येक शीर्ष में पूरे वर्ष में कितनी राशि लगेगी यह पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर आंकलन करना चाहिये किसी भी मद में न तो अत्यंत कम और न ही अत्यंत अधिक राशि मांगना चाहिये और एक युक्तियुक्त राशि की मांग करना चाहिये।

•

4. फर्नीचर व अन्य स्टॉक के बारे में

1. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह पूरे जिले के फर्नीचर का स्टॉक रखे और किस न्यायालय को या किस अनुभाग को कौन सा फर्नीचर आबंटित किया गया है इसका स्पष्ट उल्लेख करे। वर्ष में एक बार स्टॉक का भौतिक सत्यापन करे।
2. मरम्मत योग्य फर्नीचर की सूची बनावे और उसे प्रभारी अधिकारी के माध्यम से माननीय जिला जज महोदय के समक्ष रखे ताकि सभी फर्नीचर काम में लेने योग्य स्थिति में रहे।
3. नाजिर को पूरे जिले के न्यायालयों, अनुभागों आदि पर विचार करते हुये ऐसी सूची भी तैयार करना चाहिये कि कितना फर्नीचर किस न्यायालय और किस अनुभाग के लिये चाहिये।
4. नाजिर को सभी न्यायालय और अनुभागों की अन्य आवश्यकताएँ जैसे पर्दे, टेबिल क्लाथ आदि के बारे में भी प्रत्येक तीन माह में संबंधित न्यायालय से या अनुभाग से संपर्क करके सूची बनाना चाहिये और ऐसी सूची प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जिला जज महोदय के समक्ष रखना चाहिये।

•

5. न्यायालय भवन के संबंध में

1. नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय भवन की सुरक्षा और रखरखाव के बारे में आवश्यक व्यवस्थाएँ करे और यदि न्यायालय भवन में कोई निर्माण या मरम्मत का तथ्य है तो उसे प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लावे।
2. चौकीदार की समय-समय पर जांच करके उसका प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करे।
3. पूरे न्यायालय भवन की साफ-सफाई के बारे में एक कार्य योजना रखे और उस पर साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य बनाकर सफाई का प्रबंध करे। न्यायालय भवन में उचित स्थानों पर डस्टबीन की व्यवस्था करावे।
4. न्यायालय के बगीचे की देखरेख के लिये उचित मात्रा में कर्मचारी लगावे।

•

6. अन्य कर्तव्य

1. नियम 448 सिविल एवं नियम 672 फौजदारी के तहत नाजिर, नायब नाजिर, सेल अमीन, आदेशिका वाहक, आदेशिका लेखक को एक प्रतिभू अनुबंध संपादित करना होता और जमानत देना होती है, नियम 449 सिविल के तहत सेल अमीन को 500 रुपये की और आदेशिका वाहक को और आदेशिका लेखक को 100 रुपये की प्रतिभूति देना होती है।

2. नियम 450 के तहत 110 रुपये और इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को नगद धन या राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमानत देना होती है, नियम 451 में वेतन से जमानत की राशि काटी जाने के प्रावधान है, कर्मचारी एक साथ नगद धन भी जमा कर सकते हैं। नियम 452 सिविल के तहत वेतन से काटी गई राशि के बारे में संबंधित कर्मचारी के नाम से पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने के निर्देश हैं और इस संबंध में नाजिर और नायब नाजिर पर इस नियम के तहत ऐसे कर्मचारियों की सूची रखने के भी प्रावधान है। नाजिर/नायब नाजिर का कर्तव्य है कि इन नियमों को कड़ाई से पालन करे। नियम 453 में राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने के भी प्रावधान है।
3. नाजिर/नायब नाजिर का ध्यान नियम 454 से 457 सिविल की ओर दिलाया जाता है जिनमें कर्मचारीगण से नियम 448 के तहत जमानत लेने संबंधी निर्देश हैं जबकि नियम 458 में यदि संपत्ति की कोई हानि पाई जाती है तो उसकी सूचना तत्काल उच्च न्यायालय को भेजने के निर्देश हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
4. नियम 672 से 678 म.प्र. नियम एवं आदेश आपराधिक भी ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में हैं जिनका कि पालन किया जाना चाहिये।
5. नाजिर/नायब नाजिर का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रभारी अधिकारी या जिला जज द्वारा समय-समय पर बतलाये गये अन्य कर्तव्यों का भी पालन करें।
6. न्यायालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज प्रातः लगवाना और सूर्यास्त के पूर्व उसे उतरवाने का ध्यान विशेष रूप से नाजिर/नायब नाजिर का रखना चाहिये एवं राष्ट्रीय ध्वज सही स्थिति में फहराया जाये इसका भी ध्यान रखना चाहिये।
7. नाजिर/नायब नाजिर का यह कर्तव्य है कि किसी भी न्यायालय या पीठासीन अधिकारी के बंगला ऑफिस या किसी भी अनुभाग का कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यदि अवकाश पर जाता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करना ताकि कार्य में व्यवधान न हो। नाजिर/नायब नाजिर का कर्तव्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अवकाश लेखे को सही रूप से मन्टेन करना भी है इस कर्तव्य का पालन इस प्रकार किया जाये कि संबंधित कर्मचारी के अवकाश और कार्य व्यवस्था के बीच उचित तालमेल बना रहे।
8. नाजिर/नायब नाजिर का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय भवन में पीने और अन्य उपयोग के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखे और कठिनाई होने पर प्रभारी अधिकारी महोदय से मार्गदर्शन लेवे।
9. न्यायालय भवन की समय-समय पर रंगाई पुताई आदि पर ध्यान देना नाजिर का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसका उसे सावधानी से पालन करना चाहिये।

•

लेखापाल/सहायक लेखापाल के कर्तव्य

प्रत्येक जिला न्यायालय में एक पद लेखापाल या एकाउंटेंट का तथा कुछ पद सहायक लेखापालों के होते हैं इनके बीच कार्य सुविधा की दृष्टि से आपस में विभाजित रहता है इनके मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

1. समस्त प्रकार के भुगतान के बारे में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करना और भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर विभिन्न प्रकार के देयक या बिलस् बनाना जैसे अधिकारीगण/कर्मचारीगण के वेतन बिल, एरियर्स बिल, यात्रा भत्ता बिल, मेडिकल बिल, सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी आहरण के बिल, न्यायाधीशगण को प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के बिल जैसे विद्युत, जल, टेलीफोन, समाचार पत्र/पत्रिका, वेतन समर्पण, एल.टी.सी. आदि के बिल, कार्यालय के स्टेशनरी, फर्नीचर आदि से संबंधित बिल।

लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह उक्त समस्त प्रकार के बिल से संबंधित भुगतान प्रस्ताव और भुगतान स्वीकृति ठीक समय पर लेवे और अनुचित विलंब के बिना उक्त बिल तैयार करके कोषालय में भिजावे।

2. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक शीर्ष के लंबित बिलों की पृथक-पृथक सूची मेंटेन करे ताकि सूची देखते ही यह पता लग जाये की किस शीर्ष में कितने बिल लंबित है और क्यों लंबित है ऐसी सूची रखने से यह भी पता लग सकता है कि किस शीर्ष में अतिरिक्त आबंटन की मांग करना है।
3. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्तव्य है कि वह वार्षिक बजट समय पर तैयार करे इस कार्य को वह नाजिर के साथ मिलकर इस प्रकार करे कि प्रत्येक शीर्ष में आवश्यक राशि की मांग की जा सके न तो अत्यधिक राशि की मांग करना चाहिये और न ही अल्प राशि मांगना चाहिये एक संतुलित बजट गत वर्षों के अनुभवों के आधार पर बनाना चाहिये इसके बावजूद यदि आवश्यक हो तो समय के पूर्व अतिरिक्त आबंटन की मांग भी की जावे।
4. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारीगण/कर्मचारीगण के अवकाश बाबत् लेख मेंटेन करे। अवकाश आवेदन समय पर नोट शीट के साथ जिला जज महोदय को प्रस्तुत करे। अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत होने की दशा में समय पर आदेश बनाकर संबंधित को भिजावे। प्रायः अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश समय पर स्वीकृत या अस्वीकृत होकर संबंधित को प्राप्त नहीं हो पाते हैं इसे रोकने के लिये आवेदन आते ही नोटशीट बनाकर जिला जज महोदय के समक्ष रखना चाहिये।
5. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारीगण/कर्मचारीगण की सेवा पुस्तिकाएँ या सर्विस बुक, सेवा अभिलेख अपटूडेड रखे इनमें समय-समय पर जिला जज महोदय या प्रभारी अधिकारी से प्रमाणीकरण लेवे, सेवा अभिलेखों में वेतन वृद्धि संबंधी, वेतन निर्धारण संबंधी और अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ समय पर करे।

6. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्त्तव्य है कि वह पेंशन प्रकरण समय पर बनावे और एक ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करे कि आगामी वर्षों में जो कर्मचारीगण सेवा निवृत्त होने वाले हैं उनके पेंशन संबंधी कार्यवाही लगभग एक से दो वर्ष के पूर्व से इस प्रकार प्रारंभ कर दी जावे कि कर्मचारी के सेवा निवृत्त होते ही युक्तियुक्त समय के भीतर उसे पेंशन, ग्रेज्युटी, सामान्य भविष्य निधि आदि की राशियाँ मिल जावे।

प्रायः यह देखा जाता है कि सेवा निवृत्ति के बाद भी कर्मचारीगण को अपने पेंशन और अन्य भुगतानों के लिए जिला न्यायालय कार्यालय/कोषालय आदि में भटकना पड़ता है यदि लेखापाल/सहायक लेखापाल ऐसी मानसिकता लेकर की एक दिन उन्हें भी सेवा निवृत्त होना है उक्त कार्य प्रणाली अर्थात् सेवा निवृत्ति के एक से दो वर्ष के पूर्व से ही संबंधित कर्मचारी के पेंशन और अन्य भुगतान संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर देने की कार्यप्रणाली विकसित कर लेते हैं तो इससे उनका और संबंधित कर्मचारी का समय बचेगा और यह विभाग का कर्त्तव्य भी है कि जिस कर्मचारी ने वर्षों तक विभाग की सेवा की है उसकी भुगतान ठीक समय पर मिल जावे।

7. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्त्तव्य है कि वह तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि संबंधी अभिलेख मेन्टेन करे और इन्हें गोपनीय तरीके से रखे इस संबंध में होने वाले पत्राचार को भी लेखापाल को ही देखना होता है।
8. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्त्तव्य है कि वह स्थानांतरित अधिकारीगण/कर्मचारीगण का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र या एल.पी.सी. बनाकर शीघ्र भेजे ताकि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को नयी पद स्थापना पर वेतन आदि में कठिनाई न हो।
9. लेखापाल /सहायक लेखापाल का यह कर्त्तव्य है कि वह अधिकारीगण /कर्मचारीगण का प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह से ही आयकर संबंधी एक आंकलन तैयार कर ले कि संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण का उस वित्तीय वर्ष में कितना आयकर बनेगा और उस अनुसार मासिक आयकर कटौती के बारे में प्रस्ताव माननीय जिला जज महोदय के समक्ष रखे साथ ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से भी इस संबंध में पूछताछ की जा सकती है।
10. लेखापाल/सहायक लेखापाल का यह कर्त्तव्य है कि वह संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण को समय पर फार्म नं. 16 उपलब्ध करावे ताकि वे अपना आयकर रिटर्न समय पर जमा कर सकें।

•

सांख्यिकीय लिपिक या स्टेटिसटीकल क्लर्क के कर्त्तव्य

प्रत्येक जिला न्यायालय में एक सांख्यिकीय लिपिक या स्टेटिसटीकल क्लर्क का पद होता है जिसके कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं :-

1. पूरे जिले के समस्त न्यायालयों से प्राप्त मानचित्रों या स्टेटमेंट और अन्य जानकारियों को संकलित या कनसोलिडेट करके माननीय उच्च न्यायालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक

अनिवार्य रूप से भिजवाना। यह सांख्यिकीय लिपिक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसका उसे कठोरता से पालन करना चाहिये और ऐसे सभी प्रयास किये जाना चाहिये की माननीय उच्च न्यायालय को उचित समय पर सभी प्रकार के मानचित्र और जानकारियाँ पहुंच जायें।

प्रत्येक जिले से मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक मानचित्र और अन्य जानकारियाँ भेजी जाती हैं सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह ये जानकारियाँ समस्त न्यायालयों से उनके अनुभाग में समय पर प्राप्त हो जावे इसके लिये माननीय जिला जज महोदय के माध्यम से ज्ञापन भिजावे संबंधित सिविल रीडर, निष्पादन लिपिक व अन्य कर्मचारीगण के मोबाइल नंबर अपने पास रखे ताकि उनसे तत्काल संपर्क करके जानकारी बुलवाई जा सके।

सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने अनुभाग में विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त मानचित्रों एवं अन्य जानकारियों की पृथक-पृथक पत्रावलियाँ बनाकर रखे जिले में कितने न्यायालय हैं उनकी सूची रखें और उसी सूची के सामने एक ऐसा इंडेक्स रखे जिसे देखते ही यह पता लग जावे की किस न्यायालय से कौन सा मानचित्र प्राप्त हो चुका है या होना है।

2. सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह कार्य विभाजन पत्रक या डिस्ट्रीब्यूशन मेमो माननीय जिला जज महोदय के निर्देशन पर तैयार करे और उसे वर्ष के प्रारंभ में सभी न्यायालयों को भिजावे यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे पूर्ण सावधानी से किया जाना चाहिये।

3. सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह माननीय उच्च न्यायालय, राज्य शासन आदि से प्राप्त होने वाले सर्कुलर को माननीय जिला जज महोदय के आदेशानुसार जिले के समस्त न्यायालयों/अनुभागों में उनकी प्रकृति के अनुसार सर्कुलेट करे और सर्कुलर को पत्रावली या फाइल बनाकर रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सर्कुलर आसानी से उपलब्ध हो सके।

सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह इन सर्कुलर को उनके प्रकार के अनुसार अलग-अलग पत्रावली बनाकर रखे इसके लिये सांख्यिकीय लिपिक अलग-अलग शीर्ष या हेड बना सकते हैं और उसके अनुसार सर्कुलर रख सकते हैं।

4. कुछ स्थानों पर सांख्यिकीय लिपिक को नोटरी, शपथ आयुक्त, आवेदन पत्र लेखक एवं अधिवक्ताओं के लिपिक/मुंशी से संबंधित कार्य भी आबंटित रहता है अतः सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह शपथ आयुक्त एवं आवेदन पत्रक लेखक, अधिवक्ताओं के लिपिक आदि से संबंधित अभिलेख मेन्टेन करें सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि जिले के शपथ आयुक्त, नोटरी, आवेदन पत्रक लेखक एवं अधिवक्ताओं के लिपिक एवं मुंशी के बारे में पृथक-पृथक पत्रावलियाँ बना कर रखे। इनसे संबंधित पत्र व्यवहार अपटूडेड रखें।

अधिवक्ता के क्लर्क या मुंशी के बारे में नियम 538 सिविल एवं नियम 750 फौजदारी के अनुसार एक रजिस्टर मेन्टेन करना होता है जिसमें कॉलम नं. 1 से 9 में विभिन्न जानकारियाँ अंकित करनी होती हैं सांख्यिकीय लिपिक यह रजिस्टर उचित रीति से मेन्टेन करें।

अधिवक्ता के क्लर्क के आवेदन के साथ नियम 539 सिविल एवं नियम 751 फौजदारी के अनुसार प्रमाण पत्र और जानकारी लगाना होती है सांख्यिकी लिपिक यह जांच करे की ऐसी जानकारी लगाई गयी हैं या नहीं।

नियम 540 दीवानी एवं नियम 752 फौजदारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी के पूर्व नवीनीकरण आवेदन अधिवक्ता के क्लर्को/मुंशी के बारे में देना होते हैं जिनके साथ नियम 541 सिविल या नियम 753 फौजदारी के अनुसार शुल्क लगाना होती है। सांख्यिकीय लिपिक जांच करे की ऐसे नवीनीकरण आवेदन और उनके शुल्क समय पर दी हैं या नहीं।

नियम 544 सिविल एवं नियम 756 फौजदारी के अनुसार मान्यता प्राप्त लिपिकों/मुंशी के नामों की सूचना जिले के समस्त न्यायालयों को भिजवाना चाहिये ताकि अधिकृत क्लर्क /मुंशी ही न्यायालय में प्रविष्ट हो सकें।

नियम 542 सिविल एवं नियम 754 फौजदारी के अनुसार अधिवक्तागण के क्लर्क के पद के लिये आवश्यक योग्यताएँ बताई गई हैं जिसके अनुसार उसे हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये और संबंधित अधिवक्ता यदि उच्च न्यायालय में व्यवसाय करते हैं तब अंग्रेजी का भी पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है उसका अनुमोदन अधिवक्ता संघ से होना आवश्यक है अतः इन नियमों को सांख्यिकीय लिपिक नोटशीट लिखते समय ध्यान में रखें, साथ ही नियम 543, 545 सिविल एवं नियम 754 एवं 757 फौजदारी के प्रावधान को भी ध्यान में रखें।

नियम 536 से 552 सिविल एवं नियम 748 से 764 फौजदारी के प्रावधान अधिवक्ता व्यवसायियों के क्लर्क या मुंशी के बारे में हैं जिन्हें सांख्यिकीय लिपिक को ध्यान में रखना चाहिये और उन्हीं के अनुरूप अभिलेख मेन्टेन करना चाहिये तथा उन्हें ध्यान में रखकर इस संबंध में नोटशीट लिखना चाहिये।

5. सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह आवेदन पत्र लेखक या पिटीशन राइटर के संबंध में नियम 765 से 790 फौजदारी के प्रावधानों को ध्यान में रखे।

नियम 769 फौजदारी के अनुसार 20 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र लेखक के लिये आवेदन कर सकता है नियम 770 फौजदारी में आवेदन पत्रों में उल्लेखित तथ्यों का विवरण है और नियम 771 में आवेदन पत्र लेखक की योग्यता बताई गई है जिन्हें सांख्यिकीय लिपिक को ध्यान में रखना चाहिये ताकि आवेदन पत्र लेखक की अनुज्ञप्ति के संबंध में नोट शीट लिखने में सुविधा रहे।

6. सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह जिले के नोटरी और शपथ आयुक्त के संबंध में प्राप्त हुये पत्राचार का अभिलेख उचित रीति से मेन्टेन करे और पत्रों का सही समय पर उत्तर तैयार करके नोट शीट के साथ माननीय जिला जज महोदय के समक्ष रखें।

7. सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों को करे।

सांख्यिकीय लिपिक का यह कर्त्तव्य है कि वह जिले के समस्त न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की स्थिति के बारे में ऐसी जानकारी सदैव तैयार रखे कि माननीय जिला जज महोदय द्वारा पूछे जाने पर वह लंबित प्रकरणों की स्थिति तत्काल बता सकें।

सांख्यिकीय लिपिक को वर्ष के प्रारंभ में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की स्थिति को एक चार्ट बनाकर रखना चाहिये ताकि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय वर्ष के प्रारंभ में ही समस्त न्यायालयों के बीच प्रकरणों को उनकी प्रकृति के अनुसार उचित रीति से विभाजित कर सकें।

•

कर्मचारीगण के सामान्य व्यवहार आचरण आदि के बारे में निर्देश

ये निर्देश समस्त कर्मचारीगणों के लिए चाहे वे किसी भी न्यायालय में या किसी भी शाखा में किसी भी पद पर पदस्थ हों समान रूप से लागू होते हैं इन निर्देशों की पालना करने से अनावश्यक तनाव और शिकायतों से बचा जा सकता है और कर्मचारी की छवि भी अच्छी बनती है ये निर्देश निम्न प्रकार से हैं :-

समय की पाबंदी एवं समय प्रबंधन

1. यह प्रत्येक कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि वह अपने कार्यालय में ठीक समय अर्थात् प्रातः 10:30 पर या इसके कम से कम 5 मिनट पहले नियमित रूप से आवे और कार्यालयीन समय समाप्त होने अर्थात् शाम 5:30 बजे के पूर्व कार्यालय न छोड़े। समय की पाबंदी प्रत्येक शासकीय सेवक का एक अनिवार्य गुण होता है प्रायः इसमें कई कर्मचारी असफल देखे जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी ने अपने शैक्षणिक काल में परीक्षाएँ अवश्य दी होंगी या रेल या बस से यात्रा अवश्य की होगी याद कीजिये कितने बार ऐसा हुआ है की आप परीक्षा में ठीक समय नहीं पहुंचे या आपकी रेल या बस आपके विलंब से पहुंचने के कारण छूट गई ऐसा सामान्यतः नहीं के बराबर हुआ होगा जब आप परीक्षा देने समय पर पहुंच सकते हैं रेल और बस के समय पर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन इसी ट्रेफिक में से होकर और इन्हीं परिस्थितियों में पहुंच सकते हैं तब अपने कार्यालय पर समय पर क्यों नहीं पहुंच सकते आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है और समय पर पहुंचने को गंभीरता से लेने की है अतः प्रत्येक कर्मचारी समय की पाबंदी की आदत विकसित करे।
2. समय पर कार्यालय ही पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कर्मचारी का अपनी सीट पर बैठना और कार्य आरंभ कर देना भी आवश्यक है यदि प्रातः ठीक समय पर अपने पद का कार्य प्रारंभ कर दिया जावे और आपके द्वारा कार्यालय समय में बिताये गये समय पर यदि कड़ी नजर रखी जायें और समय की बर्बादी न होने दें तो आपका कार्य कार्यालय समय में ही काफी सीमा तक निपट सकता है कुछ सेक्शन अपवाद हो सकते हैं जहां अतिरिक्त समय बैठना आवश्यक होता है लेकिन सामान्य कर्मचारी यदि प्रातः 10:30 बजे अपने पद का कार्य प्रारंभ कर देता है तो उसे

शाम 5:30 बजे तक लंच समय को छोड़कर साढ़े 6 घंटे मिलते हैं किसी दिन इस साढ़े 6 घंटे पर नजर रखकर देखिये कि इस समय का उपयोग आपने कैसे और किस काम में किया और कहां-कहां अनावश्यक समय बिताया, ऐसा देखने से आप समय का प्रबंधन करना सीखेंगे और एक बार समय की पाबंदी और समय का प्रबंधन आप सीख गये तो आप के कार्य और कार्य की गुणवत्ता सुधरेगी।

ड्रेस कोड

3. न्यायालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारीगण के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन न्यायालय के कर्मचारीगण साधारण और सोबर ड्रेस पहनते हैं तो यह उनके कार्य की प्रकृति को देखते हुये उचित रहेगा न्यायालय में अधिक भड़कीले कपड़े पहनकर आना उचित नहीं माना जा सकता अतः अपने व्यक्तित्व के अनुरूप साधारण वेशभूषा प्रत्येक कर्मचारी के लिये उचित रहती है इसका यथासंभव ध्यान रखा जाना चाहिये।

मोबाइल का प्रयोग

4. वैज्ञानिक अविष्कार को उनके सही रूप में यदि प्रयोग किया जाये तो वे वरदान हो जाते हैं यदि इनका दुरुपयोग किया जाये तो ये अभिशाप हो जाते हैं यही स्थिति मोबाइल पर भी लागू होती है यह सुविधा इसलिए बनी है कि अत्यावश्यक परिस्थिति में किसी व्यक्ति से सीधे संपर्क किया जा सके ताकि समय और धन की बचत हो सके अतः यह प्रयास किया जाना चाहिये की कार्यालय समय में अत्यावश्यक परिस्थिति को छोड़कर मोबाइल का प्रयोग न किया जाये उसे साइलेंट मोड पर रखा जावे। अपने परिचितों, रिश्तेदारों को यह बतलाया जा सकता है कि वे अपवादित परिस्थितियों को छोड़कर कार्यालय समय में उन्हें मोबाइल पर संपर्क न करें ऐसा करने से आपका बहुमूल्य समय बचेगा।
5. मोबाइल पर अत्यावश्यक परिस्थिति में केवल काम की बात करके या सुनकर उसे तत्काल काट देना चाहिये और इस वैज्ञानिक सुविधा का सदुपयोग करने का प्रयास करें और इसके दुरुपयोग से बचें।

पक्षकारों, अभिभाषकगणों, साथी कर्मचारीगणों से बर्ताव

6. आपके कार्यालय में न्यायालय में आने वाले पक्षकार, गवाह, अभिभाषकगण एवं आपके साथी कर्मचारीगण से नम्रता पूर्वक और मधुर व्यवहार करे अपशब्दों का प्रयोग न करें और यदि सामने वाला ऐसा कर भी रहा है तो यह जानने का प्रयास करे की उसके ऐसे व्यवहार करने का क्या कारण है, उसकी क्या परेशानी है, उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं इन सब बातों को सोचकर फिर भी उसके प्रति अच्छे व्यवहार का प्रयास करें। अप्रिय स्थिति बने उसके पहले संबंधित पीठासीन अधिकारी या शाखा प्रमुख के ध्यान में उक्त तथ्य लावे।
7. कुल मिलाकर आपको अपनी ओर से विवाद को टालने के प्रयास करने चाहिये और अच्छा व्यवहार करना चाहिये।

अवकाश

8. प्रायः बिना अवकाश स्वीकृत कराये या संबंधित अधिकारी से अनुमति लिये बिना अवकाश पर न जावे अनावश्यक अवकाश लेने से बचें। मुख्यालय पर रहे अवकाश के दिन भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर ही जावे, डेली अप-डाउन से बचें और यदि ऐसा कर भी रहे हैं तो इससे कार्य प्रभावित न हो इसका ध्यान रखें। प्रत्येक शासकीय सेवक को नियमों के अनुसार उसके मुख्यालय पर ही रहना चाहिये।

अन्य निर्देश

9. अपनी शाखा में जिला नाजिर/पीठासीन अधिकारी को कहकर अपनी सीट पर अपने नाम की एक प्लेट जिसमें पद भी लिखा हो लगवावे ताकि न्यायालय में आने वाले सभी व्यक्ति यह पता लग सकें की कौन सा कर्मचारी किस शाखा का कार्य देख रहे है।
10. अपनी सीट पर अपनी शाखा से भेजे जाने वाले मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक नक्शे जानकारीयों आदि की सूची अपने टेबल ग्लास के नीचे लगाकर रखें ताकि उसे देखते ही आपको यह पता लग जाए की कौन सी जानकारी किस तारीख तक भेजना है या भेज दी है, समय पर प्रत्येक जानकारी और नक्शे भेजें।
11. अपने पद का कार्य पूर्ण समर्पण भावना से करें जिस भी जगह पदस्थ हो वहां सभी कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठाकर टीम भावना से कार्य करें अपना कार्य अच्छे से अच्छे ढंग से करे और कार्य की गुणवत्ता लगातार सुधारते रहे।
12. जिन कर्मचारियों के जो कर्तव्य बतलाये गये हैं उसके अतिरिक्त भी यदि पीठासीन अधिकारी या प्रभारी अधिकारी समय-समय पर जो भी कार्य बतलाते है उसे करना है बतलाये गये कर्तव्यों में कोई कर्तव्य छूट भी गया हो तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह कर्तव्य उस कर्मचारी का नहीं है या जो कर्तव्य बतलाये गये हैं केवल उतना ही काम करना है।
13. कभी भी पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी सीट से अधिक समय के लिये न जाये और यदि 10 से 15 मिनट से अधिक समय के लिये कही जा रहे है तो पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से अनुमति लेकर ही जावे।

ईमानदारी

14. प्रत्येक शासकीय सेवक का यह कर्तव्य है कि वह अपने पद का कार्य पूर्ण ईमानदारी से करे। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई काम हो गया है और वह आपको कुछ भेंट देना चाहता है और यदि आप विनम्रता पूर्वक भेंट लेने से इंकार करते हैं और यह कहते हैं की यह तो मेरा कर्तव्य है तो इसे अमृत-पान कहा जा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति का कोई काम हो गया है या आपने कर दिया है और वह कोई भेंट नहीं देता है और उससे कुछ मांग करते हैं तो इसे विष-पान कहा जा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति का कोई काम हो गया है या आपने कर दिया है और वह कोई भेंट नहीं देता है और आप उससे यह मांग करते हैं कि उस काम के बदले एक निश्चित भेंट ही लेंगे उससे कम नहीं लेंगे तो इसे रक्त-पान कहा जा सकता है।

आप अमृत-पान का प्रयास कीजिये क्योंकि अमृत के लिये तो समुद्र का मंथन हुआ था और देवताओं और दानवों में संघर्ष हुआ था यहां आपको एक ऐसे व्यक्ति का कार्य करना है या करते हैं जो सब प्रकार से निराश होकर न्यायालय में आता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाने का विकल्प सामान्यतः सबसे अंत में चुनता है जब सब प्रयास विफल हो जाते हैं तब वह न्यायालय की शरण लेता है ऐसे व्यक्ति के लिये यदि आप कोई वैधानिक सेवा करते हैं तो यह निश्चित रूप से अमृत-पान के समान पुण्य का काम है, इसका लाभ लीजिये।

कठोर परिश्रम

15. कठोर परिश्रम से कभी मत घबराईये यदि आप समय पर कार्यालय आकर समय पर ही अपने पद का कार्य प्रारंभ कर देते हैं और यह कार्य पूर्ण एकाग्रचित्तता और कठोर परिश्रम से करते हैं तभी आप अपने विभाग को श्रेष्ठ सेवा दे पायेंगे। कठोर परिश्रम से कभी मत घबराईये।

स्वास्थ्य

16. वर्तमान समय में स्वास्थ्य एक बहुत जटिल समस्या बन गयी है वास्तव में यह उतनी जटिल है नहीं जितनी बन जाती है यदि हम नियमित 24 घंटे में से मात्र 45 से 60 मिनट अपने शरीर को प्राणायाम, घूमना या अन्य व्यायाम में देते हैं तो इस समस्या से बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं, अतः अपने शरीर के लिये 24 घंटे में से मात्र 45 से 60 मिनट अवश्य निकालें।



यदि आप सच कहते हैं, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। मार्क
ट्वैन

PART - II

NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS

- 55. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.) – Section 12 (1) (f)**
Decree, setting aside of – Earlier decree can be set aside only in case where the alleged decree was passed by Court having no jurisdiction or it was passed by playing fraud or on settled principles of law – It cannot be set aside merely on the ground that judgment and decree were incorrect.

Hafizullah v. Puran Chand Jain and another

Judgment dated 12.07.2013 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 537 of 1999, reported in 2014 (1) MPLJ 167 (DB)

Extracts from the judgment :

Though a subsequent suit can be filed where a judgment and decree passed in earlier suit is without jurisdiction or the Court was having inherent lack of jurisdiction, but if the suit has been decided by a competent Court of jurisdiction, merely the findings recorded in the earlier suit were not suitable to the plaintiff or it can be stretched to the extent that the aforesaid findings were not correct, even then no suit could have been filed for setting aside the aforesaid finding recorded in the earlier suit. Only in a case where the decree was passed by a Court having no jurisdiction or it was passed by playing fraud or on settled principles of law, earlier decree can be set aside, but in absence of aforesaid, a subsequent judgment and decree cannot be set aside merely on the ground that the earlier judgment was not correct.

•

- 56. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.) – Sections 12 (1) (h) and 18**

Decree of eviction on the ground under section 12 (1) (h) of the Act – Right to re-entry under section 18 of Act, waiver of – It is mandatory on the part of the Court to ascertain from the tenant whether he chooss to re-enter the premises and the provision is mandatory in nature – However, a mandatory provision which is enacted for the welfare of the individual can be waived by him – If the tenant does not take a ground with regard to non-compliance of section 18 of the Act in appeal, the same is deemed to have been waived.

Khumni Bai and others v. Ghanshyam Jaiswal (Dr.) (since dead) through LRs. Pranjal Jaiswal and others

Judgment dated 03.09.2013 passed by the High Court of M.P. in Second Appeal No. 33 of 1999, reported in 2014 (1) MPLJ 425

Extracts from the judgment :

The essential ingredients with regard to grounds under section 12 (1) (h) of the Act have been pleaded by the plaintiff. From perusal of the memo of appeal filed under section 96 of the Code of Civil Procedure, it is evident that the defendant has failed to take any ground with regard to non-compliance of section 18 of the Act. Thus, the option which is provided to him under the law as contained in section 18 of the Act has been waived by the defendant. For yet another reason, the contention with regard to non-compliance of section 18 of the Act cannot be accepted. It is pertinent to mention here that in this case, both the Courts on the basis of meticulous appreciation of evidence on record have recorded a finding that the plaintiff bona fide needs the suit shop and, therefore, the decree for eviction has been passed under section 12 (1) (f) and 12 (1) (h) of the Act. Therefore, the provisions of section 18 of the Act does not apply to the facts of the case. (See *Radheshyam v. Durga Bai*, AIR 1985 SC 139).

•

***57. ADMINISTRATION OF JUSTICE:**

- (i) **Judicial temperament – Sobriety – Principles reiterated – Undue and harsh language used by the Court in the judgment – Held, Court should remember that sobriety is always a hallmark of judicial temperament.**
- (ii) **Allegations of personal *mala fides*, proof of – Held, it is very easy to level allegations of personal *mala fides* but for a Court to act on those allegations, there has to be clear and clinching evidence of unblemished character – Mere *ipse dixit* of party in this regard will not suffice.**

Purshotam & anr. v. State of M.P. & ors.

Judgment dated 31.01.2013 passed by the High Court in First Appeal No. 117 of 1999, reported in ILR (2014) MP 150

•

***58. CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 – Section 96**

Suit for damages – Negligence – Principle of strict liability, applicability of.

Facts of the case:

Parents filed suit for damages contending that their son came into contact with live broken electric wire lying on the road and died on the spot – It was pleaded that such electric line was not properly looked after and maintained by the Vidyut Company and there was grave negligence on their part – In rebuttal, it was pleaded by the Company that the incident had happened because of natural calamity and act of God – Held, there is apparent negligence on the part of officers of the Company towards their duties – Further held, even

otherwise, they cannot escape their liability on the ground that the alleged incident took place because of *vis major* or act of God or due to natural calamity and on account of principle of strict liability, they are liable to pay compensation.

Junior Engineer MPSEB & anr. v. Kishanlal & anr.

Judgment dated 24.07.2012 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 554 of 2006, reported in ILR (2014) MP 135

•

59. CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 – Order 2 Rule 2

Bar – When attracted? If a party has omitted certain reliefs which were available to it at the time of filing of the first suit and after having relinquished the same, it cannot file a separate suit in view of the provisions of Order 2 Rule 2 CPC.

State Bank of India v. Grasacure Pharmaceuticals Limited

Judgment dated 22.11.2013 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 10531 of 2013, reported in (2014) 3 SCC 595

Extracts from the judgment:

The facts on the basis of which the subsequent suit was filed, existed on the date on which the earlier suit was filed. The earlier suit was filed on 15-3-2003 and subsequent suit was filed on 21-5-2003. No fresh cause of action arose in between the first suit and the second suit. The closure of account, as already indicated, was intimated on 20-3-2002 due to the alleged fault of the respondent in not regularising their accounts i.e. after non-receipt of the payment of the LC, the account became irregular. When the first suit for recovery of dues was filed i.e. on 15-3-2001 for alleged relief, damages sought for in the subsequent suit could have also been sought for. Order 2 Rule 2 provides that every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the same cause of action. The respondent is not entitled to split the cause of action into parts by filing separate suits. We find, as such, that the respondent had omitted certain reliefs which were available to it at the time of filing of the first suit and after having relinquished the same, it cannot file a separate suit in view of the provision of sub-rule 2 of Order 2 Rule 2 CPC. The object of Order 2 Rule 2 is to avoid multiplicity of proceedings and not to vex the parties over and again in a litigative process. The object enunciated in Order 2 Rule 2 CPC is laudable and it has larger public purpose to achieve by not burdening the court with repeated suits.

•

60. CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 – Order 18 Rule 4

Recording of evidence – Law explained – Discretion of the Court to record evidence by way of affidavit of examination-in-chief in Court is directly limited to the witnesses who are summoned under Order 16 Rule 1 of the Code – In other cases, it is mandatory for the Court to record evidence by way of affidavit under Order 18 Rule 4 (1) of the Code.

Sagar Singh Yadav v. Sudama Singh Yadav & ors.

Order dated 15.01.2014 passed by the High Court of M.P. in Writ Petition No. 6342 of 2013, reported in ILR (2014) MP 100

Extracts from the order:

Interestingly, in *Salem Advocate Bar Association v. Union of India*, AIR 2003 SC 189 the Apex Court has dealt with this aspect. In para 17, the Apex Court opined that reading the provisions of Orders 16 and 18 CPC together, it is clear that Order 18 Rule 4 (1) will necessarily apply to a case contemplated by Order 16 Rule 1-A CPC. It is opined that as per Order 16 Rule 1-A, if any party to a suit without applying for summoning under Rule 1 brings any witness to give evidence, in that case, examination-in-chief must be recorded in the form of an affidavit and it not to be recorded in the Court. The said portion reads as under:-

“Reading the provisions of Order 16 and Order 18 together, it appears to us that Order 18 Rule 4 (1) will necessarily apply to a case contemplated by Order 16 rule 1 A, i.e., where any party to a suit, without applying for summoning under Rule 1 brings any witness to give evidence or produce any document. In such a case, examination-in-chief is not to be recorded in court but shall be in the form of an affidavit.”

In para 18 of the same judgment, the Apex Court dealt with the situation whether summons have been issued under Order 16 Rule 1 and in that case opined that the stringent provision of Order 18 Rule 4 may not apply. In other words, it was held that where summons are issued, the court may give an option to the witness summoned either to file an affidavit by way of examination-in-chief or to remain present in the court for examination. The relevant portion reads as under:-

“In cases where the summons have to be issued under Order 16 Rule 1 the stringent provision of Order 18 Rule 4 may not apply. When summons are issued, the court can give an option to the witness summoned either to file an affidavit by way of examination-in-chief or to be present in court for his examination. In appropriate cases, the court can direct the summoned witness to file an affidavit by way of examination-in-chief. In other words, with regard to the

summoned witnesses the principle incorporated in Order 18 Rule 4 can be waived. Whether a witness shall be directed to file affidavit or be required to be present in court for recording of his evidence is a matter to be decided by the court in its discretion having regard to the facts of each case.”

In the present case, admittedly the plaintiff filed his own affidavit and intended to appear as a witness on his own. No summons were issued to the petitioner or his witnesses under Order 16 Rule 1 CPC. In factual backdrop, in the considered opinion of this Court, para 17 of the judgment of *Salem Advocate Bar Association* (supra) will apply. As per the aforesaid, it is clear that the conjoint reading of order 16 Rule 1-A and Order 18 Rule 4 (1) CPC makes it mandatory for the court below to record examination-in-chief by directing the witness to enter the witness box. Thus, as per para 17 of the said judgment, in my opinion, the court below has erred in discarding the affidavit and directing the plaintiff to enter the witness box to depose his statement. The order of the court below runs contrary to the mandatory provision as per Order 16 Rule 1-A read with Order 18 Rule 4 (1) of CPC. It also runs contrary to the judgment of Supreme Court in this regard.

It is clear that discretion of the court to record evidence by way of affidavit or by way of examination-in-chief is limited to the cases where summons have been issued under Order 16 Rule 1 CPC. In the present case, no summons were issued and plaintiff and witnesses appeared on their own and intended to file affidavit.

•

***61. CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 – Order 32**

Appointment of next friend or guardian, requirement of – Holding of due enquiry is necessary for ascertainment of unsoundness of mind of the concerning party – Further held, the Trial Court must not step into the shoes of medical expert to assess the unsoundness of mind of the party – Report about the mental health is required to be sought from the medical expert.

Narendra Kumar Haryani v. Sanjay Goyal

Order dated 03.12.2013 passed by the High Court of M.P. in Writ Petition No. 7939 of 2013, reported in ILR (2014) MP 73

•

62. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Section 4

ELECTRICITY ACT, 2003 – Section 151

ELECTRICITY RULES, 2005 – Rule 12

- (i) The amendment brought in section 151, Electricity Act, 2003 is clarificatory in nature and also retrospective.
- (ii) Notwithstanding the provisions of section 151 of the Act, FIR could be filed by the police.

(iii) When written complaint is filed, the court would be competent to take cognizance straightway – It would not mean that other avenues for investigation into the offence which are available would be excluded.

Vishal Agrawal & Anr. v. Chhattisgarh State Electricity Board & Anr.

Judgment dated 29.01.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 275 of 2014, reported in 2014 (1) Crimes 181 (SC) : (2014) 3 SCC 696

Extracts from the judgment:

In *Assistant Electrical Engineer v. Satyendra Rai & anr.*, (2012) 1 PLJR 476 this Court categorically pointed out that proviso to Section 151 of the Act was clarificatory in nature. This is so observed in para 9 which is as follows:

Therefore, considering the language of para 4 of the Statement of Objects and Reasons, it is clear that the amendment brought in is clarificatory in nature and as such it would take into its ambit even the pending matters and in that sense it would be a retrospective amendment.

In view of the aforesaid judgment of this Court, conclusively holding that amendment to Section 151 is clarificatory in nature and further that notwithstanding the provisions of Section 151 of the Act, a FIR could be filed with the police, the matter stands clinched in favour of the Board. However, at the same time we would like to elaborate the view taken by this Court in the aforesaid judgment.

It is apparent from the reading of Section 4 that provisions of the Code would be applicable where an offence under the IPC or under any other law is being investigated, inquired into, tried or otherwise dealt with. These offences under any other law could also be investigated, inquired into or tried with according to the provisions of the Code except in case of an offence where the procedure prescribed there under is different than the procedure prescribed under the Code. It is so specifically provided under Section 155 of the Electricity Act also. Thus, it is not a case where any special or different procedure is prescribed. Rather, the procedure contained the Code is made applicable for the offences to be tried under the Electricity Act as well.

Thus, the clear principle which emerges from the aforesaid discussion is that even when a Magistrate is to take cognizance when a complaint is filed before it, that would not mean that no other avenue is opened and the complaint/FIR cannot be lodged with the police. It is stated at the cost of repetition that the offences under the Electricity Act are also to be tried by applying the procedure contained in the Code. Thus, it cannot be said that complete machinery is provided under the Electricity Act as to how such offences are to be dealt with.

In view thereof, we are of the opinion that the respondent's Counsel is right in his submission that if the offence under the Code is cognizable, provisions of Chapter XII containing Section 154 Cr.P.C. and onward would become applicable and it would be the duty of the police to register the FIR and investigate into the same. Sections 135 and 138 only prescribe that certain acts relating to theft of electricity etc. would also be offences. It also enables certain persons/parties, as mentioned in Section 151, to become complainant in such cases and file complaint before a Court in writing. When such a complaint is filed, the Court would be competent to take cognizance straightway. However, that would not mean that other avenues for investigation into the offence which are available would be excluded. It is more so when no such special procedure for trying the offences under the Electricity Act is formulated and the cases under this Act are also to be governed by the Code of Criminal Procedure.

•

63. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Sections 71, 73, 81 and 319

- (i) Issuance of process – The Criminal Court, in all circumstances in complaint cases at the first instance, should prefer issuing summons or bailable warrant failing which a non-bailable warrant should be issued.**
- (ii) As a general rule, unless an accused is likely to tamper or destroy the evidence or is likely to evade the process of law, issuance of non-bailable warrants should be avoided.**
- (iii) When it is proper to issue non-bailable warrant? This could be when firstly, it is reasonable to believe that the person will not voluntarily appear in court; or secondly, that the police authorities are unable to find the person to serve him with a summon and thirdly, if it is considered that the person could harm someone if not placed into custody immediately.**

Vikas v. State of Rajasthan

Judgment dated 16.08.2013 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 1190 of 2013, reported in (2014) 3 SCC 321

Extracts from the judgment:

In the legislative history for the purposes of bail, the terms “bailable” and “non-bailable” are mostly used to formally distinguish one of the two classes of cases viz. “bailable” offenses in which bail may be claimed as a right in every case whereas the question of grant of bail in non-bailable offenses to such a person is left by the legislature in the court's discretion to be exercised on a consideration of the totality of the facts and circumstances of a given case. The discretion has, of course, to be a judicial one informed by tradition methodised by analogy, disciplined by system and subordinated to the primordial necessity of order in social life. Another such instance of judicial discretion is the issue of non-bailable warrant in a complaint case under an application of Section 319 CrPC. The power under Section 319

CrPC being discretionary must be exercised judiciously with extreme care and caution. The court should properly balance both personal liberty and societal interest before issuing warrants. There cannot be any straitjacket formula for issuance of warrants but as a general rule, unless an accused is likely to tamper or destroy the evidence or is likely to evade the process of law, issuance of non-bailable warrants should be avoided. The conditions for the issuance of non-bailable warrant are reiterated in *Inder Mohan Goswami v. State of Uttaranchal*, (2007) 12 SCC 1 and in *State of U.P. v. Poosu* (1976) 3 SCC 1 wherein it is mentioned that

“53. Non-bailable warrant should be issued to bring a person to court when summons or bailable warrants would be unlikely to have the desired result.”

This could be when firstly it is reasonable to believe that the person will not voluntarily appear in court; or secondly that the police authorities are unable to find the person to serve him with a summon and thirdly if it is considered that the person could harm someone if not placed into custody immediately. In the absence of the aforesaid reasons, the issue of non-bailable warrant a fortiori to the application under Section 319 CrPC would extinguish the very purpose of existence of procedural laws which preserve and protect the right of an accused in a trial of a case.

•

**64. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Sections 161 and 313
INDIAN PENAL CODE, 1860 – Section 302
EVIDENCE ACT, 1872 – Section 9**

- (i) Statement recorded by police under section 161 CrPC during investigation can be used for the purpose of contradiction and not for corroboration – It is not substantive piece of evidence. If accused person was not named in the police statement, the evidence cannot be rejected on that ground.
- (ii) Can statement recorded under section 313 CrPC be made the sole basis of conviction? Held, No – It may be used for corroboration of prosecution evidence.
- (iii) Where witnesses were known to the accused persons, want of T.I. Parade was of no consequence.
- (iv) Test of rarest of rare case – Explained.
- (v) Section 27 (3) of the Arms Act, 1959 is unconstitutional as held in *State of Punjab v. Dalvir Singh* (2012) 3 SCC 346.

Ashok Debbarma @ Achak Debbarma v. State of Tripura
Judgment dated 04.03.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 47 of 2013, reported in 2014 (2) Crimes 11 (SC) : (2014) 4 SCC 747

Extracts from the judgment:

We have gone through the oral evidence of PW 10 and PW 13 and, in our view, the trial Court and the High Court have rightly appreciated their evidence and the involvement of the Appellant in the above incident, including the fact that he had fired at various people, which led to the killing of relatives of PW 10 and PW 13. We are of the view that since the accused persons were known to the witnesses and they were identified by face, the fact that no Test Identification parade was conducted at the time of investigation, is of no consequence. The primary object of the Test Identification Parade is to enable the witnesses to identify the person involved in the commission of offence (s) if the offenders are not personally known to the witnesses. The whole object behind the Test Identification Parade is really to find whether or not the suspect is the real offender. In *Kanta Prashad v. Delhi Administration*, AIR 1958 SC 350. this Court stated that the failure to hold the Test Identification Parade does not make the evidence of identification at the trial inadmissible. However, the weight to be attached to such identification would be for the Court to decide and it is prudent to hold the Test Identification parade with respect to witnesses, who did not know the accused before the occurrence. Reference may also be made to the judgment of this Court in *Harbhajan Singh v. State of Jammu & Kashmir*, (1975) 4 SCC 480, *Jadunath Singh and another v. State of UP*, (1970) 3 SCC 518 and *George & others v. State of Kerala and another*, (1998) 4 SCC 605.

•

***65. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Section 173 (8)**

Further investigation – Collection of further (additional) evidence – Submission of further report, necessity of – Where further evidence is collected in further investigation, section 173 sub-section (8) of the Code makes it obligatory on the part of the investigating officer to submit further report on the basis of such further evidence.

Mohan Mandelia v. State of M.P. and others

Judgment dated 10.09.2013 passed by the High Court of M.P. in Writ Petition No. 1224 of 2009, reported in 2014 (1) MPHT 122

•

66. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Section 313

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 – Sections 7 and 13 (2)

- (i) Accused has a duty to offer an explanation in his examination under section 313 CrPC regarding any incriminating material that has been put up before him – If the accused chooses to maintain silence, the court would be entitled to draw an adverse inference.**
- (ii) Accused did not deny his visit to the house of the complainant or that his shirt found hanging on the peg in the wall and that his hands turned pink on being washed with sodium carbonate water.**

Accused has not furnished any explanation about above incriminating circumstances – High Court reversed the acquittal to conviction – The Apex Court maintained the conviction.

Phula Singh v. State of Himachal Pradesh

Judgment dated 03.03.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 2271 of 2011, reported in 2014 (2) Crimes 38 (SC)

Extracts from the judgment:

The accused has a duty to furnish an explanation in his statement under Section 313 Cr.P.C. regarding any incriminating material that has been produced against him. If the accused has been given the freedom to remain silent during the investigation as well as before the court, then the accused may choose to maintain silence or even remain in complete denial when his statement under Section 313 Cr.P.C. is being recorded. However, in such an event, the court would be entitled to draw an inference, including such adverse inference against the accused as may be permissible in accordance with law. (Vide: *Ramnaresh & Ors. v. State of Chhattisgarh*, AIR 2012 SC 1357; *Munish Mubar v. State of Haryana*, AIR 2013 SC 912; and *Raj Kumar Singh alias Raju @ Batya v. State of Rajasthan*, AIR 2013 SC 3150).

In the instant case, we fail to understand as under what circumstances the appellant could maintain complete silence particularly, in view of the fact that he did not deny his visit to the house of the complainant or that his shirt was found hanging on the peg in the wall and that his hands turned pink on being washed with sodium carbonate water. We do not find any force in the submission advanced by Shri D.K. Garg that it was not a fit case where the High Court ought to have reversed the well reasoned judgment of acquittal as it was based on evidence on record.

67. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Section 313

INDIAN PENAL CODE, 1860 – Sections 302, 376 and 450

EVIDENCE ACT, 1872 – Section 3

- (i) Incriminating circumstances put to the accused in examination under section 313 Cr.P.C by the trial court but he had not offered reasonable explanation except false implication – Trial Court has rightly drawn an adverse inference against the accused.**
- (ii) Appreciation of child witness – The evidence of a child witness must be evaluated more carefully and with greater circumspection because a child is susceptible to be swayed by what others tell him.**
- (iii) The Apex Court has appreciated the prompt investigation and the expeditious justice delivered by trial court and Hon'ble High Court of M.P.**

Rajkumar v. State of M.P.

Judgment dated 25.02.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 1419 of 2013, reported in 2014 (2) Crimes 31 (SC)

Extracts from the judgment:

It is a settled legal proposition of law that every witness is competent to depose unless the court considers that he is prevented from understanding the question put to him, or from giving rational answers by reason of tender age or extreme old age or disease or because of his mental or physical condition. Therefore, a court has to form an opinion from the circumstances as to whether the witness is able to understand the duty of speaking the truth, and further in case of a child witness, the court has to ascertain that the witness might have not been tutored. Thus, the evidence of a child witness must be evaluated more carefully and with greater circumspection because a child is susceptible to be swayed by what others tell him. The trial court must ascertain as to whether a child is able to discern between right or wrong and it may be ascertained only by putting the questions to him.

The accused has a duty to furnish an explanation in his statement under Section 313 Cr.P.C. regarding any incriminating material that has been produced against him. If the accused has been given the freedom to remain silent during the investigation as well as before the court, then the accused may choose to maintain silence or even remain in complete denial when his statement under Section 313 Cr.P.C. is being recorded. However, in such an event, the court would be entitled to draw an inference, including such adverse inference against the accused as may be permissible in accordance with law. (Vide: *Ramnaresh & Ors. v. State of Chhattisgarh*, AIR 2012 SC 1357; *Munish Mubar v. State of Haryana*, AIR 2013 SC 912; and *Raj Kumar Singh alias Raju @ Batya v. State of Rajasthan*, AIR 2013 SC 3150). In the instant case, as the appellant did not take any defence or furnish any explanation as to any of the incriminating material placed by the trial court, the courts below have rightly drawn an adverse inference against him.

Before we part, we would like to note with appreciation that in the instant case investigation and all judicial proceedings upto this Court stood concluded in less than 8 months from the date of incidence. Thus, it is an exemplar of expeditious justice in country of chronic delay by smooth functioning of investigating agency, courts and the members of legal fraternity. We expect such prompt disposal of cases specifically in cases of such grave nature.

•

68. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Sections 319, 300 and 398

- (i) Constitution of fair trial requires that the real culprits should not get away unpunished.**
- (ii) Power under section 319 Cr.P.C against a person not arraigned as an accused – Can be used at the stage of inquiry into, or trial**

of an offence, if it appears from evidence to the satisfaction of the Court.

- (iii) Inquiry means pre-trial inquiry by the Court i.e. power can be exercised prior to commencement of the trial – Trial commences after framing of charge.
- (iv) The word “evidence” in section 319 Cr.P.C does not mean only evidence brought during trial – Rather, it means that material which came before the Court during inquiry can be used for :
 - (a) corroboration of evidence recorded by court after commencement of trial
 - (b) for exercise of power under section 319
 - (c) to add an accused whose name is shown in chargesheet.
- (v) Evidence includes statements made in examination-in-chief – Court exercising power under section 319 need not wait for evidence to be tested by cross-examination.
- (vi) Degree of satisfaction for invoking section 319 should be more than *prima facie* case as required at the time of framing of charge.
- (vii) Person not named in FIR or named in FIR but not chargesheeted can be summoned – But in case of discharged person, requirement of sections 300 and 398 must be complied with before summoning under section 319.
- (viii) Sections 207 and 209 CrPC – Duties under these provisions are of administrative nature – There is difference between application of mind and judicial application of mind.
- (ix) Sections 193 and 319 – Section 193 confers power of original jurisdiction upon Sessions Court – Sessions Court need not wait till the stage of section 319 but direct a person to appear and face trial – It can add an accused after the case has been committed.
- (x) Magistrate at the stage of sections 207 to 209 CrPC is forbidden from applying his mind to the merits of the case to add or subtract any accused from being tried before the Court of Sessions.
- (xi) Addition of new person as accused named in complaint – Power can be exercised under section 319 at the Court’s inquiry stage as well as during trial.
- (xii) Inquiries under sections 200 to 202 sub-clause (5) of section 300 and section 398 are species of inquiry contemplated under section 319.

Hardeep Singh v. State of Punjab and others

Judgment dated 10.01.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 1750 of 2008, reported in (2014) 3 SCC 92

Extracts from the judgment:

The Constitutional mandate under Articles 20 and 21 of the Constitution of India, 1950 provides a protective umbrella for the smooth administration of justice making adequate provisions to ensure a fair and efficacious trial so that the accused does not get prejudiced after the law has been put into motion to try him for the offence but at the same time also gives equal protection to victims and to the society at large to ensure that the guilty does not get away from the clutches of law. For the empowerment of the courts to ensure that the criminal administration of justice works properly, the law was appropriately codified and modified by the legislature under the Cr.P.C. indicating as to how the courts should proceed in order to ultimately find out the truth so that an innocent does not get punished but at the same time, the guilty are brought to book under the law. It is these ideals as enshrined under the Constitution and our laws that have led to several decisions, whereby innovating methods and progressive tools have been forged to find out the real truth and to ensure that the guilty does not go unpunished.

The presumption of innocence is the general law of the land as every man is presumed to be innocent unless proven to be guilty. Alternatively, certain statutory presumptions in relation to certain class of offences have been raised against the accused whereby the presumption of guilt prevails till the accused discharges his burden upon an onus being cast upon him under the law to prove himself to be innocent. These competing theories have been kept in mind by the legislature. The entire effort, therefore, is not to allow the real perpetrator of an offence to get away unpunished. This is also a part of fair trial and in our opinion, in order to achieve this very end that the legislature thought of incorporating provisions of Section 319 Cr.P.C. It is with the said object in mind that a constructive and purposive interpretation should be adopted that advances the cause of justice and does not dilute the intention of the statute conferring powers on the court to carry out the above mentioned avowed object and purpose to try the person to the satisfaction of the court as an accomplice in the commission of the offence that is subject matter of trial.

Section 319 Cr.P.C. springs out of the doctrine *judex damnatur cum nocens absolvitur* (Judge is condemned when guilty is acquitted) and this doctrine must be used as a beacon light while explaining the ambit and the spirit underlying the enactment of Section 319 Cr.P.C.

It is the duty of the Court to do justice by punishing the real culprit. Where the investigating agency for any reason does not array one of the real culprits as an accused, the court is not powerless in calling the said accused to face trial. The question remains under what circumstances and at what stage should the court exercise its power as contemplated in Section 319 Cr.P.C.?

The legislature cannot be presumed to have imagined all the circumstances and, therefore, it is the duty of the court to give full effect to the

words used by the legislature so as to encompass any situation which the court may have to tackle while proceeding to try an offence and not allow a person who deserves to be tried to go scot free by being not arraigned in the trial in spite of possibility of his complicity which can be gathered from the documents presented by the prosecution.

The court is the sole repository of justice and a duty is cast upon it to uphold the rule of law and, therefore, it will be inappropriate to deny the existence of such powers with the courts in our criminal justice system where it is not uncommon that the real accused, at times, get away by manipulating the investigating and/or the prosecuting agency. The desire to avoid trial is so strong that an accused makes efforts at times to get himself absolved even at the stage of investigation or inquiry even though he may be connected with the commission of the offence.

In *Yelachuri Venkatachinnayya, In re, ILR (1920) 43 Mad 511*, this Court held that an inquiry is a stage before the committal to a higher court. In fact, from a careful reading of the judgments under reference i.e. *Ranjit Singh v. State of Punjab, (1998) 7 SCC 149* and *Kishun Singh v. State of Bihar, (1993) 2 SCC 16*, it emerges that there is no dispute even in these two cases that the stage of committal is neither an inquiry nor a trial, for in both the cases, the real dispute was whether Section 193 Cr.P.C. can be invoked at the time of committal to summon an accused to face trial who is not already an accused. It can safely be said that both the cases are in harmony as to the said stage neither being a stage of inquiry nor a trial.

The stage of inquiry commences, insofar as the court is concerned, with the filing of the charge-sheet and the consideration of the material collected by the prosecution, that is mentioned in the charge-sheet for the purpose of trying the accused. This has to be understood in terms of Section 2(g) Cr.P.C., which defines an inquiry as follows:

“2(g) “inquiry” means every inquiry, other than a trial, conducted under this Code by a Magistrate or Court.”

In view of the above, the law can be summarised to the effect that as ‘trial’ means determination of issues adjudging the guilt or the innocence of a person, the person has to be aware of what is the case against him and it is only at the stage of framing of the charges that the court informs him of the same, the ‘trial’ commences only on charges being framed. Thus, we do not approve the view taken by the courts that in a criminal case, trial commences on cognizance being taken.

Section 2(g) Cr.P.C. and the case laws referred to above, therefore, clearly envisage inquiry before the actual commencement of the trial, and is an act conducted under Cr.P.C. by the Magistrate or the court. The word ‘inquiry’ is, therefore, not any inquiry relating to the investigation of the case by the investigating agency but is an inquiry after the case is brought to the notice of

the court on the filing of the charge-sheet. The court can thereafter proceed to make inquiries and it is for this reason that an inquiry has been given to mean something other than the actual trial.

Even the word “course” occurring in Section 319 Cr.P.C., clearly indicates that the power can be exercised only during the period when the inquiry has been commenced and is going on or the trial which has commenced and is going on. It covers the entire wide range of the process of the pre-trial and the trial stage. The word “course” therefore, allows the court to invoke this power to proceed against any person from the initial stage of inquiry up to the stage of the conclusion of the trial. The court does not become functus officio even if cognizance is taken so far as it is looking into the material qua any other person who is not an accused. The word “course” ordinarily conveys a meaning of a continuous progress from one point to the next in time and conveys the idea of a period of time; duration and not a fixed point of time. (See : *Commissioner of Income-tax, v. East West Import & Export (P) Ltd. AIR 1989 SC 836*).

Since after the filing of the charge-sheet, the court reaches the stage of inquiry and as soon as the court frames the charges, the trial commences, and therefore, the power under Section 319 (1) Cr.P.C. can be exercised at any time after the charge-sheet is filed and before the pronouncement of judgment, except during the stage of Section 207/208 Cr.P.C., committal etc., which is only a pre-trial stage, intended to put the process into motion. This stage cannot be said to be a judicial step in the true sense for it only requires an application of mind rather than a judicial application of mind. At this pre-trial stage, the Magistrate is required to perform acts in the nature of administrative work rather than judicial such as ensuring compliance of Sections 207 and 208 Cr.P.C., and committing the matter if it is exclusively triable by Sessions Court. Therefore, it would be legitimate for us to conclude that the Magistrate at the stage of Sections 207 to 209 Cr.P.C. is forbidden, by express provision of Section 319 Cr.P.C., to apply his mind to the merits of the case and determine as to whether any accused needs to be added or subtracted to face trial before the Court of Sessions.

It is thus aptly clear that until and unless the case reaches the stage of inquiry or trial by the court, the power under Section 319 Cr.P.C. cannot be exercised. In fact, this proposition does not seem to have been disturbed by the Constitution Bench in *Dharma Pal v. State of Haryana, (2014) 3 SCC 306*. The dispute therein was resolved visualizing a situation where in the court was concerned with procedural delay and was of the opinion that the Sessions Court should not necessarily wait till the stage of Section 319 Cr.P.C. is reached to direct a person, not facing trial, to appear and face trial as an accused. We are in full agreement with the interpretation given by the Constitution Bench that Section 193 Cr.P.C. confers power of original jurisdiction upon the Sessions Court to add an accused once the case has been committed to it.

We accordingly sum up our conclusions as follows:

Questions (i) and (iii)

What is the stage at which power under Section 319 Cr.P.C. can be exercised?

AND

Whether the word “evidence” used in Section 319 (1) Cr.P.C. has been used in a comprehensive sense and includes the evidence collected during investigation or the word “evidence” is limited to the evidence recorded during trial?

Answer

In *Dharam Pal’s case*, (supra) the Constitution Bench has already held that after committal, cognizance of an offence can be taken against a person not named as an accused but against whom materials are available from the papers filed by the police after completion of investigation. Such cognizance can be taken under Section 193 Cr.P.C. and the Sessions Judge need not wait till ‘evidence’ under Section 319 Cr.P.C. becomes available for summoning an additional accused.

Section 319 Cr.P.C., significantly, uses two expressions that have to be taken note of i.e. (1) Inquiry (2) Trial. As a trial commences after framing of charge, an inquiry can only be understood to be a pre-trial inquiry. Inquiries under Sections 200, 201, 202 Cr.P.C.; and under Section 398 Cr.P.C. are species of the inquiry contemplated by Section 319 Cr.P.C. Materials coming before the Court in course of such enquiries can be used for corroboration of the evidence recorded in the court after the trial commences, for the exercise of power under Section 319 Cr.P.C., and also to add an accused whose name has been shown in Column 2 of the charge sheet.

In view of the above position the word ‘evidence’ in Section 319 Cr.P.C. has to be broadly understood and not literally i.e. as evidence brought during a trial.

Question (ii)

Whether the word “evidence” used in Section 319 (1) Cr.P.C. could only mean evidence tested by cross-examination or the court can exercise the power under the said provision even on the basis of the statement made in the examination-in-chief of the witness concerned?

Answer

Considering the fact that under Section 319 Cr.P.C. a person against whom material is disclosed is only summoned to face the trial and in such an event under Section 319(4) Cr.P.C. the proceeding against such person is to commence from the stage of taking of cognizance, the Court need not wait for the evidence against the accused proposed to be summoned to be tested by cross-examination.

Question (iv)

What is the nature of the satisfaction required to invoke the power under Section 319 Cr.P.C. to arraign an accused? Whether the power under Section 319 (1) Cr.P.C. can be exercised only if the court is satisfied that the accused summoned will in all likelihood be convicted?

Answer

Though under Section 319(4) (b) Cr.P.C. the accused subsequently impleaded is to be treated as if he had been an accused when the Court initially took cognizance of the offence, the degree of satisfaction that will be required for summoning a person under Section 319 Cr.P.C. would be the same as for framing a charge. The difference in the degree of satisfaction for summoning the original accused and a subsequent accused is on account of the fact that the trial may have already commenced against the original accused and it is in the course of such trial that materials are disclosed against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial - therefore the degree of satisfaction for summoning the accused (original and subsequent) has to be different.

Question (v)

Does the power under Section 319 Cr.P.C. extend to person not named in the FIR or named in the FIR but not charge-sheeted or who have been discharged?

Answer

A person not named in the FIR or a person though named in the FIR but has not been charge-sheeted or a person who has been discharged can be summoned under Section 319 Cr.P.C. provided from the evidence it appears that such person can be tried along with the accused already facing trial. However, in so far as an accused who has been discharged is concerned the requirement of Sections 300 and 398 Cr.P.C. has to be complied with before he can be summoned afresh.

•

69. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Section 437 (5)

Cancellation of bail – Subsequent conduct of the accused is a relevant factor for cancellation of bail – Other principles reiterated.

Pooja Bhatia v. Vishnu Narain Shivpuri & Anr.

Order dated 10.03.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 585 of 2014, reported in 2014 (2) Crimes 50 (SC)

Extracts from the order:

It is useful to refer the principles laid down by this Court and the circumstances when bail granted can be cancelled which was highlighted in *Manjit Prakash and Others v. Shobha Devi and another*, (2009) 13 SCC 785 which reads as under:-

“As stated in *Raghubir Singh v. State of Bihar, (1986) 4 SCC 481* the grounds for cancellation under Sections 437(5) and 439 (2) are identical, namely, bail granted under Section 437(1) or (2) or Section 439(1) can be cancelled where (i) the accused misuses his liberty by indulging in similar criminal activity, (ii) interferes with the course of investigation, (iii) attempts to tamper with evidence or witnesses, (iv) threatens witnesses or indulges in similar activities which would hamper smooth investigation, (v) there is likelihood of his fleeing to another country, (vi) attempts to make himself scarce by going underground or becoming unavailable to the investigating agency, (vii) attempts to place himself beyond the reach of his surety, etc. These grounds are illustrative and not exhaustive. It must also be remembered that rejection of bail stands on one footing but cancellation of bail is a harsh order because it interferes with the liberty of the individual and hence it must not be lightly resorted to.’

8. It is, therefore, clear that when a person to whom bail has been granted either tries to interfere with the course of justice or attempts to tamper with evidence or witnesses or threatens witnesses or indulges in similar activities which would hamper smooth investigation or trial, bail granted can be cancelled. Rejection of bail stands on one footing, but cancellation of bail is a harsh order because it takes away the liberty of an individual granted and is not to be lightly resorted to.”

•

**70. CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 – Section 438
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF
ATROCITIES) ACT, 1989 – Sections 18 and 3**

If *prima facie* case under section 3 of SC/ST Act is made out, bar under section 18 of SC/ST Act is attracted while granting anticipatory bail.

Bachu Das v. State of Bihar and others

Order dated 03.02.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 314 of 2014, reported in (2014) 3 SCC 471

Extracts from the order:

It is clear that the learned Magistrate carefully perused the complaint petition, as well as the statement of the complainant and four witnesses examined during inquiry and arrived at a *prima facie* conclusion against the accused persons that the offence under Sections 147,148,149,323,448 IPC and

Section 3 of the SC/ST Act, is made out. In such circumstance and in view of the bar under Section 18 of the SC/ST Act, the learned counsel relying on the decision of this Court in *Vilas Pandurang Pawar v. State of Maharashtra (2012) 8 SCC 795* submitted that the High Court is not justified in granting anticipatory bail. In similar circumstance, this Court has considered the offence under Section 3 (1), as well as the bar provided under Section 18 of the SC/ST Act and concluded as under:

“9. Section 18 of the SC/ST Act creates a bar for invoking Section 438 of the Code. However, a duty is cast on the court to verify the averments in the complaint and to find out whether an offence under Section 3 (1) of the SC/ST Act has been prima facie made out. In other words, if there is a specific averment in the complaint, namely, insult or intimidation with intent to humiliate by calling with caste name, the accused persons are not entitled to anticipatory bail.

10. The scope of Section 18 of the SC/ST Act read with Section 438 of the Code is such that it creates a specific bar in the grant of anticipatory bail. When an offence is registered against a person under the provisions of the SC/ST Act, no court shall entertain an application for anticipatory bail, unless it prima facie finds that such an offence is not made out. Moreover, while considering the application for bail, scope for appreciation of evidence and other material on record is limited. The court is not expected to indulge in critical analysis of the evidence on record. When a provision has been enacted in the Special Act to protect the persons who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and a bar has been imposed in granting bail under Section 438 of the Code, the provision in the Special Act cannot be easily brushed aside by elaborate discussion on the evidence.

•

***71. EVIDENCE ACT, 1872 – Sections 3 and 45**

- (i) Medical and ocular evidence, appreciation of – When there is inconsistency between medical and ocular evidence, ocular evidence deserves weightage and has greater evidentiary value *vis-à-vis* medical evidence – However, ocular evidence may be disbelieved in a case where medical evidence completely rules out possibility of ocular evidence being true.**
- (ii) Single testimony, reliability of – One credible witness outweighs the testimony of number of indifferent character – Court should**

not insist on corroboration except in case where the nature of the single testimony itself requires as a rule of prudence, that corroboration must be insisted upon – Whether corroboration of the single testimony is or is not necessary, depends upon facts and circumstances of each case and no general rule can be laid down.

Suresh and others v. State of M.P.

Judgment dated 03.10.2013 passed by the High Court of M.P. in Criminal Appeal No. 177 of 2002, reported in 2014 (1) MPHT 461 (DB)

•

72. EVIDENCE ACT, 1872 – Sections 56 and 57

Judicial notice, taking of – Judicial notice of the increase in minimum wages due to inflation and rise in the price index can be taken in absence of any evidence with respect to such fact.

Shukh Devi (Smt.) & ors. v. Devendra Kumar & ors.

Order dated 27.06.2013 passed by the High Court of M.P. in Misc. Application No. 794 of 2002, reported in ILR (2014) MP 172

Extracts from the order:

It is settled law that where the legal representatives of the deceased victim do not have documentary evidence of the income of the deceased, the claims tribunal should take judicial note of the increase in minimum wages due to inflation and rise in the price index and compute accordingly the income of the deceased by taking the average of the minimum wages and its double. In this respect, reference may be made to the decisions in the cases of *Kanwar Devi v. Bansal Roadways (2008 ACJ 2182* and *National Insurance Company Limited v. Renu Devi (2008) III ACC 134*.

•

73. EVIDENCE ACT, 1872 – Section 81

Newspaper report, presumption as to genuineness, availability of – No presumption is attached to the genuineness of newspaper reports under section 81 of the Act.

Shriniwas Tiwari v. Rajkumar Urmalia & anr.

Judgment dated 03.05.2013 passed by the High Court of M.P. in Election Petition No. 9 of 2009, reported in ILR (2014) MP 113

Extracts from the judgment:

As explained by the Supreme Court in *Laxmi Raj Shetty v. State of Tamil Nadu, AIR 1988 SC 1274* and re-affirmed in *S.A. Khan v. Ch. Bhajan Lal, (1993) 3 SCC 151* and *Ravinder Kumar Sharma v. State of Assam, AIR 1999 SC 3571*, no presumption, under Section 81 of the Indian Evidence Act, is attached to genuineness of the newspaper reports. Accordingly, petitioner's statement as

to inconsistency in the data relating to the number of votes actually cast, does not assume any significance as it was primarily based on newspaper reports.

•

74. EVIDENCE ACT, 1872 – Section 114

Estoppel – Promissory estoppel, operation of – There cannot be any estoppel against Statute and an order which is in conformity with the Statute.

Janta Vidyalaya Shiksha Samiti v. Jiwaji University, Gwalior and another

Order dated 05.08.2013 passed by the High Court of M.P. in Writ Petition No. 8999 of 2012, reported in 2014 (1) MPHT 422

Extracts from the order :

This is settled in law that there cannot be any estoppel against law. At the cost of repetition, it is made clear that the University's notification (Annexure P/7) is in accordance with law and has a statutory texture, because it is passed by the Executive Council under the statutory powers vested in it under Vishwavidyalaya Adhinyam and the Statute. Under clauses 8(d) & 11(7), the College was bound not to grant admission to the students contrary to the permission and conditions of affiliation granted by the University. This is a statutory mandate. Merely because the University accepted examination fees of certain more number of students beyond the permissible limit, in my considered opinion, it will not operate as "estoppel" in any manner. There was no such promise on the part of the University and principle of promissory estoppel has no role to play. There cannot be any estoppel against the Statute and an order, which is in conformity with the Statute. The judgment cited by the learned counsel for the petitioner has no application in the facts of present case.

•

***75. GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890 – Sections 7, 10, 17 and 47**

Custody of a child, determination of – The paramount consideration is the welfare of the child and not right of the father – The father's right to the custody of the minor child is neither absolute nor is it indefeasible in law – It is circumscribed by the consideration of the benefit and welfare of the minor – A balance has to be struck between the attachments and sentiments of the parties and the welfare of the child.

Rajeev Varma v. Santosh Kumar Kushwaha

Judgment dated 10.09.2013 passed by the High Court of M.P. in Misc. Appeal No. 2073 of 2006, reported in 2014 (1) MPHT 326 (DB)

•

- *76. HINDU MARRIAGE ACT, 1955 – Section 13 (1) (ia)**
Divorce on the ground of mental cruelty, grant of.

Facts of the case :

The wife never wanted to live with the husband at the place other than her native place – She used to visit her parental home – She used to abuse her husband and call him impotent – *Bindi and sindoor* were never used by her and she used to throw away the *mangalsutra* – On several occasions she threatened her husband of committing suicide and get him behind bars – Both were living separately since last 14 years – Trial Court granted decree of divorce to the husband – In appeal, the High Court held that the appellant wife persistently subjected the respondent husband to mental cruelty and it was not possible for them to live together – Appeal rejected and decree of divorce confirmed.

Smt. Manjusha Jadhav v. Pradeep Jadhav

Judgment dated 25.07.2013 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 661 o 2000, reported in 2014 (1) MPHT 69 (DB)

•

- *77. HINDU MARRIAGE ACT, 1955 – Section 25**

Application for permanent alimony and maintenance, necessity of.

Facts of the case:

Decree for restitution of conjugal rights was passed in favour of husband – Wife did not turn up to stay with the husband – Husband filed application for divorce – While passing *ex parte* decree for divorce on ground of desertion and cruelty, Court awarded maintenance of Rs. 4,000/- p.m. to the wife and son – Held, filing an application under section 25 of the Act is necessary for passing an order for alimony or maintenance – Further held, Trial Court committed an error in passing the decree for grant of maintenance under section 25 without there being an application made for the purpose.

Manoj v. Smt. Raksha

Judgment dated 23.10.2013 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 665 of 2010, reported in 2014 (1) MPHT 449 (DB)

•

- 78. HINDU MARRIAGE ACT, 1955 – Sections 26 and 13-B**

Application for custody of children – Whether maintainable even if order in this regard had already been passed by the Court at the time of passing of decree – Held, Yes – Further held, even after the decree, Court is empowered to make order in this regard and with regard to maintenance etc. and to revoke, suspend or vary any such order from time to time.

Rajendra Singh v. Garima

Order dated 11.03.2013 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 459 of 2011, reported in ILR (2014) MP 154 (DB)

Extracts from the order:

It is clear that the court in any proceeding under this Act is empowered to pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree, upon application by petition for the purpose, make from time to time, all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made such decree or interim orders in case the proceedings for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made.

In the circumstances, it is clear that even after the decree the court is empowered upon application to make the order in regard to the custody, maintenance and education and is empowered from time to time to revoke, suspend or vary any such orders.

•

79. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Section 107

- (i) Abetment, meaning and constitution of – Abetment means and includes instigation, engagement in conspiracy and intentional aiding.**
- (ii) Instigation, meaning of – To constitute instigation, a person should instigate, has to provoke, incite, urge, encourage doing of an act by goading or urging forward.**

Gayatri (Smt.) & ors. v. State of M.P.

Order dated 08.04.2013 passed by the High Court of M.P. in Criminal Revision No. 211 of 2013, reported in ILR (2014) MP 227

Extracts from the order:

A person can be said to have abetted in doing a thing, if he, firstly, instigates any person to do that thing; or engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or thirdly, intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing. Explanation to Section 107 states that any willful misrepresentation or willful concealment of material fact which he is bound to disclose, may also come within the contours of “abetment”. It is manifest that under all the three situations, direct involvement of the person or persons concerned in the commission of offence of suicide is essential to bring home the offence under Section 306 of the IPC.

The word “instigate”; is not defined in the IPC. The meaning of the said word was considered by the Apex Court in *Ramesh Kumar v. State of Chhattisgarh 2002 SCC (Cr.) 1088*, Speaking for the three-Judge Bench, R.C. Lahoti, J. (as His Lordship then was) said that instigation is to goad, urge forward, provoke, incite or encourage to do “an act”;. To satisfy the requirement of “instigation”, though it is not necessary that actual words must be used to that effect or what constitutes “instigation” must necessarily and specifically be suggestive of the consequence. Yet a reasonable certainty to incite the consequence must be capable of being spelt out. Where the accused had, by his acts or omission or by a continued course of conduct, created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide, in which case, an “instigation” may have to be inferred. A word uttered in a fit of anger or emoting without intending the consequences to actually follow, cannot be said to be instigation.

To constitute “instigation”, a person who instigates another has to provoke, incite, urge or encourage doing of an act by the other by “goad” or “urging forward”. The dictionary meaning of the word “goad” is “a thing that stimulates someone into action: provoke to action or reaction (See: Concise Oxford English Dictionary); “to keep irritating or annoying somebody until he reacts” (See: Oxford Advanced Learner’s Dictionary – 7th Edition). Similarly, “urge” means to advise or try hard to persuade somebody to do something or to make a person to move more quickly and or in a particular direction, especially by pushing or forcing such person. Therefore, a person who instigates another has to “goad”; or “urge forward” the latter with intention to provoke, incite or encourage the doing of an act by the latter. As observed by the Apex Court in *Ramesh Kumar’s case* (supra), where the accused by his acts or by a continued course of conduct creates such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide, an “instigation” may be inferred. In other words, in order to prove that the accused abetted commission of suicide by a person, it has to be established that: (i) the accused kept on irritating or annoying the deceased by words or willful omission or conduct to make the deceased move forward more quickly in a forward direction; and (ii) that the accused had the intention to provoke, urge or encourage the deceased to commit suicide while acting in the manner noted above. Undoubtedly, presence of mens rea is the necessary concomitant of instigation.

•

**80. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Section 120-B/302
EVIDENCE ACT, 1872 – Section 134**

- (i) **Criminal conspiracy requires meeting of minds of two or more persons for doing or causing to be done an illegal act or an act by illegal means – Mere knowledge or discussion or generation of crime in the mind of accused is not sufficient for the offence of conspiracy – Such offence can be proved by circumstantial evidence or by necessary implications.**

- (ii) **Non-examination of certain witnesses – Appreciation of evidence – No explanation sought from IO – Appellant cannot take benefit of omission by prosecution in conducting trial – The appellants could have examined such witnesses.**
- (iii) **Number of witnesses is not material but the quality of evidence is material – The test is whether the evidence has a ring of truth, is cogent, credible and trustworthy – Conviction can be based on testimony of sole eye witness, if he is reliable.**

Gulam Sarbar v. State of Bihar (now Jharkhand)

Judgment dated 07.10.2013 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 1316 of 2012, reported in (2014) 3 SCC 401

Extracts from the judgment:

The essential ingredients of criminal conspiracy are

- (i) an agreement between two or more persons;
- (ii) agreement must relate to doing or causing to be done either
 - (a) an illegal act; or
 - (b) an act which is not illegal in itself but is done by illegal means.

What is, therefore, necessary is to show meeting of minds of two or more persons for doing or causing to be done an illegal act or an act by illegal means. Mere knowledge or discussion or generation of a crime in the mind of the accused, is not sufficient to constitute an offence.

The offence takes place with the meeting of minds even if nothing further is done. It is an offence independent of other offences and punishable separately. Thus, the prosecution is required to establish the offence by applying the same legal principles which are otherwise applicable for the purpose of proving criminal misconduct on the part of an accused. Criminal conspiracy is generally hatched in secrecy thus direct evidence is difficult to obtain or access. The offence can be proved by adducing circumstantial evidence or by necessary implication. Meeting of minds to form a criminal conspiracy has to be proved by adducing substantive evidence in cases where circumstantial evidence is incomplete or vague. The gist of the offence of conspiracy then lies, not in doing the act, or effecting the purpose for which the conspiracy is formed, nor in attempting to do them between the parties. Agreement is essential. (Vide: *Kehar Singh v. State (Delhi Admn.)*, AIR 1988 SC 1883; *State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu*, AIR 2005 SC 3820; *Mir Nagvi Askari v. CBI*, (2009) 15 SCC 643; *Baldev Singh v. State of Punjab*, (2009) 6 SCC 564; *State of M.P. v. Sheetla Sahai*, (2009) 8 SCC 617; *R. Venkatkrishnan v. CBI*, AIR 2010 SC 1812; and *S.Arul Raja v. State of T.N.*, (2010) 8 SCC 233).

In *Mohmed Amin v. CBI*, (2008) 15 SCC 49, it was held that in order to come under this provision it is not necessary for the accused to know the detailed

stages of conspiracy; mere knowledge of main object/purpose of the conspiracy would suffice for this Section.

Similarly, in *Vikram Singh v. State of Punjab, AIR 2010 SC 1007*, this Court dealt with a case where the accused had purchased fortwin injection and chloroform. Thus, it was held that since the purchase of these materials was an initial step towards commission of offence, the presence of co-accused Sonia, though not referred to by the witnesses at the time of actual kidnapping would not imply that she was not privy to conspiracy and conviction of the accused under Section 120-B IPC was upheld.

We had been taken through the entire deposition of Jagdish Prasad (PW.8), Investigating Officer, however, no such question was put to him as to why those witnesses were not examined. In the absence of putting such an issue to Jagdish Prasad (PW.8), Investigating Officer, the appellants cannot seek any benefit of such omission or error by the prosecution in conducting of trial.

This Court in *Laxmibai v. Bhagwantbuva, AIR 2013 SC 1204* dealt with the issue raised herein observing as under:

“Furthermore, there cannot be any dispute with respect to the settled legal proposition, that if a party wishes to raise any doubt as regards the correctness of the statement of a witness, the said witness must be given an opportunity to explain his statement by drawing his attention to that part of it, which has been objected to by the other party, as being untrue. Without this, it is not possible to impeach his credibility. Such a law has been advanced in view of the statutory provisions enshrined in Section 138 of the Evidence Act, 1872, which enable the opposite party to cross-examine a witness as regards information tendered in evidence by him during his initial examination in chief, and the scope of this provision stands enlarged by Section 146 of the Evidence Act, which permits a witness to be questioned, inter-alia, in order to test his veracity. Thereafter, the unchallenged part of his evidence is to be relied upon, for the reason that it is impossible for the witness to explain or elaborate upon any doubts as regards the same, in the absence of questions put to him with respect to the circumstances which indicate that the version of events provided by him, is not fit to be believed, and the witness himself, is unworthy of credit. Thus, if a party intends to impeach a witness, he must provide adequate opportunity to the witness in the witness box, to give a full and proper explanation. The same is essential to ensure fair play and fairness in dealing with witnesses.”

(See also: *Ravinder Kumar Sharma v. State of Assam*, AIR 1999 SC 3571; *Ghasita Sahu v. State of Madhya Pradesh*, AIR 2008 SC 1425; *Rohtash Kumar v. State of Haryana*, (2013) 14 SCC 434; and *Gian Chand v. State of Haryana*, (2013) 14 SCC 420.

In the matter of appreciation of evidence of witnesses, it is not the number of witnesses but quality of their evidence which is important, as there is no requirement under the Law of Evidence that any particular number of witnesses is to be examined to prove/disprove a fact. It is a time-honoured principle that evidence must be weighed and not counted. The test is whether the evidence has a ring of truth, is cogent, credible and trustworthy or otherwise. The legal system has laid emphasis on value provided by each witness, rather than the multiplicity or plurality of witnesses. It is quality and not quantity, which determines the adequacy of evidence as has been provided by Section 134 of the Evidence Act. Even in Probate cases, where the law requires the examination of at least one attesting witness, it has been held that production of more witnesses does not carry any weight. Thus, conviction can even be based on the testimony of a sole eye witness, if the same inspires confidence. (Vide: *Vadivelu Thevar v. State of Madras*; AIR 1957 SC 614; *Kunju v. State of Tamil Nadu*, (2008) 2 SCC 151; *Bipin Kumar Mondal v. State of West Bengal*, AIR 2010 SC 3638; *Mahesh v. State of Madhya Pradesh*, (2011) 9 SCC 626; *Prithipal Singh & Ors. v. State of Punjab*, (2012) 1 SCC 10; and *Kishan Chand v. State of Haryana* (2013) 2 SCC 502.

If the prosecution had not examined the panchnama witnesses and witnesses to the arrest memos of the appellants, the appellants could have examined them in their defence.

•

81. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Sections 120-B, 302, 460 and 382

- (i) **Conspiracy to commit murder with theft – Chain of circumstances not pointing the guilt of accused only – Testimony of witnesses not reliable – Conviction reversed.**
- (ii) **Appreciation of evidence – Contradictions, inconsistencies, exaggerations or embellishments – Material improvement, credibility of witnesses can be looked and if there is material improvement, it would not be safe to rely on such witnesses.**
- (iii) **Recovery of fact on disclosure of accused – Exclusive possession of accused not established – Benefit of doubt given.**
- (iv) **Identification of articles – Articles already shown to the witnesses – Identification is defective.**
- (v) **Circumstantial evidence – Principle of circumstantial evidence from which conclusion of guilt is drawn should be fully proved – Thus, such circumstances must be conclusive in nature – All the circumstances should be complete and there should be no gap left in the chain of evidence, consistent with the hypothesis of the accused and totally inconsistent with his innocence.**

Vijay Kumar v. State of Rajasthan

Judgment dated 18.02.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 441 of 2009, reported in (2014) 3 SCC 412

Extracts from the judgment :

The prosecution case is that the appellants A-1 Atma Ram and A-3 Vijay Kumar conspired and murdered Keshar Bai and stolen the ornaments/articles possessed by her. Nobody has witnessed the occurrence and the case rests on circumstantial evidence. In a case based on circumstantial evidence the settled law is that the circumstances from which the conclusion of guilt is drawn should be fully proved and such circumstances must be conclusive in nature. Moreover, all the circumstances should be complete and there should be no gap left in the chain of evidence. Further the proved circumstances must be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused and totally inconsistent with his innocence.

The prosecution in order to prove its case mainly relied on the following circumstances:

i) Keshar Bai died of homicidal violence.

ii) A-1 Atma Ram, threatened Keshar Bai of possible income-tax raid and seizure of ornaments possessed by her and persuaded her to shift her residence from village to hospital premise with her belongings.

iii) Accused Radha used to demand the ornaments for wearing from Keshar Bai.

iv) On the information furnished by A-1 Atma Ram and A-3 Vijay Kumar, upon their arrest, the ornaments pledged by various persons with Keshar Bai, got recovered from their possession.

The learned senior counsel and the amicus curie appearing for the appellants strenuously contended that there was no fair identification proceedings of property conducted by Tahsildar and firstly it was conducted belatedly and secondly the witnesses were already shown the articles and thirdly there is no proof that those articles were kept with deceased Keshar Bai and the recovery and - identification are unreliable shaky and fake. In this regard reliance was placed on the following decision in *State of Vindhya Pradesh v. Sarua Munni Dhimar and others, AIR 1954 Vindhya Pradesh 42*. The relevant portion reads thus :

“Further as has been observed in connection with identification of accused persons no presumption attaches to identification proceedings of property. It is for the prosecution to establish affirmatively that every necessary precaution was taken to ensure fair identification. The most essential requirement is that the witnesses should not have had an opportunity of seeing the property after its recovery and before its identification before the Magistrate. For that purpose it is necessary to seal the property as soon as it is

recovered and to keep it in a sealed condition till it is produced before the Magistrate. The police officers who take the sealed bundles to the thana after recovery and who take it to the Magistrate for identification proceedings should be examined to prove that the sealed bundles were not tampered with in any way. The sealed bundles should be opened in the presence of the Magistrate conducting the identification proceedings and he should depose about it. The property to be mixed with the property to be identified should also be sealed some days before witnesses are called and the bundle containing it should also be opened in the presence of the Magistrate who should testify about it in court.

Further as has been observed in the case of identification proceedings of persons the result of identification as well as the fact whether the property mixed was similar to the property identified should be entered in the memorandum by the Magistrate in his own hand.”

In the present case about 131 articles of gold and silver were recovered. About 60 witnesses have testified the pledging of their articles with Keshar Bai. The ornaments like ‘Gorla’, ‘Chain of gold’, ‘madalia’ ‘ring’, ‘Bitti’, ‘Karia’, ‘Pahunchi’, ‘hasli’ etc. are of same kind lookwise having no special marks on them. Learned senior counsel appearing for A-3 Vijay Kumar brought to our notice that one Pahunchi as per Exh.P5 recovery Memo, which contained 59 Mania (Moti) was recovered along with 6 silver ornaments mentioned therein, whereas in Exh.P.68 a copy of Malkhana register the six silver articles alone are found mentioned and there is no mention of the gold ornament ‘pahunchi’ as having kept safely in the Malkhana and it is not known as to where it was kept and produced. On a perusal of the said documents, this contention cannot be easily brushed aside.

It is the further submission of the learned senior counsel that as per the prosecution case PW 28 Smt. Raj Kanwar has pledged above said ‘pahunchi’ with Keshar Bai and she has stated in her testimony that her ‘pahunchi’ was of 40 Mania (Moti). If it is so the recovered ‘pahunchi’ is not that of PW 28 Smt. Raj Kanwar. It is doubtful as to whether this recovery claimed by the prosecution is established.

It is also the contention of the learned senior counsel that four witnesses examined claimed one ornament as theirs. The identification proceedings of articles was conducted by PW 83 Tahsildar Durga Prasad Sharma in Tehsil and he has claimed to have prepared 72 identification reports. In the cross-examination he has admitted that there were policemen present at the time of identification and he did not know the articles brought to him were in sealed packets or in open condition and he did not remember whether seal used on the

packets was official seal since 12 years have already passed. Even he did not know as to who has arranged for articles having similarity to the seized articles for the purpose of identification and identification proceedings were completed in a single day. The Tahsildar even after looking at the Memo was unable to say how many articles of each kind were mixed up with articles to be identified and whether similar articles were new or old, used or unused etc. None of the precaution that ought to have been taken to ensure fair identification was ever taken and no weight can be attached to the evidence of identification of property.

Though the trial court has observed in the judgment about the lack of proper identification of the articles, it erroneously proceeded further to accept the same. Recovery of weapons namely knife and screw-driver claimed to have been made on the information given by A-1 Atma Ram is also doubtful. Even assuming to be true that recovery of certain incriminating articles were made at the instance of the accused under Section 27 of the Evidence Act, that by itself cannot form the basis of conviction [See *Wakkar vs. State of U.P.*, (2011) 3 SCC 306].

•

82. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Section 292

Obscenity – How to be judged? It has to be judged from the point of view of an average person, in the light of contemporary community standards and not to be judged from the point of view of a group of susceptible or sensitive persons.

Aveek Sarkar & another v. State of West Bengal & others

Judgment dated 03.02.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 902 of 2004, reported in 2014 (1) Crimes 218 (SC) : (2014) 4 SCC 257

Extracts from the judgment :

We are of the view that Hicklin test is not the correct test to be applied to determine “what is obscenity”. Section 292 of the Indian Penal Code, of course, uses the expression ‘lascivious and prurient interests’ or its effect. Later, it has also been indicated in the said section of the applicability of the effect and the necessity of taking the items as a whole and on that foundation where such items would tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all the relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it. We have, therefore, to apply the “community standard test” rather than “Hicklin test” to determine what is “obscenity”. A bare reading of sub-section (1) of Section 292, makes clear that a picture or article shall be deemed to be obscene (i) if it is lascivious; (ii) it appeals to the prurient interest, and (iii) it tends to deprave and corrupt persons who are likely to read, see or hear the matter, alleged to be obscene. Once the matter is found to be obscene, the question may arise as to whether the impugned matter falls within any of the exceptions contained in Section. A picture of a nude/semi-nude woman, as such, cannot per se be called obscene unless it has the tendency to arouse feeling or

revealing an overt sexual desire. The picture should be suggestive of deprave mind and designed to excite sexual passion in persons who are likely to see it, which will depend on the particular posture and the background in which the nude/semi-nude woman is depicted. Only those sex-related materials which have a tendency of “exciting lustful thoughts” can be held to be obscene, but the obscenity has to be judged from the point of view of an average person, by applying contemporary community standards.

•

83. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Section 302

Case based on circumstantial evidence – Accused suspected fidelity of his wife – He disowned the paternity of deceased child – Was last seen together with deceased child – He made false story that the child died due to snake bite – Medical evidence supported that the child died due to drowning and not due to snake bite.

Above circumstances established the prosecution case successfully – Conviction maintained by the Apex Court.

Revutappa v. State of Karnataka

Judgment dated 24.01.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 760 of 2005, reported in 2014 CRI. L.J 1460

Extracts from the judgment:

PW-1 Siddakka’s evidence is corroborated by the evidence of her brother PW-10 Chanabasappa and her uncle PW-13 Ishwarappa, in all respects. We have noted that some of the witnesses have turned hostile. But that does not, in any way, affect the substratum of the prosecution story. The prosecution has successfully proved that there was a strong motive to kill the child because the appellant suspected the fidelity of PW-1 Siddakka. He had disowned the paternity of the child. The prosecution has also proved that the child and the appellant were last seen together. Most clinching circumstance in this case is the conduct of the appellant. PW-1 Siddakka’s parents were informed about the death of the child after the burial. She was threatened and told not to tell the true story to anyone. She was asked to tell everyone that the child died due to snake bite. This conduct of the appellant, examined in the background of the strong motive and the fact that he was last seen with the child, establish that it is he, who threw the child in the well. The medical evidence supports the prosecution case that the child died due to drowning and not due to snake bite.

It is surprising how defence suggested that the child went after a peacock; fell in the well and died. The well was an unused well. The scene of offence panchnama discloses that grass and thorny bushes were surrounding it. It would be impossible for a one-and-half year old child to walk such a distance, jump over the thorny bushes and fall in the well. This is, indeed, a far-fetched and astonishing suggestion. Besides, in his statement under Section 313 of the Cr.P.C., the appellant has not come out with this explanation. The child was last

seen with him. It was for him to explain how the child fell in the well. He has not done so. He has not discharged the burden which had shifted to him under Section 106 of the Evidence Act. Adverse inference needs to be drawn against him. In fact, this silence forms an additional link in the chain of circumstances.

•
84. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Sections 302/149 or 304 Part II/149 and 148

- (i) **Incident arose on trivial matter – No sharp weapon used – Death caused due to cumulative injuries – Specific role of any appellants not explained by eye witness – Thus, they did not state which appellant gave which blow on which part of the body of deceased – Doctor did not opine which injury was fatal – Conviction under section 302/149 modified to section 304 Part II/149.**
- (ii) **Appellants were armed with *lathis* and *tangis* etc. but did not use sharp weapon – It was held that appellants were not having common object to murder deceased in prosecution to that common object.**
- (iii) **Few witnesses were relatives of deceased but there is no evidence to falsely implicate the appellants – They can be relied.**

Badal Murmu and others v. State of West Bengal

Judgment dated 05.02.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 1502 of 2004, reported in (2014) 3 SCC 366

Extracts from the judgment:

The evidence of PW-1 Nilmoni, PW-3 Rabi Soren, PW-6 Sumi Soren and PW-7 Kanka is truthful and has rightly been relied upon. They are rustic witnesses and have candidly stated all that they had seen. Pertinently, PW-7 Kanka did not hesitate to name his brother as one of the assailants. No doubt, these witnesses are related to deceased-Jhore Soren, but the tenor of their evidence is such that it is not possible to say that they have falsely involved the appellants. Their evidence has a ring of truth. The prosecution has, therefore, proved that the appellants assaulted deceased-Jhore Soren with lathis which resulted in his death.

Now the question is which offence was committed by the appellants. The cause of this entire episode is very trivial. Appellant-Bhagbat's hen was stolen by deceased-Jhore Soren. This dispute was settled. Penalty was paid. Yet, the appellants called deceased-Jhore Soren to Saheb Hasda's courtyard. Deceased-Jhore Soren went there with PW-7 Kanka. They were tied to the trees and beaten up. It is argued that these facts show that the appellants shared common object to kill deceased-Jhore Soren and in prosecution of the common object, they killed deceased-Jhore Soren. In our opinion, the attendant circumstances do not indicate that the appellants shared any common object to kill deceased-Jhore Soren. It appears that they were not happy with the penalty imposed by

the Salishman. Therefore, they called him to Saheb Hasda's courtyard and beat him with lathis. If they wanted to kill him, they would have used some sharp cutting weapons.

In fact, the evidence on record shows that some of the appellants had tangies in their hand. PW-1 Nilmoni stated that some of them had tangies but they did not use them. Really, if the appellants wanted to kill deceased-Jhore Soren, the easiest way to achieve their object would have been to use the tangies and assault him. It appears to us that what started as an exercise to teach a lesson to deceased-Jhore Soren by beating him with lathis, took an ugly turn. In a frenzy, lathi blows were dealt with force. It is true that the doctor noticed fourteen injuries on the deceased. Most of them were bruises and abrasions. It is true that there were also two rib fractures and haemotoma under the scalp. But the doctor has stated that all the injuries led to the death of deceased-Jhore Soren.

It is not, therefore, known as to which is the fatal injury. Moreover, none of the eye-witnesses have stated who caused which injury. No individual role is ascribed to any of the appellants. The eye-witnesses have made an omnibus statement that the appellants assaulted the deceased with lathis. As earlier noted by us, in this case none of the eye witnesses have given specific role to any of the appellants. They have not stated which appellants gave which blow and on which part of the deceased's body. They have not stated which injury was caused by which accused. The doctor has not stated which injury was fatal. Undoubtedly, the deceased had suffered two fractures and haemotoma under the scalp, but nobody has said that any particular appellant caused these injuries. It bears repetition to state that though sharp cutting weapons i.e. tangies were available, the appellants did not use them. In the peculiar facts of this case, therefore, it is not possible to hold that the appellants shared common object to murder the deceased and in prosecution of that common object they caused his death. It would not be possible to sustain their conviction for offence punishable under Section 302 read with Section 149 of the IPC. It would be just and proper to resort to Section 304 Part II of the IPC and treat the sentence already undergone by them as sentence for the said offence.

•

85. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Sections 302, 304-B and 498-A

Circumstantial evidence – Prosecution relied on following circumstances:

- (i) The deceased and the appellant were wife and husband;**
- (ii) They were living in the same house;**
- (iii) The deceased was harassed by the appellant for additional dowry;**
- (iv) According to the medical evidence though the body was allegedly found hanging, it was in fact a case of strangulation; and**

- (v) Lastly an extra-judicial confession was made by A-1 before PW 9. Trial Court convicted the accused for offence under section 302 IPC – High Court confirmed the conviction but disbelieved extra-judicial confession.

Apex Court held that the opinion of the doctor regarding strangulation, even if believed did not lead to the conclusion that it is only the accused who must be held responsible for such strangulation, so conviction altered to section 304-B IPC.

Donthula Ravindranath alias Ravinder Rao v. State of Andhra Pradesh

Judgment dated 06.01.2014 passed by the Supreme Court in Criminal AppealNo. 594 of 2009, reported in (2014) 3 SCC 196

Extracts from the judgment:

We must at the outset state that one of the five circumstances relied upon by the prosecution to establish the guilt of the appellant i.e. the alleged extra judicial confession made by the appellant before PW 9 is disbelieved by the High Court. Therefore, only four circumstances remain, they are: (i) the appellant and the deceased were husband and wife; and (ii) they were living in the same house. These facts are not even disputed by the appellant. The third circumstance relied upon by the prosecution is that the deceased was harassed by the appellant for additional dowry. The said circumstance is abundantly established by the evidence of PW 1 to PW 4. The fourth circumstance that the death of Jyotsna in the opinion of the doctor was caused by strangulation (we do not propose to examine the correctness of the opinion) even if believed need not, in our opinion, lead to the conclusion that it is only the accused who must be held responsible for such strangulation. The building in which the accused and the deceased were living consists of four portions where others were also living.

•

**86. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Sections 302 and 498-A
EVIDENCE ACT, 1872 – Section 106**

- (i) In cases where poisoning is suspected, it would be advisable to ensure that the viscera is sent to the FSL and the FSL report is obtained in the interest of justice.
- (ii) The deceased was admittedly in the custody of the accused. How her dead body was found in the river, this fact was within special and personal knowledge of the accused. They failed to discharge the burden which had shifted to them under section 106 of the Evidence Act.
- (iii) In matrimonial cases, near relatives are the natural witnesses.

Joshinder Yadav v. State of Bihar

Judgment dated 20.01.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 259 of 2009, reported in 2014 (1) Crimes 195 (SC) : (2014) 4 SCC 42

Extracts from the judgment:

We have already referred to the evidence of father of Bindula Devi PW- 9 Debu Yadav. He has given a graphic account of the harassment and ill-treatment meted out to the deceased by the accused. They were not happy with a bullock, a cow and a buffalo which were given as dowry. They asked for a watch and a cycle. That was also given. They asked for more. PW-9 Debu Yadav transferred 2 kathas of land to Bindula Devi. The accused wanted to sell it or wanted it to be transferred in their names and since Bindula Devi did not agree to that they continued to torture her. Her son was sent to her father so that he would be brought up by him, but she was kept in the matrimonial house obviously to work. PW-10 Sachindra Yadav the brother of Bindula Devi has corroborated his father. It is distressing to note that all the other witnesses, that is PW-2 to PW-7 turned hostile. In the facts of this case, it is indeed a pointer to the guilt of the accused. They won over the prosecution witnesses. We note with some anguish the following sentences uttered by PW-9 Debu Yadav in his cross-examination probably as an answer to the usual question about there being no independent witness to depose about cruelty. He stated "whenever my daughter visited my house, she used to complain that she is being tortured and assaulted there. Who else can be a witness to this fact?" Having perused the evidence of PWs-9 and 10 we have no manner of doubt that Bindula Devi was subjected to cruelty and harassment for dowry by the accused. Evidence of these witnesses is straightforward and honest. There is no exaggeration. In the cross-examination their evidence has not suffered any dent. Implicit reliance can be placed on them.

In the present case, the deceased was admittedly in the custody of the accused. She disappeared from their house. As to how her dead body was found in the river was within their special and personal knowledge. They could have revealed the facts to disprove the prosecution case that they had killed Bindula Devi. They failed to discharge the burden which had shifted to them under Section 106 of the Evidence Act. The prosecution is not expected to give the exact manner in which the deceased was killed. Adverse inference needs to be drawn against the accused as they failed to explain how the deceased was found dead in the river in one foot deep water.

We must note that this is the third case which this Court has noticed in a short span of two months where, in a case of suspected poisoning, viscera report is not brought on record. We express our extreme displeasure about the way in which such serious cases are dealt with. We wonder whether these lapses are the result of inadvertence or they are a calculated move to frustrate the prosecution. Though the FSL report is not mandatory in all cases, in cases

where poisoning is suspected, it would be advisable and in the interest of justice to ensure that the viscera is sent to the FSL and the FSL report is obtained. This is because not in all cases there is adequate strong other evidence on record to prove that the deceased was administered poison by the accused. In a criminal trial the Investigating Officer, the Prosecutor and the Court play a very important role. The court's prime duty is to find out the truth. The Investigating Officer, the Prosecutor and the Courts must work in sync and ensure that the guilty are punished by bringing on record adequate credible legal evidence. If the Investigating Officer stumbles, the Prosecutor must pull him up and take necessary steps to rectify the lacunae. The Criminal Court must be alert, it must oversee their actions and, in case, it suspects foul play, it must use its vast powers and frustrate any attempt to set at naught a genuine prosecution. Perhaps, the instant case would have been further strengthened had the viscera been sent to the FSL and the FSL report was on record. These scientific tests are of vital importance to a criminal case, particularly when the witnesses are increasingly showing a tendency to turn hostile. In the instant case all those witnesses who spoke about poisoning turned hostile. Had the viscera report been on record and the case of poisoning was true, the prosecution would have been on still firmer grounds.

•

***87. INDIAN PENAL CODE, 1860 – Section 420**

Complaint in respect of offence under section 420 of the IPC, maintainability of – Power under section 156 (3), exercise of – Complaint under section 420 IPC filed against film director and producer alleging that they approached complainant and sought his assistance in making movie and offered Rs. 40 lakh consideration therefor – It was also alleged that the director and producer despite seeking and procuring assistance of complainant for making the film, did not pay Rs. 40 lakh – The complaint was filed against the director and producer and later on he filed an application under section 156 (3) Cr.P.C seeking a direction to the SHO of the concerning police station to register FIR – Allowing the petition against the impugned order, it was held that allegations contained were of civil nature and the entire dispute pertains to contractual obligations and did not disclose the commission of offence as there is difference between breach of contract and cheating – Further held, power conferred under section 156 (3) of the Code is not to be mechanically exercised – Investigation by police is necessary only in case where the Magistrate is *prima facie* satisfied that allegations contained in the complaint point to the commission of cognizable offence and he should not act merely as a post office but he should apply his mind before so ordering.

Balwant Singh Tomar @ Balwanta v. Tigmanshu Dhulia and others
Judgment dated 06.03.2013 passed by the High Court of M.P. in Misc.
Criminal Case No. 3416 of 2012, reported in 2014 (1) MPHT 284

•

- 88. LAND ACQUISITION ACT, 1894 – Sections 4, 5-A, 6 and 41**
- (i) Acquisition of land – Public purpose – Acquisition of land for setting up of toll plaza is a public purpose
 - (ii) Notification under sections 4 (1) and 6 of the Act for acquisition, requirement of – The public purpose is required to be mentioned but the names of the owner, khasra number and survey number of the land being acquired are not necessary.

Karan Developers Development Services Pvt. Ltd. v. State of M.P. and others

Order dated 02.07.2013 passed by the High Court of M.P. in Writ
Petition No. 17487 of 2012, reported in 2014 (1) MPLJ 110

Extracts from the order :

If sections 4 and 5-A of the Act of 1894 are kept in juxtaposition to each other and are read conjointly it would become luminously clear like a noon day that the names of the land owner, khasra number or survey number are not required to be given. I further add that had it been the intention of the legislature certainly it must have been enacted in section 4 (1) of the Act of 1894 in the like manner. Thus, the contention of learned counsel for the petitioner that the Notifications under sections 4(1) and 6 of the Act of 1894 are vague cannot be accepted.

On going through the averments made in the return, particularly, paras 10 to 12 and 15 it is gathered that the land is being acquired for the purposes of construction of the road and its ancillary facility like toll plaza and, therefore, it cannot be said that no public purpose is involved. In para 15 of the return, it has also been pleaded by the respondent No. 4 that several persons including M/s Shree Builders and Shri Kailash Patidar submitted their objections under section 5-A of the Act of 1894 and those objections are filed as Annexure R-4 (collectively) and Annexure R-5. In the Notification under Sections 4 (1) and 6 of the Act of 1894, the public purpose has also been mentioned. Needless to say, the toll plaza will be used by the public at large. Thus, this objection also stands nowhere. On bare perusal of para 10 of the return of the Road Development Corporation it is found that there is specific averment in it that the fifth and sixth respondents-Companies only hold a concession agreement which is in nature of licence to construct the road on behalf of the State Government. No asset is owned by private company and the company is required to surrender not only the road but other assets also in terms to agreement after completion of the concession period. The only right given to the company is to collect the

toll from the vehicle using the road and passing through it but this right is also for a specific period stated in the concession agreement.

•

***89. LAND ACQUISITION ACT, 1894 – Section 14**

Period of limitation, condonation of – If period of time spent in *bona fide* proceeding before any wrong forum, it is liable to be excluded.

**Commissioner, M.P. Housing Board v. Mohanlal and Company
Order dated 12.08.2013 passed by the High Court of M.P. in Civil
Revision No. 332 of 2012, reported in 2014 (1) MPLJ 121**

•

90. LIMITATION ACT, 1963 – Section 14

Period of limitation – Delay in filing suit, condonation of – Dispute between the parties with regard to mutation was pending before Revenue Court and the suit for the relief of permanent injunction and possession filed before the civil court along with an application for condonation of delay – Held, the subject matter of the proceeding pending before the Revenue Court being entirely different from dispute in the suit, therefore, the plaintiff is not entitled to condonation of delay under section 14 of the Act.

Rajendra Prasad and others v. Ramlal

**Judgment dated 05.08.2013 passed by the High Court of M.P. in
Second Appeal No. 502 of 2005, reported in 2014 (1) MPHT 62**

Extracts from the judgment :

The object of Section 14 of the Act is to extend the protection against bar of limitation to a person honestly doing his best to get his case tried on merits but failing through Court been unable him of such trial. In order to attract the applicability of Section 14 of the Limitation Act, following conditions are required to be satisfied :-

- (i) both the prior and subsequent proceedings are civil proceedings prosecuted by the same party;
- (ii) the prior proceeding had been prosecuted with due diligence and good faith;
- (iii) the failure of the prior proceeding was due to defect of jurisdiction or other cause of like nature;
- (iv) the earlier proceeding and the later proceeding must relate to the same matter in issue; and
- (v) both the proceedings are in a Court.

[See : *Raghunath v. Gokul*, AIR 1958 SC 827 and *Safar Khan v. Board of Revenue*, AIR 1985 SC 39]

In the case of *Jai Prakash and others v. Satnarain and others*, 1994 Supp. (1) SCC 153, it has been held that if the nature of proceeding pending before the Revenue Court is irrelevant for the purpose of suit, the litigant would not be entitled to the benefit of Section 14 of the Limitation Act. In the instant case, the dispute between the parties which remain pending before the Revenue Court was with regard to mutation. However, the suit was initially filed for permanent injunction and thereafter, the relief of possession was incorporated by way of an amendment. Thus, the subject-matter of the proceeding pending before the Revenue Court is entirely different from the dispute which was pending adjudication in the suit and, therefore, the plaintiff is not entitled to benefit of Section 14 of the Limitation Act.

•

91. MADHYASTHAM ADHIKARAN ADHINIYAM, 1983 (M.P.) – Sections 7 and 2 (d)

Counter-claim – Delay in filing, condonation of – Delay of more than 11 years from the date of cause of action cannot be condoned in absence of proper and sufficient explanation.

Mahalinga Shetty and Company (M/s) v. M.P. Electricity Board

Order dated 20.09.2013 passed by the High Court of M.P. in Civil Rev. No. 579 of 2003, reported in 2014 (1) MPLJ 363 (DB)

Extracts from the order :

In the present case, the delay of more than 11 years has not been properly explained. The claim was made by the applicant Company before the Tribunal on 9.2.1987 and even though written statement was filed by the non-applicant on 4.11.1987, they raised the counter-claim only on 30.6.1989 even though cause of action arose to them on 12.8.1987. Counter claim, complete in all respect, came into existence on 18.9.2000, the period of delay i.e. 11 years and 3 months, in raising the counter-claim, is not at all explained. That apart, on 8.3.1996, the applicant Company raised an objection with regard to maintainability of the counter-claim and also pointed out that there is delay in raising the counter-claim. Even then the non-applicant kept quiet again for four years and it was only on 18.9.2000 that remedial action for bringing the counter-claim in accordance to the requirement of law was initiated. That being so, it was a case where there was an inordinate unexplained delay on the part of the non-applicant and, therefore, in condoning the delay and permitting the counter claim to be raised after such an long period of time, the learned Tribunal has committed grave error. Accordingly, we see no reason to condone the delay and hold that the action of the Tribunal in condoning the delay, only by mentioning public interest, was an error of jurisdiction committed by the Tribunal which warrants interference.

92. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 2 (13)

Vehicle requisitioned by State on government duty – Uninsured vehicle met with accident – Whether registered owner is liable for compensation? Held, no, because vehicle was under the requisition of State government so State government is liable for compensation – It also violated section 146 (1) M.V. Act by plying such uninsured vehicle in public place.

Purnya Kala Devi v. State of Assam and another

Judgment dated 07.04.2014 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 1672 of 2010, reported in 2014 ACJ 1269 (SC) (3 Judge Bench)

Extracts from the judgment:

The High Court failed to appreciate the underlying legislative intention in including in the definition of 'owner' a person in possession of a vehicle either under an agreement of lease or agreement of hypothecation or under a hire-purchase agreement to the effect that a person in the control and possession of the vehicle should be construed as the 'owner' and not alone the registered owner. The High Court further failed to appreciate the legislative intention that the registered owner of the vehicle should not be held liable if the vehicle was not in his possession and control. The High Court also failed to appreciate that section 146 of the 1988 Act requires that no person shall use or cause or allow any other person to use a motor vehicle in a public place without an insurance policy meeting the requirements of Chapter XI of the 1988 Act and the State Government has violated the statutory provisions of the 1988 Act. The Tribunal also erred in accepting the allegation of respondent No.2 that the vehicle was released on the date of the accident at 10.30 a.m. and the accident occurred at 10.30 a.m. without any evidence even though in the claim petition, it was stated that the accident had occurred at 10.15 a.m.

•

***93. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 147**

Motor vehicle accident due to negligence of the driver himself – Compensation – Insurance Company, liability of – Deceased/driver of the vehicle himself was negligent in causing accident – Insurance policy was not comprehensive package policy but was an act policy – No additional premium was paid to cover the risk of owner/driver – Held, the driver would be deemed to step into the shoes of the owner and not being third party, the Insurance Company is not liable to pay compensation.

**New India Assurance Company Ltd. v. Domenic Tahir & ors.
Judgment dated 04.10.2013 passed by the High Court of M.P. in Misc. Application No. 2364 of 2006, reported in ILR (2014) MP 203**

•

- 94. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 147 (1) (b) (i)**
Goods vehicle – Terms of insurance policy – How to appreciate?
Terms are as follows:

“To persons employed in connection with the operation and/or loading/unloading of motor vehicle IMT 17”

Whether a person who was accompanying the goods in transit for the purpose of delivery of goods is covered in the above expression “persons employed in connection with operation of motor vehicle?”
Held, Yes.

Hanumanagouda v. United India Insurance Co. Ltd. and others
Judgment dated 28.01.2014 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 5901 of 2008, reported in 2014 ACJ 681 (S.C.) (3 Judge Bench)

Extracts from the judgment:

For deciding the issue, one is simply required to go through the relevant clause IMT 17 of the policy, whose copy has been made available to us. The clause reads thus:

“Add: for LL to persons employed in connection with the operation and/or loading/unloading of motor vehicle IMT 17”

The High Court has clearly fallen in error in holding that the insurer is not liable in respect of death of Hanumanth. The clause ‘person employed in connection with the operation is clearly over and above the coverage provided by the policy to persons employed in connection with loading/unloading of motor vehicle’. As gumashta, deceased was accompanying the goods in transit for the purpose of delivery of goods. This has been accepted by the High Court. Obviously, as gumashta the deceased would be covered by the expression ‘persons employed in connection with operation of motor vehicle’. The operation of the aforesaid clause has wrongly been restricted and limited only to persons employed in connection with loading/unloading of the motor vehicle.

•

- 95. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 149 (2) (a) (i)**
Breach of insurance policy – When not proved? Tractor-trolley was carrying sand for construction of underground tank for irrigation purpose, insurance company not adduced any evidence to prove breach of policy – In the absence of any such evidence it cannot be presumed that there was breach of condition of policy.

Fahim Ahmad and others v. United India Insurance Co. Ltd. and others

Judgment dated 25.03.2014 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 6220 of 2008, reported in 2014 ACJ 1254 (SC) (3 Judge Bench)

Extracts from the judgment:

Although the plea of breach of the conditions of policy was raised before the Tribunal, yet neither any issue was framed nor any evidence led to prove the same. In our opinion, it was mandatory for insurance company, respondent No. 1, not only to plead the said breach, but also substantiate the same by adducing positive evidence in respect of the same in the absence of any such evidence; it cannot be presumed that there was breach of conditions of policy. Thus, there was no reason to fasten the said liability of payment of the amount of compensation awarded by the Tribunal on the appellants herein.

We may also notice that this court in *National Insurance Co. Ltd. v. V. Chinnamma, 2004 ACJ 1909 (SC)*, held that carriage of vegetables being agricultural produce would lead to an inference that the tractor was being used for agricultural purposes, but the same itself would not be construed to mean that the tractor and trailer can be used for carriage of goods by another person for his business activities. Thus, a tractor fitted with a trailer may or may not answer the definition of 'goods carriage' contained in section 2 (14) of the said Act.

96. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 166

Assessment of compensation:

- (i) There are two different heads on future treatment and pain & suffering and that cannot be clubbed together for purpose of awarding compensation.**
- (ii) Claimant aged 25 years suffered 100% disability in motor accident and paralysed for life – Apex court awarded Rs. 2,00,000/- for attendant, Rs. 3,00,000/- for pain and suffering, Rs.3,00,000/- for future treatment; total compensation of Rs. 19,91,702 awarded.**
- (iii) Future prospects for self-employed claimant aged 25 years – Apex Court, held, an addition of 50% to the income that the claimant was earning at the time of the accident.**

Sanjay Verma v. Haryana Roadways

Judgment dated 29.01.2014 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 5256 of 2008, reported in (2014) 3 SCC 210 : 2014 ACJ 692 (Three Judge Bench)

Extracts from the judgment :

A three-Judge Bench of this Court in *Reshma Kumari v. Madan Mohan, (2009) 13 SCC 422 = 2013 ACJ 1253 (SC)* reiterated the view taken in *Sarla Verma v. Delhi Transport Corporation, 2009 ACJ 1298 (SC)* to the effect that in respect of a person who was on a fixed salary without provision for annual increments or who was self-employed the actual income at the time of death should be taken into account for determining the loss of income unless there are extraordinary and exceptional circumstances. Though the expression “exceptional

and extraordinary circumstances” is not capable of any precise definition, in *Shakti Devi v. New India Assurance Co. Ltd., 2011 ACJ 15 (SC)* there is a practical application of the aforesaid principle. The near certainty of the regular employment of the deceased in a government department following the retirement of his father was held to be a valid ground to compute the loss of income by taking into account the possible future earnings. The said loss of income, accordingly, was quantified at double the amount that the deceased was earning at the time of his death.

Undoubtedly, the same principle will apply for determination of loss of income on account of an accident resulting in total disability of the victim as in the present case. Therefore, taking into account the age of the claimant (25 years) and the fact that he had a steady income, as evidenced by the income tax returns, we are of the view that an addition of 50 percent to the income that the claimant was earning at the time of the accident would be justified.

This will bring us to the grievance of the appellant claimant with regard to award of compensation of Rs. 50,000 under the head “future treatment” and “pain and suffering”. In view of the decisions of this Court in *Raj Kumar v. Ajay Kumar, 2011 ACJ 1 (SC)* and *Sanjay Batham v. Munnalal Parihar 2011 ACJ 2869 (SC)* there can be no manner of doubt that the above two heads of compensation are distinct and different and cannot be clubbed together. We will, therefore, have to sever the two heads which have been clubbed together by the High Court.

•

97. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 166

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 – Section 2 (11)

- (i) Can a registered charitable society file a claim for death of his member? Held, Yes because in this case, such member renounced the world and whatever he received by way of salary, subsidies, gifts, pension or from Insurance or other such benefits belongs to the community as by right and goes into the common purse.
- (ii) Insurance company in the written statement neither raised the plea of maintainability of claim nor lead any evidence on such point – Even company did not press maintainability of claim for want of *locus standi* – Claim, held maintainable.

Montford Brothers of St. Gabriel and another v. United India Insurance Co. Ltd. and another

Judgment dated 28.01.2014 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 3269 of 2007, reported in 2014 ACJ 667 (SC) : (2014) 3 SCC 594 (3 Judge Bench)

Extracts from the judgment:

A perusal of the judgment and order of Claims Tribunal discloses that although issue No.1 was not pressed and hence decided in favour of claimants-appellants, while considering the quantum of compensation for the claimants the Tribunal adopted a very cautious approach and framed a question for itself as to what should be the criterion for assessing compensation in such case where the deceased was a Roman Catholic and joined the church services after denouncing his family, and as such having no actual dependants or earnings? For answering this issue the Tribunal relied not only upon judgments of American and English courts but also upon Indian judgments for coming to the conclusion that even a religious order or organisation may suffer considerable loss due to death of a voluntary worker. The Tribunal also went on to decide who should be entitled for compensation as legal representative of the deceased and for that purpose it relied upon the Full Bench judgment of Patna High Court reported in *Sudama Devi v. Jogendra Choudhary, AIR 1987 Patna 239*, which held that the term 'legal representative' is wide enough to include even 'intermeddlers' with the estate of a deceased. The claims Tribunal also referred to some Indian judgments in which it was held that successors to the trusteeship and trust property are legal representatives within the meaning of section 2 (11) of the Code of Civil Procedure.

•

98. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 166

Distinction between composite and contributory negligence – Explained – Where a person is injured as a result of negligence on the part of two or more wrongdoers, it is said that the person was injured on account of composite negligence of those wrongdoers – So composite negligence refers to the negligence on the part of two or more persons other than the claimant.

Where a person suffers injury, partly due to negligence on the part of another person or persons, and partly as a result of his own negligence then the negligence on the part of the injured, which contributed to the accident, is referred to as contributory negligence.

In case of composite negligence it is not necessary for claimant to establish the extent of responsibility of each wrongdoer separately and it is also not necessary for the court to determine the extent of liability of each wrongdoer separately.

In case of contributory negligence the claim is not defeated merely by reason of negligence on the part of claimant but the damages recoverable by him in respect of the injuries stand reduced in proportion to his contributory negligence.

Pawan Kumar and another v. Harkishan Dass Mohan Lal and others

Judgment dated 29.01.2014 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 5906 of 2008, reported in 2014 ACJ 704 (S.C.) : (2014) 3 SCC 590 (3 Judge Bench)

Extracts from the judgment:

The distinction between the principles of composite and contributory negligence has been dealt with a *Winfield & Jolowicz on Tort, 15th Edn., 1998, Chapter 21*. it would be appropriate to notice the following passage from the said work.

“Where two or more people by their independent breaches of duty to the plaintiff cause him to suffer distinct injuries, no special rules are required, for each tortfeasor is liable for the damage which he caused and only for that damage. Where, however, two or more breaches of duty by different persons cause the plaintiff to suffer a single injury the position is more complicated. The law in such a case is that the plaintiff is entitled to sue all or any of them for the full amount of his loss, and each is said to be jointly and severally liable for it. This means that special rules are necessary to deal with the possibilities of successive actions in respect of that loss and of claims for contribution or indemnity by one tortfeasor against the others. It is greatly to the plaintiff’s advantage to show that that he has suffered the same, indivisible harm at the hands of a number of defendants for the thereby avoids the risk, inherent in cases where there are different injuries, of finding that one defendant is insolvent (or uninsured) and being unable to execute judgment against him. The same picture is not, of course, so attractive from the point of view of the solvent defendant, who may end up carrying full responsibility for a loss in the causing of which he played only a partial, even secondary role.

The question of whether there is one injury can be a difficult one. The simplest case is that of two virtually simultaneous acts of negligence, as there where two drivers behave negligently and collide, injuring a passenger in one of the cars or a pedestrian , but there is no requirement that the acts be simultaneous...”

•

99. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 166

Motor accident – How to assess functional disability? Functional disability of an accident victim requires determination on the basis of nature of disability in the light of the career or profession which he or she was pursuing in life – It should not be computed mechanically only on percentage of physical disability – In this case claimant is 36 year old advocate, earning Rs. 15000/- p.m. – Apex Court assessed loss of earning capacity at 70% and enhanced the compensation accordingly.

N. Manjgowda v. Manager United India Insurance Co. Ltd. and another

Judgment dated 12.11.2013 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 10192 of 2013, reported in 2014 ACJ 617 (SC) : (2014) 3 SCC 590 (3 Judge Bench)

Extracts from the judgment:

In the present case the appellant has been found to suffer weakness of four limbs. He has to work slowly and requires help in climbing steps, cannot run, cannot write sharply and speedily with his right hand. With his left hand he cannot lock the shirt buttons and has difficulty in holding the spoon for self-feeding. He was having partial sensory loss all over his limbs and also lacked proper coordination in all four limbs. It is the medical opinion that for these reasons the appellant requires an assistant for daily routine work. In view of aforesaid medical assessment of appellant's condition after sustaining injuries in the accident and in the light of whole body disability of 50 percent, it would be certainly very difficult for the appellant to practise as an advocate and compete with others so as to command confidence and acceptability of general clients. Unlike many other professions, legal profession requires not only sharp and focused mind but also good health and ability to put in hard work within a limited time frame. The requirement of impressing the client at the age of 36 is much more. It is only when a young advocate has built a good impression and reputation, then in the evening of his life he may continue to command professional work on the basis of his acquired knowledge and reputation. A young advocate is bound to suffer huge professional loss on account of injuries as have been sustained by appellant and the condition in which the doctor found him.

•

100. MOTOR VEHICLES ACT, 1988 – Section 168

SUCCESSION ACT, 1925 – Section 372

Whether Succession Certificate is necessary for disbursement of compensation amongst heirs? Held, no, because compensation in claim cases is neither debt nor security – Succession certificate has to be insisted only in cases of debts or securities to which a deceased was entitled – 2000 AIR SCW 4941 relied on.

Chandra and another v. Ranveer Singh Ramavtar and others
Judgment dated 10.10.2012 passed by the High Court of M.P. in Civil
Revision No. 123 of 2012, reported in 2014 ACJ 891 (M.P.)

Extracts from the judgment:

Succession certificate has to be insisted only in cases of debts or securities to which a deceased is entitled. Amount awarded as compensation to an individual can never be treated as debt or security, therefore, no succession certificate is required to be furnished by the present claimants. The Apex Court in the case of *Rukhsana v. Nazrunnisa, 2000 AIR SCW 4941*, held that the amount awarded as compensation on account of death of an individual cannot be treated as debt or security and legal heirs of the deceased cannot be asked to obtain and produce succession certificate. The relevant part of the judgment is reproduced as under:

“(3) We cannot approve the said view of the High Court, for succession certificate as envisaged in the Indian Succession Act can be granted only in respect of ‘debts’ or ‘securities’ to which a deceased was entitled. The amount involved in this case was not a debt or security to which the deceased was entitled. This was a compensation sanctioned on account of the death of the deceased and is, therefore, not an asset belonging to the deceased but an amount which the legal representatives of the deceased can claim on their own account. The civil court will only decide as to who are the legal representatives and in what shares they are entitled to as per the personal law applicable to them. The parties will move appropriate application before the court concerned for expediting the procedure regarding disbursement of the amount. With these observations we set aside the impugned order.”

•

101. MOTOR VEHICLES ACT, 1988

Contributory negligence – Proof – There must be cogent evidence to prove contributory negligence – If there is no specific evidence to prove that the accident has taken place due to rash and negligent driving of the deceased minor scooterist – In the absence of any cogent evidence to prove the plea of contributory negligence, the doctrine of common law cannot be applied since deceased is not even 18 years old who could not have been permitted to drive the scooter.

Meera Devi and another v. Himachal Road Transport Corporation and others

Judgment dated 10.03.2014 passed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 5764 of 2008, reported in 2014 ACJ 1012 (S.C.) (3 Judge Bench)

Extracts from the judgment:

To prove the contributory negligence, there must be cogent evidence. In the instant case, there is no specific evidence to prove that the accident has taken place due to rash and negligent driving of the deceased scooterist. In the absence of any cogent evidence to prove the plea of contributory negligence, the said doctrine of common law cannot be applied in the present case. We are, thus, of the view that the reasoning given by the High Court has no basis and the compensation awarded by the Tribunal was just and reasonable in the facts and circumstances of the case.

•

***102. NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 – Section 138**

Offence under section 138 of the Act – Report of handwriting expert, consideration of at the stage of taking cognizance.

Facts of the case:

Accused and her husband, relatives of the complainant, allegedly borrowed money from him – On cheque for repayment of the loan amount being dishonoured, the complainant filed complaint under section 138 of the Act – Holding that there is *prima facie* ground to proceed, the trial court took cognizance of the offence and ordered the accused be summoned – The order was challenged by way of petition before the High Court on the ground that several cheques were stolen and the Government handwriting expert also opined that there is characteristic difference between signature of the accused on the cheque and her specimen signature – Held, on mere basis of the opinion of the handwriting expert, it cannot be held that the cheque was not issued by the accused and the allegations made in the complaint *prima facie* discloses the commission of offence punishable under section 138 of the Act.

Smt. Anita v. Asharam

Judgment dated 11.10.2013 passed by the High Court of M.P. in Misc. Criminal Case No. 8325 of 2012, reported in 2014 (1) MPHT 136

•

**103. NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 – Section 138
GENERAL CLAUSES ACT, 1897 – Sections 3 (35) and 9**

- (i) How to calculate period of 6 months (now 3 months) as prescribed under section 138 of N.I. Act? Period of 6 months cannot be calculated on 30 days basis but it should be calculated on month basis – The word “month” has been defined under section 3 (35) of General Clauses Act to mean a month reckoned according to the British calendar.
- (ii) In the above calculation, the day on which the cheque is drawn has to be excluded and the last day within which such act needs to be done is to be included.

**Rameshchandra Ambalal Joshi v. State of Gujarat and another
Judgment dated 18.02.2014 passed by the Supreme Court in Criminal
Appeal No. 434 of 2014, reported in 2014 Cri.L.J. 1671**

Extracts from the judgment:

The first question which calls for our answer is the meaning of the expression “month”: whether it would mean only a period of 30 days and, consequently, whether six months would mean a period of 180 days. The word “month” has been defined under Section 3(35) of the General Clauses Act to mean a month reckoned according to the British calendar. Therefore we cannot ignore or eschew the word ‘British calendar’ while construing “month” under the Act. Accordingly, we are of the opinion that the period of six months cannot be calculated on 30 days in a month basis. Therefore, both the modes of calculation suggested by learned senior counsel do not deserve acceptance and are rejected accordingly.

Proviso (a) to Section 138 of the Act uses the expression “six months from the date on which it is drawn”. Once the word ‘from’ is used for the purpose of commencement of time, in view of Section 9 of the General Clauses Act, the day on which the cheque is drawn has to be excluded.

Drawing a conclusion from *Econ Antri Ltd. v. Rom Industries Ltd. & anr.*, 2013 AIR SCW 4977, *Saketh India Ltd. v. India Securities Ltd.*, (1999) 3 SCC 1 = AIR 1999 SC 1090 and *Haru Das Gupta v. State of West Bengal*, AIR 1972 SC 1293 we are of the opinion that the use of word “from” in Section 138(a) requires exclusion of the first day on which the cheque was drawn and inclusion of the last day within which such act needs to be done. In other words, six months would expire one day prior to the date in the corresponding month and in case no such day falls, the last day of the immediate previous month. Hence, for all purposes, the date on which the cheque was drawn, i.e., 31.12.2005 will be excluded and the period of six months will be reckoned from the next day i.e. from 1.1.2006; meaning thereby that according to the British calendar, the period of six months will expire at the end of the 30th day of June, 2006. Since the cheque was presented on 30.6.2006, we are of the view that it was presented within the period prescribed.

•

104. NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 – Sections 138 and 141

It is necessary for the complainant to state in the complaint that the accused was in charge of and responsible for the conduct of business of the company at the relevant time – No particular form for making above allegation is prescribed – If complaint has not disclosed any such allegation, held, it is not maintainable.

Mannalal Chamaria & anr. v. State of West Bengal and Anr.

Judgment dated 25.03.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 213 of 2006, reported in 2014 (2) Crimes 63 (SC)

Extracts from the judgment:

The law on the subject is now very well-settled by a series of decisions rendered by this Court and it is not necessary to repeat the views expressed time and again. Suffice it to say, that the law has once again been stated in *A.K. Singhania v. Gujarat State Fertilizer Company Ltd.* to the effect that it is necessary for a complainant to state in the complaint that the person accused was in charge of and responsible for the conduct of the business of the company. Although, no particular form for making such an allegation is prescribed, and it may not be necessary to reproduce the language of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, but a reading of the complaint should show that the substance of the accusation discloses that the accused person was in charge of and responsible for the conduct of the business of the company at the relevant time. From the averment made in the complaint, which is reproduced above, it can safely be said that there is no specific or even a general allegation made against the appellants.

•

105. PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 – Section 13 (1) (e) r/w/s 13 (2)

Offence under section 13 (1) (e) r/w/s 13 (2) of the Act, constitution of – The accused, a public servant, was charged and convicted for acquiring assets disproportionate to his known sources of income as public servant – In appeal, he satisfactorily accounted the alleged disproportionate assets – Held, no liability for the offence under sections 13 (1) (e) and 13 (2) can be fastened against him.

Rameshwar Dayal Sharma v. State of M.P. thr. Special Police Establishment, Lokayukta, Gwalior

Judgment dated 24.10.2013 passed by the High Court of M.P. in Criminal Appeal No. 758 of 2005, reported in 2014 (1) MPHT 139 (DB)

Extracts from the judgment

The learned trial judge while appreciating evidence of the properties as appeared from the evidence on record also considered the aspect of the matter

that some amount may be spent by the other members of the family including the possible depreciation of the properties and thereafter, concluded that the properties valued at Rs. 2,89,000/- was excess disproportionate property for which the accused had no plausible explanation. As argued by the learned counsel for accused/appellant, on going through the item of income in check period, namely, (g) Loan advance received for purchasing House No. C-18 Govind Puri from Cent Bank finance for Rs. 1,50,000/- and item of invested assets and expenditure of accused in check period as proved, namely, (vii) Purchase amount of Plot spent and part of the amount received as loan amount from cant Bank Finance company = Rs.2,68,290/- (excluding the stamp duty of Rs. 57,055/- payable on registered sale deed), it clearly appears that the property i.e. House No. C-18 at Govindpuri, Gwalior was purchased by the accused/appellant against sale price of Rs. 3,01,500/- and out of that sale price, the accused applied for loan of Rs.1,50,000/- from Cent Bank Finance Company and rest amount of Rs.1,50,000 and expenses as Rs. 57,055/- and Registration Charges as Rs. 3545/-, total $57,055+3545=Rs. 60,600/-$ were paid by the accused. Thus, the accused paid total amount of sale and expenses as Rs. 1,50,000/- from loan and rest Rs. 1,50,000/- and expenses Rs.60,600/-, total Rs. 2,10,600/- for purchase of the above property were also paid by him. Thereafter during check period, the accused also deposited Rs.61,235/- by way of monthly installment with the financier. Thus, the total amount for purchase of House No.C-18 situated at Govindpuri, Gwalior and the payment of installment of loan on calculation comes to Rs. 4,21,835/- (Rs.3,00,000 + Rs.60,600 + Rs.61,235), but it appears that while making the mathematical calculations by the learned trial Judge, the amount was wrongly calculated which makes the total amount of Rs. 3,86,580/- (Rs. 2,68,290+ Rs. 57,055+ Rs. 61,235). The difference thus is worked out to Rs. 35,258/-. Further more in para 63 of the impugned judgment, the amount incurred towards purchasing the House No. C-18 was twice added, which makes the total as Rs. 5,32,500/-. As a matter of fact, after deducting the said sum from Rs. 5,32,500/-, which obviously was twice added by the learned trial Judge, the amount comes to Rs. 2,31,000/-. After adding the difference amount of Rs. 35,258/-, as indicated above, the amount which was not in dispute now comes to Rs.11,65,005/- instead of Rs. 11,29,747/-. In this sum after adding Rs. 2,31,000/-, the amount comes to Rs. 13,96,005/-, which after deduction from the amount of Rs. 12,54,386/-, towards known sources of income, it comes to Rs.1,41,619/-. In such circumstance, the total amount in this regard of disproportionate property from known sources of income shall be Rs.1,41,619/-. After giving benefit of 10% against the amount of proved known sources of income, the value of the disproportionate assets eventually reduces to Rs. 16181/-. Therefore, on examining the case there appears to be an error in the judgment of the trial court in arriving at this disproportionate assets. In the opinion of this court, the appellant has satisfactorily accounted the alleged disproportionate

assets. Hence, in view of the aforesaid discussions, in our opinion, the prosecution in the instant case, cannot be said to have successfully fixed the criminality on the accused under Section 13(1)(e) read with Section 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988. The approach of the learned trial court is therefore patently illegal.

•
106. PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954 – Sections 7 and 16
“Storage” of an adulterated article of food other than for sale does not come within the mischief of section 16 of the P.F.A. Act 1954 – Municipal Corporation of Delhi v. Laxmi Narain Tandon, (1976) 1 SCC 546 relied on.

Rupak Kumar v. State of Bihar & Anr.

Judgment dated 04.03.2014 passed by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 541 of 2014, reported in 2014 (2) Crimes 41 (SC): (2014) 4 SCC 277

Extracts from the judgment:

In the present case, according to the prosecution, the appellant, a Superintendent of Jail, had stored Rice and Haldi and, therefore, his act comes within the mischief of Section 7 and 16 of the Act. In view of the aforesaid, what needs to be decided is as to whether the expression ‘store’ as used in Section 7 and Section 16 of the Act would mean storage simplicitor or storage for sale. We have referred to the provisions of Section 7, Section 10 and Section 16 of the Act and from their conjoint reading, it will appear that the Act is intended to prohibit and penalize the sale of any adulterated article of food. In our opinion, the term ‘store’ shall take colour from the context and the collocation in which it occurs in Section 7 and 16 of the Act. Applying the aforesaid principle, we are of the opinion, that ‘storage’ of an adulterated article of food other than for sale does not come within the mischief of Section 16 of the Act. In view of the authoritative pronouncement of this Court in the case of *Municipal Corporation of Delhi v. Laxmi Narain Tandon, (1976) 1 SCC 546*, this submission does not need further elaboration. In the said case it has been held as follows:

“14. From a conjoint reading of the above referred provisions, it will be clear that the broad scheme of the Act is to prohibit and penalise the sale, or import, manufacture, storage or distribution for sale of any adulterated article of food. The terms “store” and “distribute” take their colour from the context and the collocation of words in which they occur in Sections 7 and 16. “Storage” or “distribution” of an adulterated article of food for a purpose other than for sale does not fall within the mischief of this section.....”

***107. SERVICE LAW:**

Decree, setting aside of – Earlier decree can be set aside only in case where the alleged decree was passed by Court having no jurisdiction or it was passed by playing fraud or against settled principles of law – It cannot be set aside merely on the ground that judgment and decree were incorrect.

D.D. Rampure (Devi Dayal Rampure) v. State of M.P. and others
Order dated 25.09.2013 passed by the High Court of M.P. in Writ Petition No. 8804 of 2012, reported in 2014 (1) MPLJ 271

•

***108. SERVICE LAW:**

(i) Review (reopening) of departmental enquiry proceedings, validity and scope of – The power of review can be exercised by head of the Department in certain circumstances under Rule 29 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 – However, no order can be reviewed by the head of the department when the order impugned is not passed by the authority who is not subordinate to him i.e. if the order in review is not passed by the authority who is subordinate to the head of the department, power of review cannot be exercised.

(ii) After passing the order of punishment or exoneration on Enquiry Officer's report, the Disciplinary Authority becomes *functus officio* – There is no provision which enables such authority to recall, review or modify its own order and direct further enquiry on parties from which the erring employee has been exonerated.

Swati Singh v. M.P. Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd. Bhopal and another

Order dated 03.10.2013 passed by the High Court of M.P. in Writ Petition No. 5733 of 2013, reported in 2014 (1) MPLJ 308

•

***109. SPECIFIC RELIEF ACT, 1963 – Section 16**

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908 – Section 96

(i) Suit for specific performance of agreement to sell – Defendant entered into agreement to sell and receive earnest money – On not being complied with the directions and conditions on the part of defendant, the plaintiff filed suit for specific performance of agreement pleading that he was ready and willing to perform his part of the contract – Defendant took defence that she was not the exclusive owner of the property for getting the sale deed executed in favour of the plaintiff – Held, since the plaintiff was

ready and willing to perform his part of the contract and the defendant has willfully deviated from the terms and conditions of the contract, plaintiff is entitled for the decree of specific performance of contract – Further held, the defendant contracted for sale as sole owner, therefore, she is estopped from saying that she is not the sole owner.

- (ii) Interference in the finding of appeal, when can be – Appellate Court should not normally interfere in the findings of the trial court unless findings appear to be perverse.

Smt. Shashikala Bai v. Smt. Asharfi Devi and others

Judgment dated 18.10.2013 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 157 of 2003, reported in 2014 (1) MPHT 111

•

***110. STAMP ACT, 1899 – Sections 33 and 64**

- (i) Character of a document, ascertainment of – A document must be read in its entirety when the character of the document is in question – One should not get confused from the heading thereof – Real intention of the parties must be gathered from the document itself – The circumstances attending thereto are also relevant in this regard.
- (ii) Deficient stamp duty and penalty, imposition of.

Facts of the case:

Land was acquired by the Development Authority and in view of that a tripartite agreement was entered into by the parties including the Development Authority to execute lease of suitable appropriate land – Held, such assignment must be effected either through sale or gift – Also held, such document is liable for payment of appropriate stamp duty and penalty.

Ishwar Das Matani v. State of M.P. and others

Order dated 16.07.2013 passed by the High Court of M.P. in First Appeal No. 6496 of 2012, reported in 2014 (1) MPLJ 355 (DB)

•

NOTE : (*) Asterisk denotes short notes

PART - III
Circulars/Notifications

न्यायिक अधिकारीगणों को प्रदान किए जाने वाले/किए गए फर्नीचर इत्यादि वस्तुओं के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आदेश

भोपाल, दिनांक 26.04.2014

फा. क्रमांक 3(ए)19/2003/21-ब(एक), राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2006 की कण्डिका 14 की उपकण्डिका (4) को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न कण्डिका प्रतिस्थापित करता है, जो दिनांक 01.04.2014 से प्रभावशील होगी:-

संशोधन

कण्डिका 14 (4) :-

“1. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को सेवा के प्रारम्भ से प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर उनके आवासीय कार्यालय में फर्नीचर सोफा सेट, कारपेट, कुर्सियां, टेबल, साईड टेबल, क्रॉकरी और उपयोगी सामग्री एयरकंडीशनर, कूलर, इनवर्टर, पुस्तक रखने के लिये अलमारी आदि उपलब्ध कराये जाने के लिए राशि रूपये 90,000/- उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उपरोक्त फर्नीचर आदि न्यायिक अधिकारी द्वारा स्वयं क्रय किया जाकर रसीद सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला न्यायाधीश/विभाग प्रमुख को दिया जायेगा जो कि, संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख में रखा जायेगा। स्थानांतरण होने पर न्यायिक अधिकारी उपरोक्त फर्नीचर आदि अपने साथ लेकर जायेंगे।

3. न्यायिक अधिकारी के प्रतिनियुक्त होने पर भी उपरोक्तानुसार फर्नीचर आदि क्रय किये जाने के लिये राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी और यदि पति और पत्नि दोनों न्यायिक अधिकारी एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, तो किसी एक को उपरोक्तानुसार फर्नीचर आदि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. न्यायिक अधिकारी के सेवानिवृत्त होने अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में उसे प्रदान किया गया उपरोक्त फर्नीचर आदि पांच वर्ष में से शेष रही अवधि का आनुपातिक मूल्य (प्रतिवर्ष मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से) नियमानुसार जमा करने पर उसे स्थायी रूप से दिया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप : यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति के समय उपरोक्त 5 वर्ष की अवधि में से 3 वर्ष की अवधि शेष है, तो उसके द्वारा रूपये 90,000/- की राशि का 20 प्रतिशत अर्थात् रूपये 18,000/-प्रतिवर्ष की दर से (कुल रूपये 54,000/-) जमा किए जाने पर फर्नीचर आदि उस सेवानिवृत्त अधिकारी को दे दिया जाएगा। यदि सेवानिवृत्ति में 6 माह अथवा उससे अधिक माह की

अवधि शेष है, तो उस अवधि को गणना के प्रयोजन हेतु 1 वर्ष माना जाएगा। यह नियम न्यायिक अधिकारी को पूर्व में प्रदान किए गए फर्नीचर आदि के प्रकरणों में भी लागू होगा।

5. पांच वर्ष के पूर्व न्यायिक अधिकारी की मृत्यु होने पर कोई भी राशि मृतक न्यायिक अधिकारी के परिवार से वसूली नहीं जावेगी।

6. प्रत्येक पांच वर्ष के बाद न्यायिक अधिकारी को प्रदान किया गया उक्त फर्नीचर आदि अनुपयोगी होने के कारण यदि संबंधित न्यायिक अधिकारी स्वेच्छापूर्वक उपरोक्त फर्नीचर आदि लेना चाहे, तो फर्नीचर आदि के क्रय मूल्य की बीस प्रतिशत राशि जमा कराई जाकर फर्नीचर आदि स्थायी रूप से न्यायिक अधिकारी को दिया जा सकेगा अन्यथा फर्नीचर आदि शासन द्वारा विधिवत् नीलाम किया जाकर राशि कोषालय में जमा की जावेगी। उक्त नियम पूर्व में न्यायिक अधिकारीगण को प्रदान किए गए फर्नीचर के मामलों में भी लागू होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति यू.ओ. क्र./308/276/ब-8/चार/14 दिनांक 07.03.2014 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

•

शासकीय वाहनों के अग्रशीर्ष भाग पर लाल/पीली/नीली बत्ती एवं फ्लेशर लगाने के संबंध में परिवहन विभाग की अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 06.03.2014

क्र. एफ 22-5-2008- आठ-राज्य शासन केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-05-2008-आठ, दिनांक 3 अगस्त 2013, 31 अगस्त 2013 को अधिक्रमित करते हुए यान पर निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:-

शासकीय वाहनों के अग्रशीर्ष भाग पर लाल/पीली/नीली बत्ती लगाने के संबंध में.

A. यान के अग्रशीर्ष भाग पर लाल बत्ती लगाने का अधिकार (ड्यूटी पर राज्य के किसी भी भाग में) निम्नलिखित उच्च पदस्थ अधिकारियों को होगा:-

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. विधानसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
4. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशगण
5. नेता प्रतिपक्ष
6. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
7. अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग/लोकायुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयुक्त/अध्यक्ष लोक सेवा आयोग
8. मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक
9. महाधिवक्ता

B. राज्य के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने कर्तव्य पर यान के अग्रशीर्ष भाग पर पीली बत्ती उनके अधिकार क्षेत्र में लगाने की पात्रता होगी:-

1. मुख्य सचिव के समकक्ष अधिकारी
2. समस्त प्रमुख सचिव/विधान सभा के प्रमुख सचिव
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता
4. पुलिस महानिदेशक के समकक्ष अधिकारी
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. नगर निगम के महापौर (अपने क्षेत्र में)/जिला पंचायत के अध्यक्ष (अपने जिले में)
7. संभागीय आयुक्त/अपर संभागीय आयुक्त (अपने क्षेत्र में)
8. कलेक्टर/अपर कलेक्टर (अपने जिले में)
9. पुलिस महानिरीक्षक (अपने जोन में), उप महानिरीक्षक (अपने रेंज में)/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा
10. पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (अपने जिले में)
11. परिवहन आयुक्त/आबकारी आयुक्त/वाणिज्यिक कर आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त/अपर वाणिज्यिक कर आयुक्त/अपर आबकारी आयुक्त
12. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी अपने वन वृत्त में)
13. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अपने जिले में)
14. राज्य शिष्टाचार अधिकारी.

C. यान के अग्रशीर्ष भाग पर कर्तव्य हेतु अपनी ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित को अपने अधिकार क्षेत्र में नीली बत्ती लगाने की पात्रता होगी:-

1. फायर बिग्रेड (फ्लेशरयुक्त)
2. एम्बुलेंस (फ्लेशरयुक्त)
3. गणमान्य व्यक्तियों को जिन्हें लाल बत्ती की पात्रता है को PILOT करने वाले अधिकारी वाहन
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक/कार्यपालिक दण्डाधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में)
5. नगर निरीक्षक/थाना प्रभारी (अपने क्षेत्र में)/पीसीआर वैनस उप परिवहन आयुक्त/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में)
6. वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी/जिला खनन अधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में)/प्रवर्तन कार्य में लगे जिला आबकारी अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला खनन अधिकारी के ऊपर के इन विभागों के अधिकारी.
7. जिला वन अधिकारी (क्षेत्रीय वन्य प्राणी)/उप वनमण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)/वन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में)/वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी).

विशेष :-

1. उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो, यथास्थिति, लाल, नीली या पीली लाईट का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढका जायेगा.
2. पीली एवं नीली बत्ती की अनुज्ञाप्राप्त पदाधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मोटरयान की विन्ड स्क्रीन पर चस्पाकर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ओदशानुसार
रेनू तिवारी, अपर सचिव.**

•

PART - IV

IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS

THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT ORDINANCE, 2014

No. 1 of 2014

(Published in the Gazette of India (Extraordinarily) Part II Section 1 dated
4.3.2014 Pages 1-17)

Promulgated by the President in the Sixty-fifth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

Whereas the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2013, to give effect to the aforesaid objective, was introduced on the 12th December, 2013 in the House of the People;

And whereas the said Bill could not be taken up for consideration and passing in the House of the People;

And whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title and commencement. – (1) This Ordinance may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of long title. – In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, for the words “Special Courts” the words “Special Courts and the Exclusive Special Courts” shall be substituted.

3. Amendment of Section 2.– In section 2 of the principal Act, in sub-section (1),-

(i) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

‘(bb) “dependent” means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim, who are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance;

(bc) “economic boycott” means-

- (i) a refusal to deal with, work for hire or do business with other person; or
 - (ii) to deny opportunities including access to services or contractual opportunities for rendering service for consideration; or
 - (iii) to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in the ordinary course of business; or
 - (iv) to abstain from the professional or business relations that one would maintain with other person;
- (bd) “Exclusive Special Court” means the Exclusive Special Court established under sub-section (1) of section 14 exclusively to try the offences under this Act;
- (be) “forest rights” shall have the meaning assigned to it in sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);
- (bf) “manual scavenger” shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013(25 of 2013);
- (bg) “public servant” means a public servant as defined under section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860), as well as any other person deemed to be a public servant under any other law for the time being in force and includes any person acting in his official capacity under the Central Government or the State Government, as the case may be;”
- (ii) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:-
- ‘(ea) “Schedule” means the Schedule appended to this Act;
 - (eb) “social boycott” means a refusal to permit a person to render to other person or receive from him any customary service or to abstain from social relations that one would maintain with other person or to isolate him from others;
 - (ec) “victim” means any individual who falls within the definition of the “Scheduled Caste and Scheduled Tribe” under clause (c) of sub-section (1) of section 2, and who has suffered or experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm to his property as a result of the commission of any offence under this Act and includes his relatives, legal guardian and legal heirs;
 - (ed) “witness” means any person who is acquainted with the facts and circumstances or is in possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry or trial of any crime involving an offence under this Act, and who is or may be required to

give information or make a statement or produce any document during investigation, inquiry or trial of such case and includes a victim of such offence;

(iii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) the words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Indian Penal Code (45 of 1860), the Indian Evidence Act, 1872 (18 of 1872) or the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), as the case may be shall be deemed to have the meanings respectively assigned to them in those enactments.”

4. Amendment of section (3) – In section 3 of the principal Act, -

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

‘(1) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,-

(a) puts any inedible or obnoxious substance into the mouth of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or forces such member to drink or eat such inedible or obnoxious substance;

(b) dumps excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance in premises, or at the entrance of the premises, occupied by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(c) with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, dumps excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his neighbourhood;

(d) garlands with footwear or parades naked or semi-naked a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(e) forcibly commits on a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any act, such as removing clothes from the person forcible tonsuring of head, removing moustaches, painting face or body or any other similar act, which is derogatory to human dignity;

(f) wrongfully occupies or cultivates any land, owned by, or in the possession of or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, or gets such land transferred;

(g) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a

Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights, including forest rights, over any land or premises or water or irrigation facilities or destroys the crops or takes away the produce therefrom.

Explanation.- For the purposes of clause (f) and this clause, the expression “wrongfully” includes-

- (A) against the person’s will;
- (B) without the person's consent;
- (C) with the person’s consent, where such consent has been obtained by putting the person, or any other person in whom the person is interested in fear of death or of hurt; or
- (D) fabricating records of such land;
- (h) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do “begar” or other forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by the Government;
- (i) compels a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves;
- (j) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do manual scavenging or employs or permits the employment of such member for such purpose;
- (k) performs, or promotes dedicating a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman to a deity, idol, object of worship, temple or other religious institution as a devadasi or any other similar practice or permits aforementioned acts;
- (l) forces or intimidates or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe-
 - (A) not to vote or to vote for a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;
 - (B) not to file a nomination as a candidate or to withdraw such nomination; or
 - (C) not to propose or second the nomination of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe as a candidate in any election;
- (m) forces or intimidates or obstructs a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, who is a member or a Chairperson or a holder of any other office of a panchayat under Part IX of the Constitution or a municipality under Part IX A of the Constitution, from performing their normal duties and functions.

- (n) after the poll, causes hurt or grievous hurt or assault or imposes or threatens to impose social or economic boycott upon a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or prevents from availing benefits of any public service which is due to him;
- (o) commits any offence under this Act against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law;
- (p) institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (q) gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (r) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;
- (s) abuses any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by caste name in any place within public view;
- (t) destroys, damages or defiles any object generally known to be held sacred or in high esteem by members of the Scheduled Castes or a Scheduled Tribes .

Explanation. – For the purposes of this clause, the expression “object” means and includes statue, photograph and portrait;

- (u) by words either written or spoken or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote feelings of enmity, hatred or ill-will against members of the Scheduled Castes or a Scheduled Tribes ;
- (v) by words either written or spoken or by any other means disrespects any late person held in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;
- (w) (i) intentionally touches a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, when such act of touching is of a sexual nature and is without the recipient’s consent;
- (ii) uses words, acts or gestures of a sexual nature towards a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a (Scheduled Tribe).

Explanation – For the purposes of sub-clause (i), the expression “consent” means an unequivocal voluntary agreement when the person by words, gestures, or any form of non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific act:

Provided that a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe who does not offer physical resistance to any act of a sexual nature is not by reason only of that fact, is to be regarded as consenting to the sexual activity:

Provided further that a woman’s sexual history, including with the offender shall not imply consent or mitigate the offence;

- (x) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;
- (y) denies a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any other section thereof have a right to use or access to;
- (z) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of a public duty.

- (za) obstructs or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any manner with regard to-
 - (A) using common property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or using any river, stream, spring, well, tank, cistern water-tap or other watering place, or any bathing *ghat*, any public conveyance, any road, or passage;
 - (B) mounting or riding bicycles or motor cycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out wedding procession, or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions;
 - (C) entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out, any religious, social or cultural processions including jatras;
 - (D) entering any educational institution, hospital dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment; or any other

public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public; or

(E) practicing any profession or the carrying on of any occupation, trade or business or employment in any job which other members of the public or any section thereof, have a right to use or have access to;

(zb) causes physical harm or mental agony of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe on the allegation of practicing witchcraft or being a witch; or

(zc) imposes or threatens a social or economic boycott of any person or a family or a group belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.’;

(ii) in sub-section (2),-

(a) in clause (v), for the words “on the ground that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member”, the words “knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member” shall be substituted;

(b) after clause (v), the following clause shall be inserted namely:-

“(va) commits any offence specified in the Schedule, against a person or property, knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with such punishment as specified under the Indian Penal Code (45 of 1860) for such offences and shall also be liable to fine.”

5. Substitution of new section for section 4. – For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely: –

“4. Punishment for neglect of duties- (1) Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, wilfully neglects his duties required to be performed by him under this Act and the rules made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.

(2) The duties of public servant referred to in sub-section (1) shall include-

- (a) to read out to a informant the information given orally, and reduced to writing by the officer in charge of the police station, before taking the signature of the informant;
- (b) to register a complaint or a First Information Report under this Act and other relevant provisions and to register it under appropriate sections of this Act;
- (c) to furnish a copy of the information so recorded forthwith to the informant;
- (d) to record the statement of the victims or witnesses;
- (e) to conduct the investigation and file charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days, and to explain the delay if any, in writing;
- (f) to correctly prepare, frame and translate any document or electronic record;
- (g) to perform any other duty specified in this Act or the rules made thereunder;

Provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of an administrative enquiry.

- (3) The cognizance in respect of any dereliction of duty referred to in sub-section (2) by a public servant shall be taken by the Special Court or the Exclusive Special Court and shall give direction for penal proceedings against such public servant.”

6. Amendment of Section 8. – In section 8 of the principal Act,-

- (i) in clause (a), for the words “any financial assistance to a person accused of”, the words “any financial assistance in relation to the offences committed by a person accused of “shall be substituted;
- (ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
 - “(c) the accused was having personal knowledge of the victim or his family, the Court shall presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim, unless the contrary is proved.”

7. Amendment of Section 10 – In section 10 of the principal Act, in sub-section (1),–

- (a) after the words ad figures “article 244 of the Constitution”, the words, brackets and figures “or any area identified under the provisions of clause (vii) of sub-section (2) of section 21” shall be inserted;
- (b) for the words “two years”, the words “three years” shall be substituted .

8. Substitution of new section for section 14.– For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted namely:-

“14. Special Court and Exclusive Special Court.- (1) For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the official Gazette, establish an Exclusive Special Court for one or more Districts.

Provided that in Districts where less number of cases under this Act is recorded, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazetted specify for such Districts the Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act.:

Provided further that the Courts so established or specified shall have power to directly take cognizance of offences under this Act.

(2) It shall be the duty of the State Government to establish adequate number of Courts to ensure that cases under this Act are disposed of within a period of two months, as far as possible.

(3) In every trial in the Special Court or the Exclusive Special Court, the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Special Court or the Exclusive Special Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing:

Provided that when the trial relates to an offence under this Act, the trial shall, as far as possible, be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.

9.Insertion of new section 14 A. – After section 14 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“14A. Appeals- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), an appeal shall lie, from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order, of a Special Court or an Exclusive Special Court, to the High Court both on facts and on law.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), an appeal shall lie to the High Court against an order of the Special Court or the Exclusive Special Court granting or refusing bail.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from the date of the judgment, sentence or order appealed from:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of ninety days:

Provided further that no appeal shall be entertained after the expiry of the period of one hundred and eighty days .

(4) Every appeal preferred under sub-section (1) shall, as far as possible, be disposed of within a period of three months from the date of admission of the appeal.

10. Substitution of new section for section 15.– For section 15 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“15. Special Public Prosecutor and Exclusive Public Prosecutor:- (1) For every Special Court, the State Government shall, by notification in the Official Gazetted, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.

(2) For every Exclusive Special Court, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, specify an Exclusive Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as an Exclusive Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.”

11. Insertion of new Chapter IVA. – After Chapter IV of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:-

“CHAPTER IV A

Rights of Victims and Witnesses

15A. Rights of victims and witnesses – (1) It shall be the duty and responsibility of the State to make arrangements for the protection of victims, their dependents, and witnesses against any kind of intimidation or coercion or inducement or violence or threats of violence.

(2) A victim shall be treated with fairness, respect and dignity and with due regard to any special need that arises because of the victim’s age or gender or educational disadvantage or poverty.

(3) A victim or his dependent shall have the right to reasonable, accurate, and timely notice of any Court proceeding including any bail proceeding and the Special Public Prosecutor or the State Government shall inform the victim about any proceedings under this Act.

(4) A victim or his dependent shall have the right to apply to the Special Court or the Exclusive Special Court, as the case may be, to summon parties for production of any documents or material witnesses or examine the persons present.

(5) A victim or his dependent shall be entitled to be heard at any proceeding under this Act in respect of bail, discharge, release, parole, conviction or sentence of an accused or any connected proceedings or arguments and file written submission on conviction, acquittal or sentencing.

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Special Court or the Exclusive Special Court trying a case under this Act shall provide to a victim, his dependent, informant or witnesses-

- (a) the complete protection to secure the ends of justice;
- (b) the travelling and maintenance expenses during investigation, inquiry and trial;
- (c) the social-economic rehabilitation during investigation inquiry and trial;
- (d) relocation.

(7) The State shall inform the concerned Special Court or the Exclusive Special Court about the protection provided to any victim or his dependent, informant or witnesses and such Court shall periodically review the protection being offered and pass appropriate orders.

(8) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (6), the concerned Special Court or the Exclusive Special Court may, on an application made by a victim or his dependent, informant or witness in any proceedings before it or by the Special Public Prosecutor in relation to such victim, informant or witness or on its own motion, take such measures including-

- (a) concealing the names and addresses of the witnesses in its orders or judgments or in any records of the case accessible to the public;
- (b) issuing directions for non-disclosure of the identity and addresses of the witnesses;
- (c) take immediate action in respect of any complaint relating to harassment of a victim, informant or witness and on the same day, if necessary, pass appropriate orders for protection:

Provided that inquiry or investigation into the complaint received under clause (c) shall be tried separately from the main case by such Court and concluded within a period of two months from the date of receipt of the complaint:

Provided further that where the complaint under clause (c) is against any public servant, the Court shall restrain such public servant from interfering with the victim, informant or witness, as the case may be, in any matter related or unrelated to the pending case, except with the permission of the Court.

(9) It shall be the duty of the Investigation Officer and the Station House Officer to record the complaint of victim, informant or witnesses against any kind of intimidation, coercion or inducement or violence or threats of violence,

whether given orally or in writing, and a photocopy of the First Information Report shall be immediately given to them at free of cost.

(10) All proceedings relating to offences under this Act shall be video recorded.

(11) It shall be the duty of the concerned State to specify an appropriate scheme to ensure implementation of the following rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice so as -

- (a) to provide a copy of the recorded First Information Report at free of cost;
- (b) to provide immediate relief in cash or in kind to atrocity victims or their dependents;
- (c) to provide necessary protection to the atrocity victims or their dependents, and witnesses;
- (d) to provide relief in respect of death or injury or damage to property;
- (e) to arrange food or water or clothing or shelter or medical aid or transport facilities or daily allowances to victims;
- (f) to provide the maintenance expenses to the atrocity victims and their dependents;
- (g) to provide the information about the rights of atrocity victims at the time of making complaints and registering the First Information Report;
- (h) to provide the protection to atrocity victims or their dependents and witnesses from intimidation and harassment;
- (i) to provide the information to atrocity victims or their dependents or associated organisation or individuals, on the status of investigation and charge sheet and to provide copy of the charge sheet at free of cost;
- (j) to take necessary precautions at the time of medical examination;
- (k) to provide information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, regarding the relief amount;
- (l) to provide information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, in advance about the dates and place of investigation and trial;
- (m) to give adequate briefing on the case and preparation for trial to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals and to provide the legal aid for the said purpose;

(n) to execute the rights of atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals at every stage of the proceedings under this Act and to provide the necessary assistance for the execution of the rights.

(12) It shall be the right of the atrocity victims or their dependents, to take assistance from the Non-Government Organisations, social workers or advocates.”

12. Insertion of new Schedule.– After section 23 of the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely:-

“THE SCHEDULE
[See section 3(2) (va)]

Section under the Indian Penal Code	Name of Offence and punishment.
120A	Definition of criminal conspiracy.
120B	Punishment of criminal conspiracy.
141	Unlawful assembly.
142	Being member of unlawful assembly.
143	Punishment for unlawful assembly.
144	Joining unlawful assembly armed with deadly weapon.
145	Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse.
146	Rioting.
147	Punishment for rioting.
148	Rioting, armed with deadly weapon.
217	Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture.
319	Hurt
320	Grievous hurt.
323	Punishment for voluntarily causing hurt.
324	Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means.
325	Punishment for voluntarily causing grievous hurt.
326B	Voluntarily throwing or attempting to throw acid.
332	Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty.

Section under the Indian Penal Code	Name of Offence and punishment.
--	--

341	Punishment for wrongful restraint.
354	Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty.
354A	Sexual harassment and punishment for sexual harassment.
354B	Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe.
354C	Voyeurism.
354D	Stalking
359	Kidnapping
363	Punishment for kidnapping.
365	Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person.
376B	Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.
376C	Sexual intercourse by a person in authority.
447	Punishment for criminal trespass.
506	Punishment for criminal intimidation
509	Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman.”

•